



सत्यमेव जयते

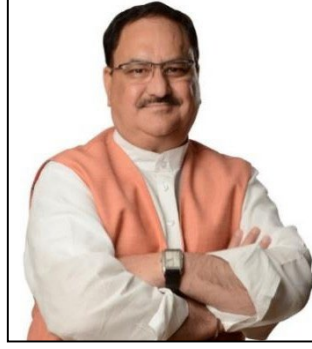
Government of India



राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग वार्षिक रिपोर्ट

NATIONAL MEDICAL COMMISSION ANNUAL REPORT (2024 - 2025)





श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केंद्रीय मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार



श्रीमती अनुप्रिया पटेल
माननीय राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
माननीय राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	4
1.1	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के बारे में	4
1.2	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के उद्देश्य	4
1.3	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सदस्य	4-5
1.4	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कार्य	5-6
1.5	चिकित्सा सलाहकार परिषद्	6
1.6	चिकित्सा सलाहकार परिषद् के सदस्य	6-12
1.7	चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य	12
1.8	स्वायत्त बोर्ड का गठन	12-13
1.9	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैठकें	13-16
1.10	चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकें	16
2.	विभिन्न बोर्डों की गतिविधियाँ	17
2.1	स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड	17-24
2.2	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड	24-30
2.3	नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड	30-34
2.4	चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड	34-37
3.	चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनएमसी की पहल	37-40
4.	सूचना प्रौद्योगिकी	40-42
5.	विधिक प्रभाग	42-44
6	सतर्कता प्रभाग	44-46
7.	सूचना का अधिकार	47
8.	सामान्य प्रशासन	47-48
9.	वित्त एवं लेखा	48-50
10.	नीति एवं समन्वय प्रभाग	50-51
11.	राजभाषा	52-53
12.1	परिशिष्ट क1 से क4 (बैठक का कार्यवृत्त)	54-123
12.2	वार्षिक लेखा	124-170
12.3	फोटो गैलरी	171-181

1.0 प्रस्तावना

1.1 एनएमसी के बारे में

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का गठन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, जिसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत किया गया है, जो दिनांक 24.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 25.09.2020 से प्रभावी हुआ। एनएमसी का गठन चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशा और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए किया गया है।

1.2 आयोग का उद्देश्य

एनएमसी का उद्देश्य ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करे, तथा देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करे; जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे जो सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें और चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाए; राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा दें; चिकित्सा पेशेवरों को अपने कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने तथा अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करे; चिकित्सा संस्थानों का एक उद्देश्यपूर्ण आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन करे तथा भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करे और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करे; जो बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए लचीला हो तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करे।

1.3 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (04.07.2024 से 31.03.2025 तक)
2	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा बोर्ड (01.04.2024 से 24.09.2024 तक)
3	डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
4	डॉ. अतुल गोयल	डीजी, डीजीएचएस
5	डॉ. राजीव बहल	डीजी, आईसीएमआर
6	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी	अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7	डॉ. विवेक लाल	निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
8	डॉ. स्मिता कोल्हे	बैरागढ़, मेलघाट, महाराष्ट्र
9	डॉ. संतोष कुमार क्रलेटी	सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद
10	प्रो. (डॉ.) धुबा ज्योति बोराह	कुलपति, श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम
11	प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा	कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
12	प्रो. श्री. एस. के. मेहता	कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय
13	डॉ. करुणाकर रेड्डी	कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना
14	डॉ. एम. के. रमेश	कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक
15	डॉ. मोहनन कुन्नुमल	कुलपति, केरल स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर केरल
16	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल	गुजरात मेडिकल काउंसिल
17	डॉ. दीपक शर्मा	राजस्थान मेडिकल काउंसिल
18	डॉ. विजय कुमार	पंजाब मेडिकल काउंसिल
19	डॉ. विनोद कश्यप	हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल
20	डॉ. पद्मनाभ वामन रताबोली	गोवा मेडिकल काउंसिल
21	डॉ. आर. के. अनेजा	हरियाणा मेडिकल काउंसिल
22	डॉ. बुचिपुडी संबाशिवा रेड्डी	आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल

1.4 आयोग के कार्य

आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:

- चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां निर्धारित करना तथा इस संबंध में आवश्यक विनियम बनाना;
- चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधान तथा चिकित्सा पेशवरों के विनियमन के लिए नीतियां निर्धारित करना और इस संबंध में आवश्यक विनियम बनाना;
- स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं का आकलन करना, जिसमें स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन तथा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना शामिल है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

एक कार्य योजना तैयार करना;

घ) आयोग, स्वायत्त बोर्डों तथा राज्य चिकित्सा परिषदों के सुचारु कार्य संचालन के लिए आवश्यक विनियम बनाकर दिशानिर्देश तैयार करना, नीतियाँ निर्धारित करना तथा उनके बीच समन्वय और प्रोत्साहन प्रदान करना;

ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

च) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा उनके प्रभावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक उपाय करना;

छ) स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना;

ज) चिकित्सा पेशा में पेशेवर नैतिकता के पालन को सुनिश्चित करने और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान करते समय नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ और संहिताएँ निर्धारित करना;

झ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत सीटों के लिए शुल्क और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

ञ) अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य ऐसे कार्य करना जो निर्धारित किए गए हों।

1.5 चिकित्सा सलाहकार परिषद्

चिकित्सा सलाहकार परिषद् एक परामर्शात्मक निकाय है, जिसे भारत सरकार ने एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 11 से 13 के प्रावधानों के अनुसार गठित किया है। इसमें एक अध्यक्ष और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से एक-एक सदस्य तथा अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट दूसरे सदस्य होते हैं।

1.6 चिकित्सा सलाहकार परिषद् के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
1.	अध्यक्ष	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (04.07.2024 से 31.03.2025 तक)
2.	पदेन-12	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
			(04.07.2024 से 31.03.2025 तक)
3.		डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष, पीजीएमईबी, एनएमसी
4.		रिक्त	अध्यक्ष, एमएआरबी, एनएमसी
5.		रिक्त	अध्यक्ष, ईएमआरबी, एनएमसी
6.		डॉ. अतुल गोयल	महानिदेशक, डीजीएचएचएस
7.		डॉ. राजीव बहल	महानिदेशक, आईसीएमआर
8.		प्रो. ममीडाला जगदेश कुमार	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
9.		प्रो. गणेशन कन्नाबिरन	निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
10.		रिक्त	किसी भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक
11.		सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिनिधि
12.		डॉ. विवेक लाल, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	निदेशकों में से व्यक्ति
13.		रिक्त	1. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़; 2. जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी; 3. टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई; 4. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान, शिलांग; 5. अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता
14.	मनोनीत-79	रिक्त	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारित
15.		प्रो. प्रमोद कुमार जैन, निदेशक, आईआईटी-बीएचयू वाराणसी	व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा
16.		रिक्त	
17.		रिक्त	
18.		डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलघाट, महाराष्ट्र	योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्हें प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार वकालत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो।
19.		श्री संतोष कुमार क्रलेटी, सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	
20.		रिक्त	

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
21.		रिक्त (आंध्र प्रदेश)	राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपति, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामांकन के आधार पर चिकित्सा सलाहकार परिषद में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
22.		प्रो. साकेत कुशवाहा, (कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश)	
23.		प्रो. (डॉ.) धुबा ज्योति बोरह, (कुलपति, श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम)	
24.		प्रो. शरद कुमार यादव, कुलपति, आर्यभट्ट नॉलेज युनिवर्सिटी, पटना (बिहार)	
25.		रिक्त (छत्तीसगढ़)	
26.		रिक्त (गोवा)	
27.		रिक्त (गुजरात)	
28.		डॉ. अनीता सक्सेना, (कुलपति, भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)	
29.		डॉ. सुरेन्द्र कश्यप, (कुलपति अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश)	
30.		डॉ. मनोज कुमार धर, (कुलपति, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर)	
31.		रिक्त (झारखंड)	
32.		डॉ. एम. के. रमेश, (कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक)	
33.		डॉ. मोहनन कुन्नुमल, (कुलपति, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,	

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
		त्रिशूर.केरल	
34.		डॉ. अशोक खंडेलवाल, (कुलपति, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय)	
35.		लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. माधुरी राजीव कानिटकर, (कुलपति, एमयूएचएस, महाराष्ट्र)	
36.		प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह, (कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय)	
37.		प्रो. पी.एस. शुक्ला, (कुलपति, नॉर्थईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय)	
38.		डॉ. दिबाकर चंद्र डेका, (कुलपति, मिजोरम विश्वविद्यालय)	
39.		रिक्त (नागालैंड)	
40.		रिक्त (ओडिशा)	
41.		डॉ. राजीव सूद, (कुलपति, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट, पंजाब)	
42.		रिक्त (राजस्थान)	
43.		डॉ. डी.सी. अग्रवाल (कुलपति, मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम)	
44.		डॉ. के. नारायण सामी, (कुलपति, डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु)	
45.		डॉ. करुणाकर रेड्डी, (कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तेलंगाना)	
46.		श्री गंगा प्रसाद प्रसैन, (कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय)	
47.		रिक्त (उत्तराखंड)	
48.		रिक्त (उत्तर प्रदेश)	
49.		प्रो. (डॉ.) सुहता पॉल, (कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)	
50.		रिक्त (अंडमान और निकोबार)	

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
51.		डॉ. सुमन, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-सह-मिशन निदेशक (चंडीगढ़)	
52.		रिक्त (दमन और दीव)	
53.		प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा, (कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली)	
54.		रिक्त (लक्षद्वीप)	
55.		प्रो. श्री एस.के. मेहता, (कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय)	
56.		रिक्त (पुडुचेरी)	राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चिकित्सा परिषदों के प्रतिनिधि, संबंधित चिकित्सा परिषद द्वारा नामांकन के आधार पर चिकित्सा सलाहकार परिषद में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
57.		डॉ. बुचिपुडी संबाशिवा रेड्डी (आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल)	
58.		डॉ. जेगो ओरी, (अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल)	
59.		प्रो. डॉ. अनूप कुमार बर्मन (असम मेडिकल काउंसिल)	
60.		डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह (बिहार मेडिकल काउंसिल)	
61.		डॉ. महेश कुमार सिन्हा (छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल)	
62.		रिक्त	
63.		डॉ. पद्मनाभ वामन रताबोली (गोवा मेडिकल काउंसिल)	
64.		डॉ. महेश बाबुल पटेल (गुजरात मेडिकल काउंसिल)	
65.		डॉ. आर. के. अनेजा (हरियाणा मेडिकल काउंसिल)	
66.		डॉ. विनोद कश्यप (हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल)	
67.		डॉ. सलीम-उर-रहमान (जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल)	
68.		डॉ. शरणबसप्पा एस. करभरी (कर्नाटक मेडिकल काउंसिल)	
69.		डॉ. हरि कुमार नायर जी.एस (केरल मेडिकल काउंसिल)	

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
70.		डॉ. विंकी मोहन लाल रुघवानी (महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल)	
71.		डॉ. राजेंद्र कुमार (मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल)	
72.		डॉ. सिम्पसन सारेओ (मणिपुर मेडिकल काउंसिल)	
73.		डॉ. रोसन ग्लुआइया, (मिजोरम मेडिकल काउंसिल)	
74.		डॉ. जॉर्ज थिरा (नागालैंड मेडिकल काउंसिल)	
75.		डॉ. प्रसेनजीत मोहंती (ओडिशा मेडिकल काउंसिल)	
76.		डॉ. विजय कुमार (पंजाब मेडिकल काउंसिल)	
77.		डॉ. दीपक शर्मा (राजस्थान मेडिकल काउंसिल)	
78.		डॉ. ऑंग शेरिंग लेहरा, (सिक्किम मेडिकल काउंसिल)	
79.		डॉ. एस शिवराम कन्नम, (तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल)	
80.		डॉ. केमहेश कुमार (तेलंगाना मेडिकल काउंसिल)	
81.		डॉ. कनक चौधरी (त्रिपुरा मेडिकल काउंसिल)	
82.		डॉ. अरविंद कुमार शर्मा (उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल)	
83.		डॉ. उर्मिला सिंह (उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल)	
84.		डॉ. सुदीप्ता कुमार रे (पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल)	
85.		डॉ. प्रदीप कुमार सिंह (झारखंड राज्य मेडिकल काउंसिल)	
86.		डॉ. वानबुदमी सुतंगा (मेघालय मेडिकल काउंसिल)	
87.		रिक्त	
88.		रिक्त	

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम / पद
89.		रिक्त	
90.		रिक्त	
91.		रिक्त	
92.		रिक्त	

1.7 चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य

- परिषद् वह मुख्य मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयोग के समक्ष अपने विचार और समस्याएं रख सकते हैं और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित पूरे एजेंडा, नीतियों और कार्यों के निर्धारण में सहयोग कर सकता है।
- परिषद्, आयोग को उन उपायों पर सलाह देगी जो चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों में न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने, बनाए रखने और उनके समन्वित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
- परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुँच बढ़ाने के उपायों पर सलाह देगी।

परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जिसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् की पहली बैठक 18 दिसंबर, 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई थी।

1.8 स्वायत्त बोर्डों का गठन

केंद्र सरकार ने एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 16 से 34 के अनुसार निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन किया:

क. स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष (01.04.2024 से 24.09.2024 तक)
2.	डॉ. विजयेंद्र कुमार	पूर्णकालिक सदस्य 1 (01.04.2024 से 24.09.2024 तक)
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. पल्लवी पी. साप्ले	अंशकालिक सदस्य 2

ख. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष
2.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 1
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. के. सैथिल	अंशकालिक सदस्य 2

(ग) चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (01.04.2024 से 03.07.2024 तक)
2.	डॉ. जे. एल. मीणा	पूर्णकालिक सदस्य 1 (01.04.2024 से 02.08.2024 तक)
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. उर्मिला सिंह	अंशकालिक सदस्य 2

(घ) नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	रिक्त	अध्यक्ष
2.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग	पूर्णकालिक सदस्य 1 (01.04.2024 से 24.09.2024 तक)
3.	डॉ. योगेंद्र मलिक	पूर्णकालिक सदस्य 2 (01.04.2024 से 24.09.2024 तक)
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह	अंशकालिक सदस्य 2

1.9 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैठकें

1.9.1 एनएमसी की 14वीं बैठक

एनएमसी की चौदहवीं बैठक 1 मई 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:-

- 24 जनवरी 2024 को आयोजित एनएमसी की 13^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी-I) और डीएमएमपी-II परियोजनाओं सहित

- एनएमसी की आईसीटी पहलों की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना।
- iii) मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं में पंजीकृत सभी रोगियों के लिए आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा) आईडी का प्रावधान।
 - iv) गैर-शिक्षण अस्पतालों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों की इंटरनशिप का सत्यापन।
 - v) पाठ्यक्रम में दिव्यांगता क्षमताएं।
 - vi) पीजीएमईआर-2023 में संशोधन।
 - vii) आरटीआई के तहत मानक मूल्यांकन फॉर्म (एसएएफ) का प्रकटीकरण और एनएमसी वेबसाइट पर इसका स्व-प्रेरित प्रकाशन।
 - viii) एनएमसी के अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके पेशेवर शुल्क के निर्धारण के लिए दिनांक 23 मार्च, 2023 के विधिक शुल्क दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता।
 - ix) एनएमसी में अपील समिति का पुनर्गठन।

बैठक का कार्यवृत्त **अनुलग्नक-क1** में संलग्न है।

1.9.2 एनएमसी की 15^{वीं} बैठक

एनएमसी की पंद्रहवीं बैठक 19 जून 2024 को आयोजित की गई। बैठक में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- i) 1 मई 2024 को आयोजित एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- ii) वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण को एनएमसी द्वारा अनुमोदन एवं अपनाया जाना।
- iii) मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के युक्तिकरण के संबंध में।
- iv) उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता का दर्जा/मान्यता प्रदान करने के प्रस्तावों के संबंध में यूजीसी का संदर्भ।
- v) डीएमएमपी-1 के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) का विस्तार।
- vi) विदेशी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को जारी रखने के संबंध में निर्णय।
- vii) सभी राज्य चिकित्सा परिषदों में व्यापक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के क्रियान्वयन के संबंध में।
- viii) एनएमसी की दिनांक 07 जून 2024 के सार्वजनिक सूचना के आलोक में विदेशी चिकित्सा स्नातकों की इंटरनशिप से संबंधित विषय।

बैठक का कार्यवृत्त **अनुलग्नक-क2** में संलग्न है।

1.9.3 एनएमसी की 16^{वीं} बैठक

एनएमसी की सोलहवीं बैठक 23 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- i) 19 जून 2024 को आयोजित एनएमसी की 15^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- ii) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से उन प्रस्तावित ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया जिनका उद्देश्य कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों को झूठे या गलत मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करना है।
- iii) बार ऑफ इंडियन लॉयर्स के प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के. गांधी, पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और अन्य (सीए नंबर 2646 ऑफ 2009) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उत्तर में एक कॉन्सेप्ट नोट पेश किया गया, जिसमें कुछ व्यवसायों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपी एक्ट) से बाहर रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- iv) आचरण विनियम, 2023 को स्थगन से बाहर लाने के लिए मामले को उठाने के लिए एनएमसी की स्वीकृति लेना।
- v) राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पोर्टल का परिचालन।
- vi) ड्राफ्ट एंटी-क्वैकरी दिशा-निर्देशों के लिए एनएमसी की स्वीकृति लेना।
- vii) मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन (सीपीएस) के मामलों से एनएमसी को अवगत कराना।
- viii) एकीकृत स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में शामिल सिफारिशें।
- ix) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं की स्वीकृति-2024 (पीजीएमएसआर 2024)।
- x) मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पर राष्ट्रीय कार्य बल समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें।
- xi) चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2024 का मसौदा।
- xii) "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करना, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन रेटिंग विनियम, 2023" संक्षेप में "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है।

अध्याय III - चिकित्सा संस्थान में मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि हेतु योजना

(17) कोई भी चिकित्सा संस्थान एमएआरबी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चल रहे पाठ्यक्रम की सीटें नहीं बढ़ाएगा।

बशर्ते कि यदि किसी चिकित्सा संस्थान ने पहले स्वीकृत सीटों में प्रवेश नहीं दिया है, तो एमएआरबी सीटों में वृद्धि की अनुमति नहीं देगा।

(18) विनियमन (उपर्युक्त) की धारा (17) में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन के साथ-

- क. निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित सीटों की संख्या के लिए संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लिखित रूप में संबद्धता (एफिलिएशन) की सहमति; और
- ख. ऐसी निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी, जैसा कि एमएआरबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया जाए;
- ग. आवेदन आमंत्रित करते समय निर्धारित किए गए अन्य कोई भी दस्तावेज।

(19) एक बार चिकित्सा संस्थान से सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, एमएआरबी अनुमोदन प्रदान करने से पहले उसकी योग्यता के आधार पर इसका मूल्यांकन करेगा। बशर्ते कि इन विनियमों के अध्याय II में दर्शाए गए समान मानदंड ऐसे मूल्यांकन के लिए यथा-स्थिति लागू होंगे।

संशोधन इस प्रकार प्रस्तावित किया गया था-

संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उपयुक्त प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी) जब तक स्नातक पाठ्यक्रमों में मौजूदा सीटों की वृद्धि के लिए अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, आवेदन के समय अनिवार्यता प्रमाणपत्र वैध होगा।

एनएमसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

- xiii) डीएमएमपी-1 परियोजना के तहत काटी गई जुर्माना राशि के विरुद्ध एस.आई. (सिस्टम इंटीग्रेटर) द्वारा दावा की गई बकाया राशि के निपटान के लिए अनुमोदन।
- xiv) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में विधिक सलाहकारों की नियुक्ति।
- xv) नीट-यूजी में भाग लेने के लिए 10+2 के दौरान भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव-विज्ञान में प्राप्त अंकों के संबंध में पात्रता मानदंड।
- xvi) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व।

बैठक का कार्यवृत्त **अनुलग्नक-क3** में संलग्न है।

1.10 चिकित्सा सलाहकार परिषद (एमएसी) की बैठकें

एमएसी की सातवीं बैठक 24 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. विभिन्न देशों में भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यापारिक बाधाएं।
2. एकीकृत स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में शामिल सिफारिशें
3. एनएमसी की गतिविधियों पर अद्यतन - एनएमआर।

बैठक का कार्यवृत्त **परिशिष्ट-IV** में संलग्न है।

2.0 विभिन्न बोर्डों की गतिविधियाँ

2.1 स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी)

एनएमसी अधिनियम, 2019 के अनुसार, यूजीएमईबी के कार्यों में शामिल हैं:

- स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना;
- स्नातक स्तर पर योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना;
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा की जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करना ताकि ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके;
- देश की जरूरतों और वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;
- स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा संस्थानों में स्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजित करने हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं और मानकों का निर्धारण करना, जिसमें कुछ पाठ्यक्रमों को व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा डिजाइन करना भी शामिल है;
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानकों और मानदंडों का निर्धारण करना; स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना;
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा अंतरराष्ट्रीय छात्र एवं संकाय (फैकल्टी) विनिमय कार्यक्रमों को सुगम बनाना।
- चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनके कार्यों से संबंधित, जो छात्रों, संकाय (फैकल्टी), आयोग तथा केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के हितों को प्रभावित करते हैं, अनिवार्य वार्षिक प्रकटीकरण (इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य माध्यम से) के लिए मानकों का निर्धारण करना।
- स्नातक स्तर पर चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान करना।

2024-25 में यूजीएमईबी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

1. मेडिकल कॉलेजों के कार्यकलापों तथा वहाँ उपलब्ध सुविधाओं जिनमें बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यक मापदंड शामिल हैं, के संबंध में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यूजीएमईबी ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों का व्यापक विवरण आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से आम जनता इन विवरणों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की आधिकारिक वेबसाइट पर "वार्षिक घोषणा" टैब/लिंक के अंतर्गत देख सकती है।

2. चिकित्सा संस्थानों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं के विनियम, 2023 (एमएसएमईआर-2023) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि-

- संस्थागत जानकारी प्रस्तुत करें: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा तैयार और निर्धारित किए गए अनुसार अपने संबंधित पोर्टलों पर ज़रूरी संस्थागत डेटा प्रस्तुत करें।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करें: संकाय और कर्मचारियों की उपस्थिति की सटीक निगरानी के लिए शैक्षणिक और अस्पताल दोनों जगहों पर एनआईसी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ईबीएस) लगाएं।
- अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को अपनाना: कुशल प्रशासनिक और नैदानिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संबद्ध अस्पतालों में एक व्यापक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को एकीकृत करें।
- एनएमसी के साथ सीसीटीवी कनेक्टिविटी स्थापित करना: निगरानी और विनियामक उद्देश्यों के लिए अपने परिसरों और अस्पतालों से एनएमसी के केंद्रीय समन्वय केंद्र (सीसीसी) में लाइव सीसीटीवी फीड ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करें।

उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है तथा इसका आगे भी एनएमसी द्वारा परीक्षण/समीक्षा की जाएगी।

3. इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण हेतु सभी मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल के निर्माण में व्यापक विचार-विमर्श, चर्चा, नवाचार तथा परीक्षण किए गए। इस पोर्टल के विकास का मूल उद्देश्य भौतिक आकलन को कम करना, जिससे व्यय में उल्लेखनीय कमी होगी, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन की संभावनाओं से बचा जा सकेगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा समय की बचत आदि होगी। यह पोर्टल वित्त-वर्ष 2023-24 में लॉन्च के लिए तैयार किया गया, ताकि इसका उपयोग शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में किया जा सके।

4. डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम के रूप में, सभी मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस सीटों के वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान विचार करने के लिए कॉलेजों द्वारा प्रदान की गई रियल टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों की अंतिम परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू किया गया।

5. उक्त एमएसएमईआर पोर्टल को सभी मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों के लिए 10 मार्च, 2024 तक अपनी वार्षिक घोषणा पूरी करने के लिए खोला गया था। कॉलेजों द्वारा वार्षिक घोषणा पूरी करने

की अंतिम तिथि 18 अप्रैल, 2024 तक सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15024 / 9 / 2023-यूजीएमईबी दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के माध्यम से बढ़ा दी गई थी, जिसे आगे 25 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दिया गया।

6. कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2024 के डब्ल्यूपी संख्या 3746 से संबंधित दिनांक 27 मार्च, 2024 के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 02 मई, 2024 को सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15031 / 47 / 2024-यूजीएमईबी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" (यूजीएमईबी द्वारा 16 अगस्त, 2023 को अधिसूचित) भावी प्रकृति के हैं और 16 अगस्त, 2023 से लागू हो जाएंगे।

7. विदेशी चिकित्सा स्नातकों द्वारा गैर-शिक्षण अस्पतालों में मई 2024 से मई 2026 तक इंटरनशिप करने के लिए दो वर्ष का विस्तार यूजीएमईबी, एनएमसी द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15024/9/2023-यूजीएमईबी दिनांक 15 मई, 2024 के माध्यम से प्रदान किया गया।

8. यूजीएमईबी ने यह निर्णय लिया है कि अब से ऑनलाइन सैद्धांतिक (theory) विषयों / कक्षाओं के साथ ऑफलाइन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल प्रशिक्षण के मुआवजे / पूरक से जुड़ा प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई विदेशी चिकित्सा स्नातक उनके द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अपने मूल विश्वविद्यालयों से दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रतिपूरक प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे थे। इसे सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15024 / 15 / 2024-यूजीएमईबी दिनांक 07 जून, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था कि जिन एफएमजी ने अपने पाठ्यक्रम पूरा होने के दौरान किसी भी अवधि के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया है, उन्हें एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उसके बाद दिनांक 09 मई, 2023 के परिपत्र तथा 07 दिसंबर, 2023 को अपलोड किए गए सार्वजनिक नोटिस के अनुसार दो/तीन वर्षों की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटरनशिप (CRMI) करनी होगी (जिसमें 12 महीनों का कार्यक्रम दोहराया जाएगा)।

9. सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15024 / 15 / 2024-यूजीएमईबी दिनांक 19 जून, 2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि वे सभी छात्र जिन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं के स्थान पर पर्याप्त रूप से भौतिक (ऑन-साइट) कक्षाओं के माध्यम से उनकी पूर्ति की है और बाद में भारत में एमबीबीएस के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, सीआरएमआई विनियम 2021 में निर्दिष्ट एक वर्ष की अनिवार्य इंटरनशिप के लिए पात्र होंगे।

10. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सभी 684 मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीटों का वार्षिक नवीनीकरण पूरा किया गया और सीट मैट्रिक्स को सार्वजनिक सूचना संख्या यू-15029/0812024-यूजीएमईबी दिनांक 16 अगस्त, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

11. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत विशेष रूप से धारा 10, 24, 25 और 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने योग्यता आधारित

चिकित्सा शिक्षा दिशानिर्देश, 2024 प्रकाशित किए तथा इसके साथ ही सीबीएमई विषय और सक्षमता खंड-1, 2 और 3 को सार्वजनिक सूचना संख्या डी-11011 / 500 / 2024 / एसी दिनांक 12 सितंबर, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किया।

12. 12 सितंबर, 2024 को प्रकाशित सीबीएमई दिशानिर्देश, 2024 पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण भी एनएमसी वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस संख्या डी11011/500/2024-अकादमिक सेल (ई-8284443) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई।

13. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष एमबीबीएस डिग्री में छात्रों के प्रवेश की ऑनलाइन प्रविष्टि से संबंधित जानकारी, एनएमसी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना संख्या यू-16011/परिपत्र/2024-25/ यूजीएमईबी/एम.सेल दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई।

14. नीट (यूजी) 2025 पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया और इसे 10 दिसंबर, 2024 को एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ताकि आम जनता के संदर्भ हेतु अध्ययन सामग्री की तैयारी करने और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नीट (यूजी) परीक्षाओं की तैयारी हो सके।

यूजीएमईबी में की गई गतिविधियों के मुख्य अंश

(क) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस सीटों का वार्षिक नवीनीकरण

ऑनलाइन एमएसएमईआर पोर्टल को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के अनुसार विकसित किया गया और यह शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से प्रभावी हुआ। इसे एमएसएमईआर-2023 विनियमों के अनुरूप सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक वार्षिक घोषणा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया।

इस पोर्टल के विकास का मुख्य उद्देश्य भौतिक मूल्यांकन की आवश्यकता को कम करना था, जिससे लागत में काफी कमी आए, रिपोर्टिंग में संभावित मानवीय भेदभाव समाप्त हो, और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।

इसके अतिरिक्त, नए विनियमों के अनुसार वार्षिक नवीनीकरण प्रक्रिया को पहली बार लागू करने के दौरान, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। संकाय, ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर्स तथा सीनियर रेजिडेंट्स की उपलब्धता का आकलन करते समय, न्यूनतम मानक आवश्यकताओं (एमएसआर)-2020 के अनुरूप अनुपालन को आधार माना गया और प्रक्रिया की संक्रमणकालीन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ कमियों को युक्तिसंगत सीमा तक अनदेखा कर दिया गया।

स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से 684 मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की स्व-घोषणाओं की जांच तथा वर्चुअल मूल्यांकन किया गया, जिसका राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	श्रेणी		
	सरकारी	निजी	कुल योग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	1
आंध्र प्रदेश	17	19	36
अरुणाचल प्रदेश	1	-	1
असम	12	-	12
बिहार	12	8	20
चंडीगढ़	1	-	1
छत्तीसगढ़	10	3	13
दादरा नगर हवेली	1	-	1
दिल्ली	7	2	9
गोवा	1	-	1
गुजरात	22	17	39
हरियाणा	6	9	15
हिमाचल प्रदेश	6	1	7
जम्मू एवं कश्मीर	10	1	11
झारखंड	6	2	8
कर्नाटक	24	46	70
केरल	12	21	33
मध्य प्रदेश	14	12	26
महाराष्ट्र	31	36	67
मणिपुर	3	1	4
मेघालय	1	-	1
मिज़ोरम	1	-	1
नागालैंड	1	-	1
ओडिशा	11	5	16
पुदुचेरी	1	7	8
पंजाब	4	7	11
राजस्थान	25	9	34
सिक्किम	-	1	1
तमिलनाडु	37	36	73
तेलंगाना	28	27	55
त्रिपुरा	1	1	2

राज्य	श्रेणी		
	सरकारी	निजी	कुल योग
उत्तर प्रदेश	33	32	65
उत्तराखंड	4	3	7
पश्चिम बंगाल	25	9	34
कुल योग	369	315	684

- कुल 684 कॉलेजों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई और एनएमसी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एमबीबीएस सीटों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और उनकी कमियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए।
- 76 कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए अपनी मौजूदा एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण की अनुमति दी गई थी, साथ ही यह भी चेतावनी दी गई थी कि वे अपनी कमियों को जल्द ही पूरा कर लें, जिसका दो-तीन महीने में पुनः सत्यापन/मूल्यांकन किया जाएगा।
- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 604 कॉलेजों को उनकी मौजूदा एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण की अनुमति यह शर्त रखते हुए दी गई थी, कि वे "एमएसएमईआर-2023 के अध्याय-3, खंड-8 के तहत दंड शीर्षक के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लगाए गए आर्थिक दंड का भुगतान करें और साथ ही, तथा दो-तीन महीनों के बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जिसमें मौजूदा कमियों के आधार पर उदार दृष्टिकोण अपनाया गया, जिनके कारण उनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता में कमी आवश्यक हुई।
- चार कॉलेजों (जीआर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर, सम्भरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोलार (दोनों कर्नाटक से), कन्नूर मेडिकल कॉलेज, कन्नूर, केरल और चिन्तपुरी मेडिकल कॉलेज (जिसका नाम परिवर्तित होकर द व्हाइट मेडिकल कॉलेज हो गया है), पठानकोट, गुरदासपुर, पंजाब को उनके पिछले रिकॉर्ड, मौजूदा बड़ी कमियों तथा उनके वार्षिक घोषणाओं पर विशेषज्ञों द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की गई।
- एक कॉलेज (मेजर एस डी सिंह मेडिकल कॉलेज, यूपी) ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उसे एमबीबीएस की किसी भी सीट की अनुमति नहीं है।
- सभी मेडिकल कॉलेजों को यह विकल्प दिया गया कि यदि कोई कॉलेज यूजीएमईबी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के अंदर अध्यक्ष, एनएमसी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) 2024-25 के दौरान स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु संकाय विकास कार्यक्रम

- वर्तमान में, नव-नियुक्त/अप्रशिक्षित चिकित्सा शिक्षकों की बढ़ती संख्या की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 नोडल केंद्र और 24 क्षेत्रीय कार्यरत केंद्र हैं। ये नोडल और क्षेत्रीय केंद्र यूजीएमईबी, एनएमसी के अकादमिक सेल के नेतृत्व में संकाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।
- किसी मेडिकल कॉलेज की पाठ्यक्रम समिति अपने कॉलेज में पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करती है, अर्थात् पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सपोर्ट प्रोग्राम (सीआईएसपी) का संचालन और चिकित्सा शिक्षा इकाई प्रशिक्षण सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे समय-सारिणी निर्धारण, चिकित्सा शिक्षा के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम और संकाय के अन्य आंतरिक प्रशिक्षण का संचालन, आदि
- मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न एफडीपी जैसे मेडिकल शिक्षा के लिए 3 दिन का बेसिक कोर्स (बीसीएमई); 2 दिन का पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सपोर्ट प्रोग्राम (सीआईएसपी) और मेडिकल शिक्षा में छह महीने की अवधि का एडवांस कोर्स (एसीएमई) के प्रतिभागियों को एनएमसी विनियमों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों के पूर्णकालिक शिक्षण संकाय होंगे। पीजीएमईबी टीईक्यू विनियमों के अनुसार, सहायक प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि उसे एनएमसी द्वारा नामित संस्थानों से बीसीएमई पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है।

01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान स्थापित क्षेत्रीय केंद्र

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम

चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीएमई) कार्यशालाओं का विवरण और प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की संख्या:

01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय/नोडल केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में कुल 591 बीसीएमई कार्यशालाएं आयोजित की गईं और लगभग 17,730 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

आयोजित पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सपोर्ट प्रोग्राम-III का विवरण तथा प्रशिक्षित किए गए संकाय सदस्यों की संख्या:

01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय/नोडल केंद्रों तथा मेडिकल कॉलेजों में कुल 255 सीआईएसपी-III कार्यशालाएं आयोजित की गईं और लगभग 7,650 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

चिकित्सा शिक्षा (एसीएमई) में आयोजित उन्नत पाठ्यक्रम का विवरण तथा प्रशिक्षित किए गए संकाय सदस्यों की संख्या:

01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान नोडल केंद्रों में कुल 28 नए एसीएमई पाठ्यक्रम (छह माह की अवधि) आयोजित किए गए और कुल 840 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस सीटों में प्रवेश

(i) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित विवरण, जिसे मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा एनएमसी पोर्टल पर अपलोड किया गया है:

1.	शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सरकारी और निजी कॉलेजों/संस्थानों (आईएनआई को छोड़कर) में एमबीबीएस सीटों की संख्या	1,15,486
2.	शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कार्यरत कॉलेजों/संस्थानों की संख्या है	754
3.	शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में विभिन्न कॉलेजों संस्थानों (एनएमसी के अधिकार क्षेत्र) में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशों की संख्या	1,15,301
4.	सरकारी कॉलेजों/स्थानों में एमबीबीएस प्रवेशों की संख्या	57,854
5.	निजी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस प्रवेशों की संख्या	57,447

2.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी)

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) ने भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और नियामक निगरानी को सुदृढ़ के उद्देश्य से कई रणनीतिक पहल (strategic initiatives) की है। ये उपाय बेहतर चिकित्सा प्रशिक्षण मानकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

देश में पीजी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए पीजीएमईबी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख विनियम और आवश्यकताएं जारी की गईं।

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (संशोधित पीजीएमएसआर-2023)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने पूरे भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता को बढ़ाने के लिए चल रहे अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, 23 अगस्त, 2024 को "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता" शीर्षक से एक व्यापक दस्तावेज जारी किया। ये संशोधित मानक चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक समान और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल है:

1. समर्पित शिक्षण अवसंरचना:

प्रत्येक विभाग में ऑडियो-विजुअल सुविधाओं वाला एक समर्पित शिक्षण कक्ष होना चाहिए ताकि प्रभावी नैदानिक मामलों की चर्चा और प्रदर्शनों की सुविधा मिल सके और जिसमें पर्याप्त संख्या में छात्रों को समायोजित किया जा सके।

2. संकाय की आवश्यकता और उपस्थिति :

संकाय पूर्णकालिक होना चाहिए और कॉलेज के घंटों के दौरान निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित हो। प्रत्येक विभाग में आवश्यक संख्या में संकाय के लिए कुल कार्य दिवसों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

3. इनपेशेंट बेड ऑक्यूपेंसी और क्रिटिकल केयर अवसंरचना:

पर्याप्त नैदानिक प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के कम से कम 80% बेड पर पूरे वर्ष रोगी होने चाहिए। इसके अलावा, कुल विभागीय बेड का कम से कम 15% आईसीयू/एचडीयू बेड होना चाहिए, विशेष रूप से संबंधित विशेषज्ञता के लिए।

4. अस्पताल भवन अनुपालन:

अस्पताल की बुनियादी अवसंरचना में सभी राष्ट्रीय और स्थानीय वैधानिक भवन मानदंड होने चाहिए और प्रशासन, रोगी देखभाल, निदान, आपातकालीन सेवाओं और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए व्यापक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5. कार्यभार और बेड की संख्या के अनुरूप संकाय और बुनियादी अवसंरचना का विस्तार:

रेडियो-डायग्नोसिस, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे विभागों को अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता या विभागीय कार्यभार में किसी भी वृद्धि के अनुरूप अपने संकाय, बुनियादी अवसंरचना और सहायक कर्मचारियों को आनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा।

6. प्रयोगशाला और इमेजिंग सुविधाएं:

संस्थानों को पूरी तरह कार्यात्मक, विभाग द्वारा संचालित इन-हाउस प्रयोगशाला और इमेजिंग सेवाओं को बनाए रखना चाहिए, जो नैदानिक प्रशिक्षण और अनुसंधान का समर्थन करने में सक्षम हो। इन प्रयोगशालाओं को व्यापक जांच सेवाएं प्रदान करने, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और अपनी तकनीक को नियमित रूप से अद्यतित करने की आवश्यकता होती है। कंपोनेंट थेरेपी में सक्षम एक सुसज्जित, वातानुकूलित ब्लड बैंक भी अनिवार्य है।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संबंध में वार्षिक घोषणा प्रतिवेदन (एडीआर)

चिकित्सा शिक्षा के मानकों के रखरखाव विनियम, 2023 (एमएसएमईआर-2023) के अनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए संबंधित नियामक बोर्डों को यथानिर्धारित वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

"अपनी स्थापना के बाद, मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान संबंधित बोर्ड को एक वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जो यूजीएमईबी या पीजीएमईबी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं (एमएसआर) और एनएमसी के विनियमों के अंतर्गत जैसा भी मामला हो, प्रदान की गई ऐसी शर्तों को पूरा करता है।"

तदनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी संस्थानों से वर्ष 2023 के लिए वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट मांगी। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख चरण शामिल थे:

1. रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों ने एमएसआर, संकाय की संख्या, बुनियादी अवसंरचना, अस्पताल सेवाओं, नैदानिक सामग्री, शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान आउटपुट और छात्रों की प्रगति के अनुपालन को शामिल करते हुए विस्तृत प्रकटन प्रस्तुत किए।

2. विशेषज्ञ पैनलों द्वारा जांच :

रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद, रिपोर्ट की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों और निरीक्षण दलों को आमंत्रित किया गया था। जांच प्रक्रिया को प्रस्तुतियों की तथ्यात्मक सटीकता को सत्यापित करने, गैर-अनुपालन के क्षेत्रों की पहचान करने और निर्धारित मानकों के पालन का आकलन करने के लिए बनाया गया था।

3. प्रमुख निष्कर्षों का सारांश:

- बड़ी संख्या में संस्थानों ने संकाय आवश्यकताओं और बुनियादी अवसंरचना के मानदंडों का पर्याप्त अनुपालन किया।
- कुछ संस्थानों को नैदानिक निष्पादन बढ़ाने और शिक्षण सुविधाओं को उन्नत करने की सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से अधिक छात्रों की संख्या वाले विभागों में।
- डिजिटल रिकॉर्ड रखने आईसीयू बेड आवंटन, और कुछ विशेष-विशिष्ट उपकरणों की उपलब्धता में कमियां देखी गईं।

- संकाय विकास, प्रयोगशाला सेवाओं के उन्नयन और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसंधान गतिविधियों के बेहतर एकीकरण के लिए समय-समय पर सिफारिशें की जाएंगी।

4. अनुवर्ती और अनुपालन निगरानी:

प्रमुख कमियों वाले चिन्हित संस्थानों को सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसके बाद अनुशंसित परिवर्तनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पुनः निरीक्षण निर्धारित किया जाएगा।

यह प्रक्रिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड संस्थानों को एमएसएमई-2023 के पूर्ण अनुपालन को प्राप्त करने में मदद करने के लिए निरंतर निगरानी और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण सार्वजनिक नोटिस:

1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम-2023 पर स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम-2023 (पीजीएमईआर-23) को अधिसूचित किया था, जिसे 01.01.2024 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी को बाद में पीजीएमईआर-23 के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुआ। तदनुसार, विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए संदेहों/प्रश्नों की विधिवत जांच की गई और 10.04.2024 को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) के रूप में बिंदुवार स्पष्टीकरण दिए गए।

2. शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता पर स्पष्टीकरण:

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) को स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशियलिटी छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए एक शर्त के रूप में शोध प्रबंध/थीसिस को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में विभिन्न स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने सार्वजनिक सूचना दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र ने एचओडी से शोध प्रबंध/थीसिस की स्वीकृति प्राप्त नहीं की है तो उसे परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता।

3. जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम (डीआरपी) के अंतर्गत स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों की अंतरराज्यीय तैनाती:

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने पाया था कि जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों की अंतरराज्यीय तैनाती के लिए डीन/प्रधानाचार्यों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने **सार्वजनिक सूचना दिनांक 13.02.2025** के माध्यम से स्पष्ट किया कि पीजीएमईआर-2023 के प्रावधानों के अनुसार, विशिष्टताओं के स्नातकोत्तर छात्रों, जहां प्रत्यक्ष रोगी देखभाल शामिल नहीं है, को जिला स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से उपलब्ध तरीकों से जिला स्वास्थ्य प्रणाली/जिला अस्पताल की टीमों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें नैदानिक/प्रयोगशाला सेवाओं, फार्मसी सेवाओं, फॉरेंसिक सेवाओं, सामान्य नैदानिक कर्तव्यों, प्रबंधकीय भूमिकाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि में जैसा भी लागू हो, में प्रशिक्षित किया जाएगा और योगदान दिया जाएगा। उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों की अनुसंधान इकाइयों/सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और फील्ड साइटों में भी तैनात किया जा सकता है। तदनुसार, किसी भी राज्य में सभी विशिष्टताओं में इस उद्देश्य के लिए छात्रों को तैनात करने के लिए व्यापक विकल्प है। इसलिए, अन्य राज्यों से अनुरोध करने की आवश्यकता दुर्लभ और केवल असाधारण परिस्थितियों में होनी चाहिए। यदि किसी राज्य को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है, तो आगे बढ़ने से पहले स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. एमएस (ट्रॉमेटोलॉजी एंड सर्जरी) को एम.सी एच विशिष्टताओं के लिए पात्र फीडर पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना:

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड ने **सार्वजनिक सूचना दिनांक 18.02.2025** के माध्यम से ट्रॉमेटोलॉजी और सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को 29 और 30 मार्च, 2025 को आयोजित एनईईटी-एसएस 2024 के लिए न्यूरोसर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी और प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी में एम.सी एच विशिष्टताओं के लिए अस्थायी रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमों, 2025", और भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशन के अधीन है। इसे छात्रों को कई अवसर प्रदान करने और सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक उन्नति की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें (01.04.2024 से 31.03.2025):

इस अवधि के दौरान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) को सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी निर्धारित नियमों/विनियमों के अनुसार विधिवत जाँच की गई। उनके समय पर निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024-25 में प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों की कुल संख्या	413
---	-----

(ङ) शिक्षक पात्रता योग्यता (टीईक्यू):

इस अवधि के दौरान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) को शिक्षक पात्रता योग्यता (टीईक्यू) मानदंडों के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी निर्धारित नियमों/विनियमों के अनुसार जांच की गई थी।

वर्ष 2024-25 में शिक्षक पात्रता की पुष्टि के लिए प्राप्त कुल मामलों की संख्या	449
वर्ष 2024-25 में शिक्षक पात्रता की पुष्टि के लिए निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	438
31.03.2025 तक शिक्षक पात्रता की पुष्टि के लिए लंबित मामलों की कुल संख्या	11

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट (एडीआर) का विवरण*

ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस)

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	विशेषज्ञ कमिटी द्वारा जांचे गए एडीआर की संख्या
1.	एनाटॉमी	298
2.	एनेस्थेसियोलॉजी	420
3.	सामुदायिक चिकित्सा	314
4.	डीवीएल(त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	333
5.	बायोकेमिस्ट्री	312
6.	सामान्य शल्य चिकित्सा	126
7.	सामान्य चिकित्सा	404
8.	ईएनटी(कान, नाक और गला रोग)	330
9.	हड्डी रोग	390
10.	ओबीजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	393
11.	फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी	149
12.	बाल रोग	393
13.	मनोचिकित्सा	311
14.	नेत्र विज्ञान	383
15.	विकृति विज्ञान	394
16.	माइक्रोबायोलॉजी	358
17.	फिजियोलॉजी	300
18.	विकिरण ऑन्कोलॉजी	92
कुल		5700

सुपर स्पेशियलिटीज (डीएम/एम.सीएच.)

क्र.सं.	स्पेशियलिटीका नाम	विशेषज्ञ कमिटी द्वारा जांचे गए एडीआर की संख्या
1.	कार्डियोलॉजी	121
2.	न्यूरोसर्जरी	100
3.	नेफ्रोलॉजी	67
4.	यूरोलॉजी	100
5.	पीडियाट्रिक सर्जरी	65
6.	प्लास्टिक और रपुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा	55
	कुल	508

* 31.03.2025 तक जांच किए गए एडीआर के आंकड़े

2.3 नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी)

क. नैतिकता प्रभाग

(i) " राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशवर आचरण) विनियम, 2023 " 03 अगस्त, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, उक्त विनियमों को 23 अगस्त, 2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा स्थगित रखा गया था। बाद में, इस मामले को 23 सितंबर, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की 16^{वीं} बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशवर आचरण) विनियम, 2023 को स्थगन से बाहर लाने के एनएमसी की स्वीकृति मांगी गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड उपरोक्त विनियमों को राय के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजेगा। इस मामले को कुछ प्रस्तावित संशोधनों के साथ विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था और आगे के विचार-विमर्श के लिए इसे अगली एनएमसी की बैठक से पहले प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) अनिरुद्ध नारायण मालपानी बनाम एनएमसी और अन्य की रिट याचिका के मामले में, याचिकाकर्ता ने कॉर्पोरेट अस्पतालों के साथ-साथ उनसे संबद्ध मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा अनैतिक विज्ञापन और काम के अवैध प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आग्रह के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जो वैधानिक नियमों का सीधा उल्लंघन है। देश में कारपोरेट अस्पतालों पर अनैतिक विज्ञापन और नैतिक विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में सिफारिश करने के लिए डॉ. योगेन्द्र मलिक, सदस्य, ईएमआरबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की मसौदा सिफारिशों को एनएमसी के सदस्यों के बीच उनके विचार और अनुमोदन के लिए ईमेल के माध्यम से परिचालित किया गया था।

(iii) कुछ राज्य चिकित्सा परिषदों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, ईएमआरबी ने एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 (धारा 54 के साथ पढ़ें) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों से संबंधित नीम हकीम रोथी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने

ईएमआरबी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इन सिफारिशों के आधार पर, मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए और अनुमोदन के लिए 23 सितंबर, 2024 को आयोजित एनएमसी की 16^{वीं} बैठक में प्रस्तुत किए गए। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि एनएमसी अर्थात् एसएमसी के बाहर अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान में ईएमआरबी में अध्यक्ष के साथ-साथ दो पूर्णकालिक सदस्यों के पद रिक्त हैं, इसलिए इन पदों के भरे जाने के बाद इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

(iv) उच्चतम न्यायालय के समक्ष राहिल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका के मामले में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई निजी अस्पताल रोगियों का व्यावसायिक रूप से शोषण कर रहे हैं और सम्मेलनों में लाइव सर्जरी प्रसारण के माध्यम से अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें मॉडल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तदनुसार, इस मामले पर एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, समिति की सिफारिशों को एनएमसी की 16^{वीं} बैठक में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, समय की कमी के कारण इस पर चर्चा नहीं की गई और एनएमसी की अगली बैठक में इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। बाद में, समिति की मसौदा सिफारिशों को एनएमसी के सदस्यों के बीच उनके विचार और अनुमोदन के लिए ईमेल के माध्यम से परिचालित किया गया।

(v) डॉक्टरों को चिकित्सा लापरवाही के विरुद्ध तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजन से बचाने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में अपने निर्णय में कहा कि कुछ दिशानिर्देशों को शामिल करने वाले नियमों या कार्यकारी निर्देशों को भारत सरकार और/या राज्य सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से जारी करने की आवश्यकता है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना था कि उतावलेपन या लापरवाही के आरोपी डॉक्टर को नियमित तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (सिर्फ इसलिए कि उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है)। माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, चिकित्सा लापरवाही के विरुद्ध तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजन से डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का मसौदा एनएमसी के समक्ष 23 सितंबर, 2024 को आयोजित 16^{वीं} बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में विस्तृत विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान में ईएमआरबी में अध्यक्ष के साथ-साथ दो पूर्णकालिक सदस्यों के पद रिक्त हैं, इसलिए इन पदों के भरे जाने के बाद इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

(vi) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान, राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्णय के विरुद्ध लगभग 92 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 45 अपीलों का निपटारा कर दिया गया है, जिनमें एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30(3) के अंतर्गत लौटाई गई अपीलें भी शामिल हैं।

ख. पंजीकरण प्रभाग

1. राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर):

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें नाम, पता, लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा प्राप्त सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य विवरण शामिल होंगे। उसी के अनुसरण में, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) से संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा का लाइसेंस 2023 विनियमन 10.05.2023 को प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा, एनएमआर पोर्टल माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 23.08.2024 को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के रूप में केंद्रीकृत वेब आधारित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भारत में सभी एलोपैथिक, पंजीकृत मेडिकल डॉक्टरों का एक गतिशील डेटाबेस है, जो चिकित्सा पेशेवर के डेटा को कैप्चर करेगा। राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है।

भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (आईएमआर) एनएमसी द्वारा बनाए रखा जाता है जिसका रखरखाव आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईएमसी) द्वारा किया जा रहा था। उक्त उपबंधों के अनुसार, परिषद निर्धारित तरीके से मेडिकल प्रैक्टिशनर के एक रजिस्टर को भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (आईएमआर) के रूप में जाना जाएगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जो किसी भी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनके पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है। सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामांकन के संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को सूचना प्रदान करनी होती है। राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना/आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मेडिकल प्रैक्टिशनर के ब्यौरे के साथ भारतीय चिकित्सा रजिस्टर को अद्यतन करता है।

पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के आधार विवरण के साथ आईएमआर डेटा को सत्यापित किए जाने के बाद मौजूदा आईएमआर डेटा को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(2) भारतीय चिकित्सा रजिस्टर प्रमाणपत्र प्रदान करना:

आईएमसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (आईएमआर) का प्रमाणपत्र जारी करता है और इस तरह के प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने विभिन्न आवेदकों के संबंध में 36 आईएमआर प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जिनके नाम आईएमआर पर लिखे गए हैं। आईएमआर के अनुरक्षण की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया के अनुसार आईएमआर में मौजूदा ब्यौरे को संबंधितों से सत्यापन होने पर अद्यतन और सुधार भी किया जाता है।

(3) अतिरिक्त योग्यताओं का पंजीकरण:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 61 (2) के साथ पठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 26 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय रजिस्टर में

लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं शामिल होंगी। इसलिए, अतिरिक्त योग्यता (ब्रॉड और सुपर-स्पेशियलिटी) योग्यता का पंजीकरण उस व्यक्ति के संबंध में प्रदान किया जाता है जिसका नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है और जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है जो आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार आईएमसी अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल है। एनएमसी ने 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान, 628 उम्मीदवारों के संबंध में अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण की अनुमति दी है, जिनके नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किए गए थे और जिनके पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता भी है।

(4) विदेशी राष्ट्रीय डाक्टरों के संबंध में अस्थायी पंजीकरण/ अनुमति प्रदान करना:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 (1) के प्रावधान के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक विदेशी नागरिक जो उस देश में मेडिकल प्रैक्टिशनर के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार अपने देश में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकित है, उसे ऐसी अवधि के लिए और इस तरह से भारत में अस्थायी पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एनएमसी ने 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान, उक्त उद्देश्यों के लिए 716 विदेशी मेडिकल प्रैक्टिशनर के संबंध में अस्थायी पंजीकरण/अनुमति प्रदान की है।

(5) पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना और पुष्टि:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 61 (2) के साथ पठित आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 और 13 (4 बी) के अनुसार, 15 मार्च, 2002 को या उसके बाद देश के बाहर किसी चिकित्सा संस्थान से कोई प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय नागरिक/प्रवासी भारत के नागरिक को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। हालांकि, 05.06.2019 के बाद विदेशी चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस या समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए इसी प्राप्त करने की उक्त आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। वे आवेदक केवल नीट उत्तीर्ण होने पर प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं।

तदनुसार, 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 3139 आवेदकों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया है, जिन्होंने देश के बाहर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस या समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने विभिन्न संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को 5831 आवेदकों के संबंध में उक्त अवधि के दौरान पात्रता प्रमाणपत्र की पुष्टि की है, जिन्होंने पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग) में प्रवेश से एमबीबीएस अथवा देश के बाहर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(6) अच्छी स्थिति (गुड स्टैंडिंग) प्रमाणपत्र प्रदान करना:

प्रचलित नीति के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग उन डॉक्टरों के संबंध में अच्छी स्थिति (गुड स्टैंडिंग) का प्रमाणपत्र जारी करता है जो पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद के रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनका नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (आईएमआर) में है। 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उन डॉक्टरों के संबंध में अच्छी स्थिति के 358 प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जिनका नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में है।

01.04.2024 से 31.03.2025 तक जारी विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र

क्र.सं.	प्रमाणपत्र के प्रकार	जारी प्रमाणपत्र
1.	नया पात्रता प्रमाणपत्र	3139
2.	पात्रता प्रमाण-पत्रों की पुष्टि	5831
3.	आईएमआर प्रमाणपत्र	36
4.	अच्छी स्थिति (गुड स्टैंडिंग) प्रमाणपत्र	358
5.	अतिरिक्त योग्यता	628
6.	अस्थायी पंजीकरण	716

2.4 चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी)

पृष्ठभूमि

चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत गठित चार स्वायत्त बोर्डों में से एक है। एमएआरबी को स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, सीटों में वृद्धि और अधिसूचित विनियमों के अनुसार मौजूदा पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अधिदेश और वैधानिक कार्य:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 26 और 28 के संदर्भ में, एमएआरबी के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग
- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना
- नए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति
- मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की अनुमति
- मौजूदा संस्थानों के लिए अनुमतियों का नवीनीकरण/निरंतरता
- निरीक्षण और मूल्यांकन का संचालन

- अनुमति-पत्र (एलओपी) और अस्वीकृति-पत्र (एलओडी) जारी करना

शैक्षणिक वर्ष के दौरान गतिविधियों का अवलोकन

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान, एमएआरबी ने एनएमसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल (स्नातक+स्नातकोत्तर) आवेदनों को संसाधित किया। आवेदनों का मूल्यांकन यूजीएमएसआर, पीजीएमएसआर और एनएमसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य विनियमों के अनुसार किया गया।

मूल्यांकन प्रक्रिया में आवेदनों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निरीक्षण/मूल्यांकन, अनुपालन रिपोर्टों का मूल्यांकन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय शामिल था।

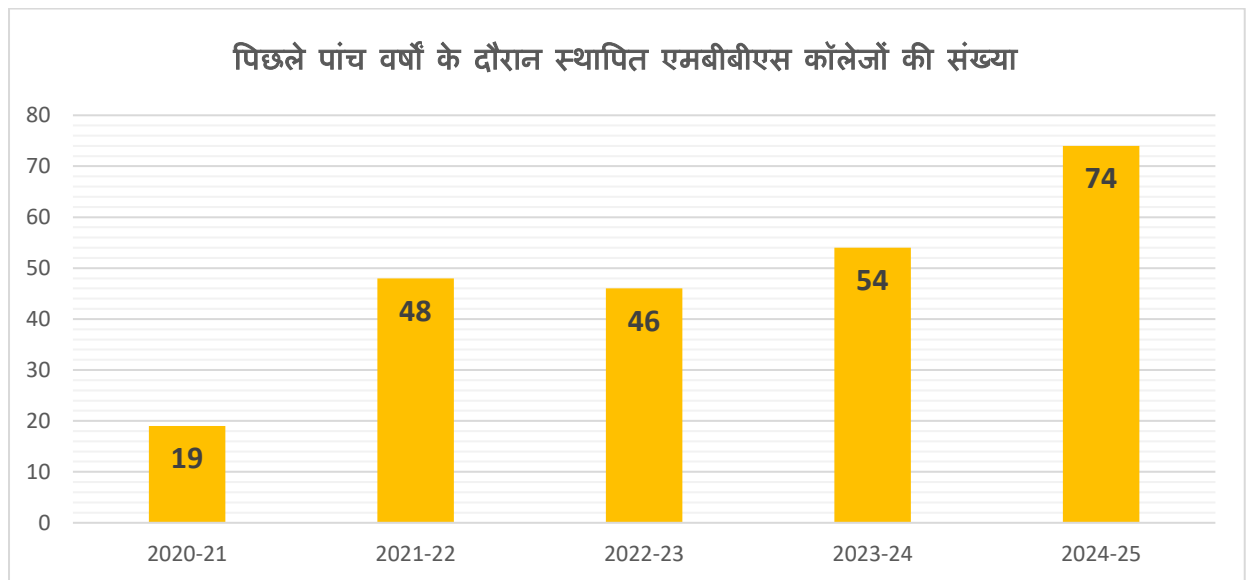
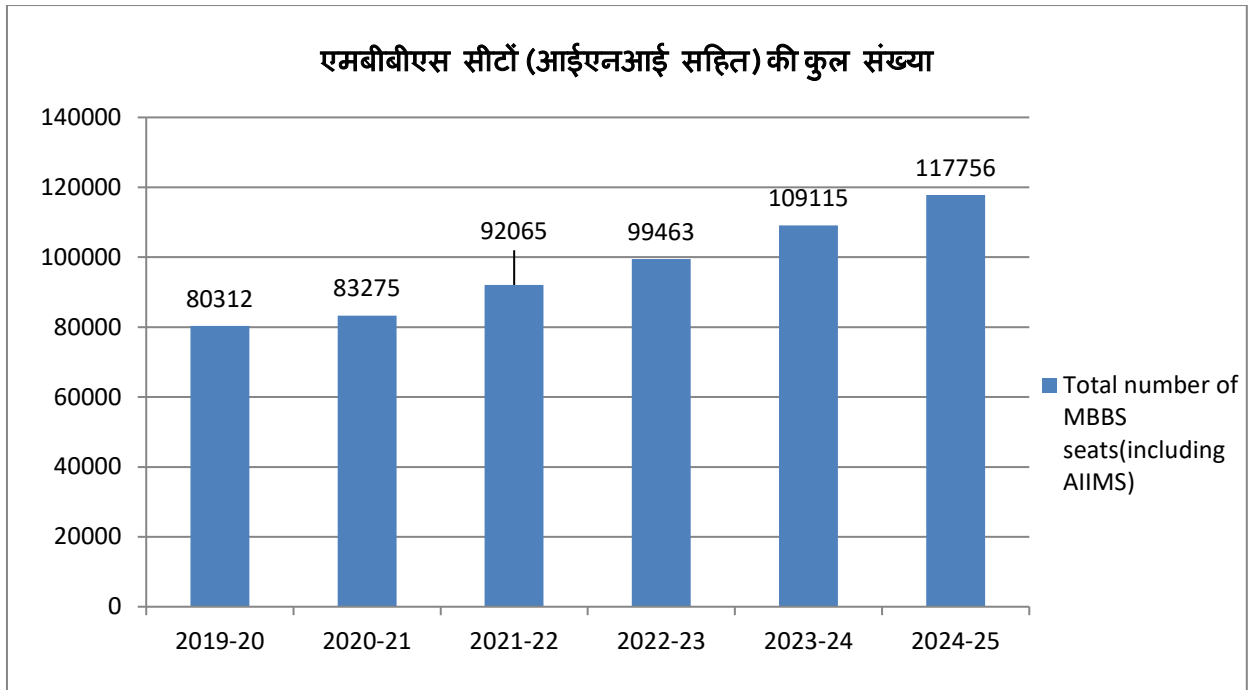
शैक्षणिक वर्षवार प्रदर्शन

तालिका 1: शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संसाधित आवेदन

क्र.सं.	आवेदन की श्रेणी	प्राप्त कुल आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1.	नए मेडिकल कॉलेजों (यूजी) की स्थापना का प्रस्ताव	112	74
2.	वर्तमान मेडिकल कॉलेजों (यूजी) सीटों में वृद्धि के प्रस्ताव	58	32
3.	नए पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और मौजूदा पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव	1676	1010

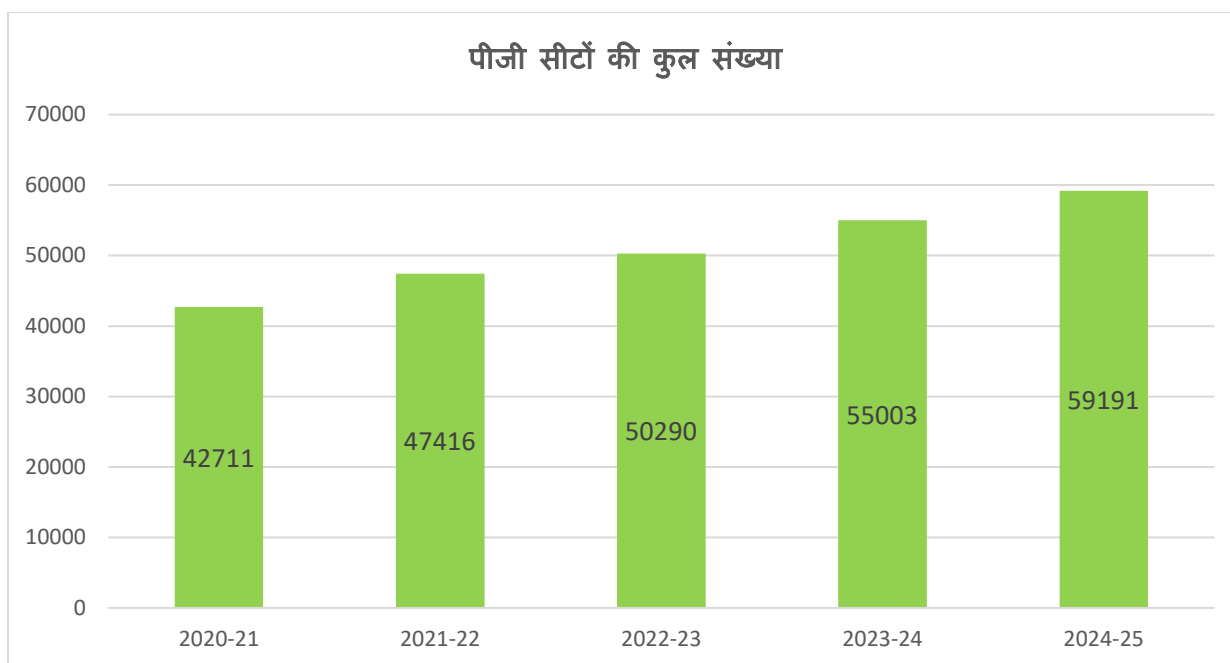
तालिका-2: पिछले पांच शैक्षणिक वर्षों (आईएनआई सहित) के दौरान नए एमबीबीएस कॉलेजों की स्थापना और एमबीबीएस सीटों की संख्या के ट्रेंड;

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष	एमबीबीएस कॉलेजों की संख्या और एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि (शैक्षणिक वर्ष के अनुसार)		देश में एमबीबीएस कॉलेजों की कुल संख्या और एमबीबीएस सीटों की संख्या	
		कॉलेजों की संख्या	सीटों की संख्या	कॉलेज	सीटें
1.	2019-20	-	-	539	80312
2.	2020-21	19	2963	558	83275
3.	2021-22	48	8790	606	92065
4.	2022-23	46	7398	652	99463
5.	2023-24	54	9652	706	109115
6.	2024-25	74	8641	780	117756



तालिका-3: देश में 2020-21 से 2024-25 के दौरान पीजी सीटों में वृद्धि के ट्रेंड से संबंधित आंकड़े;

शैक्षणिक वर्ष	स्वीकृत सीटें	कुल सीटें
2020-21	4983	42711
2021-22	4705	47416
2022-23	2874	50290
2023-24	4713	55003
2024-25	4188	59191



मेडिकल कॉलेजों की बुनियादी अवसंरचना, नैदानिक कार्यभार और समग्र कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए मेडिकल कॉलेजों का भौतिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 215 भौतिक मूल्यांकन किए गए।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 तक, एमएआरबी, एनएमसी ने 59,191 स्नातकोत्तर सीटों [34,874 सीटें (सरकारी कॉलेज) और 24,317 सीटें (निजी कॉलेज)] की स्वीकृति दी है।

3.0 चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनएमसी की पहल

चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

एमबीबीएस छात्रों के लिए संशोधित योग्यता आधारित स्नातक पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रभावी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सूचित लिखित सहमति के अधीन शिक्षा के सभी तीन क्षेत्रों (संज्ञानात्मक, प्रभावी और साइकोमोटर) को शामिल करना है।

नया पाठ्यक्रम चिकित्सा छात्रों को एक मजबूत आधार और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें समग्र पहलू के साथ बुनियादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत योगा, मेडिटेशन, स्थानीय भाषा सीखना और कौशल शामिल है। पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) की पाठ्यचर्या समिति ने चरण-I, चरण-II और चरण-III विषयों के बुनियादी ज्ञान को संरक्षित और एकीकृत किया है। प्रारंभिक नैदानिक एक्सपोजर, एईटीसीओएम (एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन) मॉड्यूल, समस्या आधारित शिक्षा, डोमेन वार शिक्षा और प्रकटन, बुनियादी अनुसंधान में रुचि के विकास से इन युवा स्नातकों के लिए सकारात्मक प्रभाव और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है। संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) वर्ष 2009 से चल रहे हैं।

अप्रैल 2023 में यूजीएमईबी द्वारा एफडीपी का सुधार और संरेखण किया गया था। इस प्रकार, संशोधित बेसिक पाठ्यक्रम कार्यशाला (आरबीसीडब्ल्यू) को 3 दिनों के चिकित्सा शिक्षा में बेसिक पाठ्यक्रम (बीसीएमई) में संशोधित किया गया है, और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा में एडवांस्ड पाठ्यक्रम (एसीएमई) को मूल 1 वर्ष के पाठ्यक्रम से 6 महीने तक सीमित कर दिया गया है। चरण 3 के विषयों के प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या कार्यान्वयन सहायता कार्यक्रम-III (सीआईएसपी-III) को जोड़ा गया है।

मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की शिक्षा को उन्नत करने और बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसलिए पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने शीर्ष 10 नोडल केंद्रों का गठन किया था जिसके अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 12 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे। यूजीएमईबी ने इस क्षमता को बढ़ाकर देश में 12 नोडल केंद्रों और 23 क्षेत्रीय केंद्रों तक समान रूप से वितरित किया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र को 12 से 20 मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षण संकाय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रत्येक नोडल केंद्र के अंतर्गत लगभग 50 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। कुछ क्षेत्रीय केंद्रों को नोडल केंद्रों में अपग्रेड करने की योजना है, ताकि संकाय के प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक पाठ्यचर्या समिति और एक चिकित्सा शिक्षा इकाई भी होना आवश्यक है। पहला छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम का ध्यान रखता है और दूसरा संकाय के शैक्षिक कार्यक्रम का ध्यान रखता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 651 स्नातक मेडिकल कॉलेजों और 67 स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों को शामिल किया गया है। इसे एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में अपग्रेड किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा को और अधिक मितव्ययी बनाने की पहल

चिकित्सा शिक्षा को और अधिक मितव्ययी बनाने के लिए एनएमसी का इरादा मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने का है, इस प्रकार अधिक छात्रों को चिकित्सा पेशा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- भारत में चिकित्सा शिक्षा की लागत एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसलिए, 2020 की शुरुआत में, कई शुल्क विनियमों की घोषणा की गई, क्योंकि निजी कॉलेजों में उच्च शुल्क संरचना ज्यादा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए आगे अध्ययन करना असंभव हो जाता है। प्रस्तावित मानदंडों में निजी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50% एमबीबीएस और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए ट्यूशन फीस की सीमा तय की जाएगी। (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी, 2022)

- केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले में सरकार द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है ताकि कम कीमत पर मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि की जा सके।

- एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता में ढील दी है। एनएमसी ने सामान्य क्षेत्रों के लिए 20 एकड़ और महानगरों के लिए 10 एकड़ भूमि रखने के आदेश को हटा दिया।

- नया एमएसआर 2023 बेड, विभाग और संकाय पदों की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यकताओं को और अधिक सरल बनाता है।

नई पहल

एनएमसी के गठन के बाद से, आयोग ने उसे दिए गए काम को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

- i. अधिनियम के अनुसार, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4 बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए एक 3 स्तरीय अपीलीय तंत्र है:-

क. पहली अपील - एनएमसी

ख. दूसरी अपील - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ग. अकेले ईएमआरबी के लिए, पहली अपील राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध बोर्ड के पास है, और दूसरी अपील एनएमसी के पास है।

ii. देश में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की 1 लाख सीटों का लक्ष्य पूरा हो चुका है।

iii. यूजीएमईबी के फाउंडेशन पाठ्यक्रम में 10 दिनों का योग मॉड्यूल पेश किया गया है।

iv. सभी स्नातक मेडिकल कॉलेजों में योग्यता आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया है और इसे 98 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी लागू किया गया है।

v. पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में आधुनिक चिकित्सा/एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है।

vi. भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए एनएमआर ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त, 2024 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया। एनएमआर भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) डॉक्टरों के लिए एक गतिशील डेटाबेस होगा।

vii. पंजीकरण प्रभाग ने सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.08.2024 के माध्यम से देश के किसी भी संस्थान/अस्पताल द्वारा प्रायोजित विदेशी व्यक्तियों को अस्थायी पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश जारी किए और 23.08.2023 को अपने पहले के कार्यालय परामर्श को दाखिल किया, जिसके माध्यम से प्रायोजकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि पंजीकृत अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा चलाए जा रहे फेलोशिप

कार्यक्रमों का विवरण विधिवत उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए साथ ही पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, अवधि, प्रशिक्षण सुविधाएं, शिक्षण, संकाय ब्यौरे (सक्रिय पंजीकरण संख्या के साथ), अवसंरचना सुविधाएं और संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस आदि से संबंधित सूचना भी दी जाए। इसके अलावा, प्रायोजकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रिया करते समय ईएमआरबी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा ऑनलाइन समीक्षा के लिए पंजीकृत अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/संस्थान की वेबसाइट पर सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हों, ऐसा न करने पर फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए अस्थायी पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी हो सकती है और आवेदन की अस्वीकृति होने का भी एक कारण हो सकता है और इस प्रकार के अस्वीकरण की पूरी जिम्मेदारी प्रायोजक संस्थान की होगी।

4.0 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की डिजिटल गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान डिजिटल प्रौद्योगिकियों को निरंतर अपनाने के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के अपने जनादेश को आगे बढ़ाना जारी रखा। इन पहलों को प्रभावी नियामक निरीक्षण को सक्षम करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और आयोग के दायरे में आने वाले मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

1. आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

संकाय सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और उपलब्धता निश्चित करने और दोहरे या घोखाधड़ी से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किया है। प्रणाली को पूरी तरह से आधार-सक्षम फेस बेस्ड मोबाइल उपस्थिति एप्लीकेशन में बदल दिया गया है। इस बदलाव ने कृत्रिम साधनों के माध्यम से छद्म उपस्थिति और अन्य गड़बड़ियों जैसी चिंताओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया है। आधार-आधारित पंजीकरण डुप्लिकेट नामांकन को रोकता है और उपस्थिति रिकॉर्ड की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। संकाय सदस्यों, ट्यूटर्स, डेमोस्ट्रेटर्स और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रणाली एक सुदृढ़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड से समर्थित, सुरक्षित और ऐसा उपस्थिति डेटा बनाता है जिसे नकारा न जा सके। ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के ज़रिए अतिरिक्त सुरक्षा निश्चित की जाती है, जिससे भरोसेमंद मॉनिटरिंग और जानकारी के साथ नियामक करवाई हो पाती है।

वित्तीय-वर्ष 2024-25 के दौरान आईबीएस के लिए ऑन-बोर्ड किए गए कॉलेजों की संख्या 74 है। आईबीएस के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग डोमेन पर उपस्थिति लगाने वाले यूजर्स/कर्मचारियों की संख्या 353428 (24 अप्रैल) से बढ़कर 423832 (25 मार्च) हो गई।

2. डिजिटल मोड मिशन परियोजना-II (सीसीटीवी-आधारित निगरानी)

डिजिटल मोड मिशन परियोजना-II के अंतर्गत, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों और इंस्टीट्यूट में ज़रूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर इंस्टीट्यूशनल निगरानी को सुदृढ़ किया है। ये सीसीटीवी प्रणाली राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के केंद्रीय कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ एकीकृत है, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो पाती है।

मॉनिटरिंग, रिव्यू और इंस्टीट्यूशनल मूल्यांकन के प्रयोजन से प्राधिकृत अधिकारियों को नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के ज़रिए लाइव वीडियो फ़ीड तक सुरक्षित एक्सेस दिया जाता है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी है, नियामक मानदंडों का पालन बेहतर हुआ है और चिकित्सा संस्थान के पूरे मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने मार्च 2024 में नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लागू करने के बारे में एक एडवाइज़री जारी की थी। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, कॉलेजों को नियमित फ़ॉलो-अप, समन्वय और सहायता दी गई और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लागू अर्थात कुल मिले नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 292 से बढ़कर 493 कॉलेज हो गए हैं। अधिकांश कॉलेज अब एनएमसी अनुपालन को पूरा कर रहे हैं।



3. ई-कार्यालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ई-कार्यालय प्रणाली पूरी तरह से चालू हो गई है और सभी कार्यालयी कार्य डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। ई-कार्यालय को अपनाने से आंतरिक प्रक्रिया सुगम हुई है, रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर हुआ है, और विभागों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है।

19 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मुख्य भवन के सुश्रुत हॉल, पहली मंज़िल पर ई-कार्यालय प्लेटफॉर्म पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण मुख्यतः राष्ट्रीय

आयुर्विज्ञान आयोग के पीजीएमईबी से नए जुड़े कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। ई-कार्यालय प्रशिक्षण सत्र में हैड्स-ऑन ट्रेनिंग के साथ-साथ ई-कार्यालय प्रणाली के सभी अनिवार्य विशेषताओं और कार्यक्षमताओं को पूरी तरह से शामिल किया गया और प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान सक्रिय रूप से जुड़े रहे और प्रणाली की क्षमताओं, जिसमें दस्तावेज प्रबंधन और वर्कफ्लो स्वचालन शामिल हैं, की पूरी समझ प्राप्त हुई और उठाए गए सभी प्रश्नों का तुरंत समाधान किया गया।



इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों और हितधारकों (स्टैकहोल्डर) के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और अपील की सुनवाई नियमित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए होती है। इन उपायों से टर्नअराउंड टाइम काफी कम हो गया है, एक्सेसिबिलिटी बेहतर हुई है, और अपील का तेज़ी से और ज़्यादा असरदार तरीके से निपटारा हुआ है।

4. वार्षिक घोषणा रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल

स्नातक पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक घोषणा रिपोर्ट पहले हर मेडिकल कॉलेज मैनुअली भरता था, जिसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके डिजिटल मोड पर लाया गया।

5. विधि प्रभाग

विधि अनुभाग आयोग संबंधित भारी मात्रा में वाद-विवाद (मुकदमों) का प्रबंधन करता है। समीक्षाधीन अवधि अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के लिए, आयोग को 1,321 नए मामले प्राप्त हुए और 441 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा 09 अपील दायर की गई है। 02 जनवरी, 2026 तक विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित मामलों की कुल संख्या 5061 है।

आमतौर पर, चिकित्सा शिक्षा या आधुनिक चिकित्सा के प्रैक्टिस से संबंधित किसी भी मामले में, आयोग को माननीय न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष एक पक्ष के रूप में पेश किया जाता है। जिन विषयों पर बड़ी संख्या में मामले प्राप्त होते हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश; मेडिकल कॉलेजों में संकाय की नियुक्ति; कॉलेजों में गैर-चिकित्सा संकायों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में दिव्यांग लोगों का दाखिला; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर छात्रों का डिस्चार्ज; पात्रता प्रमाणपत्र; कर्मचारियों से सम्बद्ध; नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना; परीक्षा से सम्बद्ध; फीस से सम्बद्ध; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की बढ़ोतरी; मेडिकल लापरवाही; मेडिकल छात्र का माइग्रेशन; राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश-परीक्षा से संबंधित; स्थायी पंजीकरण; प्रोविजनल पंजीकरण; जनहित विवाद; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करना; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता; अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण; विदेशी चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण; चिकित्सा रजिस्टर से नाम हटाना; मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति का नवीकरण; स्क्रीनिंग टेस्ट से जुड़ा; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना; स्नातक/स्नातकोत्तर दाखिला की समय-सारणी; स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की स्वीकृति वापस लेना; एमबीबीएस की मान्यता वापस लेना; आदि।

आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार, विभिन्न अदालतों और ट्रिब्यूनल में निम्नलिखित संख्या में मामले लंबित हैं:

क्र.सं.	माननीय न्यायालय/ट्रिब्यूनल का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	422
2	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	305
3	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	297
4	तेलंगाना उच्च न्यायालय	149
5	बॉम्बे उच्च न्यायालय	344
6	कलकत्ता उच्च न्यायालय	315
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	96
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	395
9	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	13
10	गुजरात उच्च न्यायालय	62
11	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	13
12	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	37
13	झारखंड उच्च न्यायालय	11
14	कर्नाटक उच्च न्यायालय	344
15	केरल उच्च न्यायालय	286
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	188

क्र.सं.	माननीय न्यायालय/ट्रिब्यूनल का नाम	लंबित मामलों की संख्या
17	मद्रास उच्च न्यायालय	458
18	मणिपुर उच्च न्यायालय	11
19	मेघालय उच्च न्यायालय	2
20	उड़ीसा उच्च न्यायालय	49
21	पटना उच्च न्यायालय	93
22	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	124
23	राजस्थान उच्च न्यायालय	455
24	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	0
25	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	48
26	अन्यफोरम (ट्रिब्यूनल, जिला न्यायालय, आयोग आदि)	544
कुल		5,061

6. सतर्कता प्रभाग

अवलोकन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सतर्कता प्रभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता से जुड़े सभी मामलों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष के सलाहकार के तौर पर काम करते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं।

सतर्कता प्रभाग मुख्य रूप से आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निवारक सतर्कता पर ध्यान करता है। जहां निवारक उपायों से वांछित परिणाम नहीं मिलता, वहां मौजूदा नियमों और निर्देशों के अनुसार सजा देने वाले और जासूसी सतर्कता प्रणाली लागू की जाती है। सतर्कता प्रभाग का मुख्य प्रयोजन भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, गलत कार्य को रोकना और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में प्रणाली और प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।

सतर्कता प्रभाग के मुख्य कार्य

सतर्कता प्रभाग के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के राजपत्रित और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता दृष्टि वाली शिकायतों की जांच और उन पर की गई कार्रवाई की प्रगति को मॉनिटर करना।
- कमियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपनाई गई प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा और जांच करना।

- भ्रष्टाचार वाले और संवेदनशील कार्यों को चिन्हित करना और भ्रष्टाचार और गलत कार्यों की संभावना कम करने के लिए सुधार के उपाय सुझाना।
- संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करना।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ सलाह करके सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची तैयार करना और समय-समय पर अद्यतित करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देश और विनिर्देश को लागू करना, जिसमें सतर्कता मैनुअल और उसके बाद के संशोधित शामिल हैं।
- अनुशासनिक कार्यवाही सहित सभी स्तर पर सतर्कता मामलों पर तेजी से करवाई सुनिश्चित करना।
- अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों की जांच, ताकि जहाँ आवश्यक हो, पुनर्विचार की आवश्यकता का परीक्षण किया जा सके।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए या उसके द्वारा उठाए गए मामलों की जांच में मदद करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी सतर्कता मामलों में, विशेषकर सेवा-निवृत्ति के निकट अधिकारियों से संबंधित मामलों में, विलंबकारी दृष्टिकोण न अपनाएँ।

2024-25 के दौरान की गई निवारक सतर्कता पहल

वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रभाग ने निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार पर ज़्यादा ज़ोर दिया। मुख्य पहलों में एडवाइज़री जारी करना शामिल था।

- वर्गीकृत और संवेदनशील दस्तावेजों को हैडल करना, जिसमें गोपनीय रिकॉर्ड को ले जाना और उनकी अभिरक्षा शामिल है।
- साइबर सिक्योरिटी और साइबर एलिमेंट्स से जुड़े मामले, जिसमें सरकारी डेटा और डिजिटल परिसंपत्ति को सुरक्षित रखने पर ज़ोर दिया जाता है।
- सरकारी ई-मेल आईडी और पासवर्ड की मॉनिटरिंग और उनका सुरक्षित प्रयोग।
- अभिलेखों का उचित रखरखाव और निराकरण (राइट ऑफ), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड प्रतिधारण सारणी तथा कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार।

इन उपायों से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के विभिन्न प्रभागों और बोर्डों में जागरूकता वृद्धि, कार्य-प्रणालियों का मानकीकरण तथा प्रक्रियागत कमज़ोरियों में कमी आई।

सतर्कता शिकायतों का प्रसंस्करण

आम जनता, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और दूसरे साधनों से मिली कुल 98 शिकायतों की जांच की गई और उन्हें तय सतर्कता प्रक्रिया के अनुरूप प्रतिवर्ष वर्ष 2024 में सही

नतीजे तक पहुंचाया गया। सतर्कता प्रभाग ने शिकायतों की समय पर जांच और निपटारा नियत किया, जिसमें पूरी सावधानी और प्राकृत न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया।

सतर्कता जागरूकता अभियान और सप्ताह, 2024

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सतर्कता जागरूकता अभियान और सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 मनाया, जिसका विषय था:

“राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति”

सतर्कता प्रभाग ने आयोग के अधिकारियों और स्टाफ के बीच नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य-कलाप का आयोजन एवं समन्वय किया:

- अभियान शुरू होने पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग वेबसाइट पर अध्यक्ष और मुख्य सतर्कता अधिकारी के संदेश प्रचारित करना।
- सत्यनिष्ठा से जुड़े विषयों पर स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और निबंध लिखने जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करना। कुल 137 प्रविष्टि मिलीं, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कर्मचारियों के उत्साह को दर्शाती हैं।
- कार्यशाला और सम्बेदनशील कार्यक्रम, जिसमें सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा निवारक सतर्कता, नैतिकता और मामला अध्ययन पर तीन दिन की व्याख्यान श्रृंखला शामिल थी।
- सतर्कता जागरूकता और नैतिक आचरण को सुदृढ़ करने के लिए एनएमसी परिसर में बैनर, पोस्टर, स्टैंडीज एवं उद्धरणों का प्रदर्शन।
- पुरस्कार वितरण समारोह, जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए।
- सत्यनिष्ठा की शपथ, जिसे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा वर्चुअली दिलाया गया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कुल 192 कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

इन कार्यकलापों से आयोग में सत्यनिष्ठा और नैतिक सुशासन के प्रति जागरूकता, प्रतिभागिता और प्रतिबद्धता बढ़ी।

समग्र प्रभाव

निवारक सतर्कता उपायों, दिशा-निर्देशों के निर्गमन, क्षमता-विकास पहलों तथा जागरूकता अभियानों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से, सतर्कता प्रभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कार्यकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

7. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने अलग-अलग स्तर पर सूचना का अधिकार मामलों को इकट्ठा करने और मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित बोर्ड/अनुभाग को सूचना का अधिकार आवेदन भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सूचना का अधिकार मामलों को सुलझाने के लिए अलग-अलग बोर्ड/अनुभागों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) भी नियुक्त किए हैं।

1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक आरटीआई / अपील आवेदनों का रिकॉर्ड:

क्र.सं.	आवेदन का प्रकार	प्राप्त कुल आरटीआई/ प्रथम अपील	धारा 6 (3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित आवेदनों की संख्या	निस्तारित आरटीआई/ प्रथम अपीलों की कुल संख्या	सीआईसी मामले
1	आरटीआई	5,215	504	4,801	
2	अपील	723	-	566	
3	सीआईसी मामले	-	-	-	102
कुल		5,938	504	5,367	102

आरटीआई अपील 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक

आरटीआई अपील	प्राप्त	निस्तारित	लंबित
कुल	723	566	157

8. सामान्य प्रशासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सभी विभाग और अनुभाग को पूरी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है। अनुभाग के मुख्य कार्यों में सामान खरीदना, आधिकारिक कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अवसंरचना का रखरखाव, और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन शामिल है।

सामान्य प्रशासन अनुभाग, आईटी परिसंपत्तियों, कार्यालय स्टेशनरी, दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए उपभोग्य सामग्रियों की खरीद और एनएमसी के विभिन्न विभागों और अनुभागों में उनके समय पर वितरण के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग की आंतरिक और बाहरी दोनों बैठकों के आयोजन के लिए पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, अनुभाग आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं के संचालन, रखरखाव और आवधिक लेखापरीक्षण की देखरेख करता है; जिसमें जनरेटर सेट, एयर कंडीशनिंग प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली और लिफ्ट शामिल हैं। यूनिट कैंटीन, गेस्ट हाउस, उद्यानों के कुशल कामकाज और एनएमसी परिसर के भीतर सुरक्षा के उच्च मानक सुनिश्चित करने का प्रबंधन भी सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता है।

यह अनुभाग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की परिवहन आवश्यकताओं का प्रबंधन और पूर्ति करता है। बुनियादी नागरिक सुविधाओं के निर्बाध प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड जैसी नागरिक एजेंसियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है।

वर्ष के दौरान सामान्य प्रशासन अनुभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार की एनएमसी के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की सफल यात्रा थी, जिसमें सभी संबंधित कार्यक्रमों के निर्बाध समन्वय और सुचारु संचालन हुआ। एनएमसी परिसर में भगवान धन्वंतरि की मूर्ति का भी अनावरण किया गया।

9. वित्त एवं लेखा

9.1. परिचय

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का वित्त और लेखा प्रभाग आयोग के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और उसके खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग आयोग के **वार्षिक लेखा विवरण** तैयार करता है और एनएमसी के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न बोर्डों के खातों का प्रबंधन करता है। यह विभिन्न प्रभागों और बोर्डों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर वित्तीय सलाह प्रदान करता है, जिनका वित्तीय प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, या जहाँ संविदात्मक प्रावधानों में छूट की आवश्यकता है। इन कार्यों को करते समय, यह प्रभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी वित्तीय परिचालन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम के प्रावधानों, लागू वित्तीय नियमों तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित हों।

9.2. राजस्व के स्रोत

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अपने राजस्व का अधिकांश हिस्सा मेडिकल कॉलेजों और व्यक्तिगत आवेदकों से एकत्र की गई फीस से प्राप्त करता है। इनमें आवेदन, निरीक्षण, अनुमतियों और अन्य नियामक प्रक्रियाओं से संबंधित शुल्क, साथ ही पंजीकरण और अन्य वैधानिक सेवाओं के लिए शुल्क शामिल हैं। इन स्रोतों के माध्यम से सृजित निधियों का उपयोग विशेष रूप से आयोग के वैधानिक और नियामक कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

9.3. व्यय

आयोग के व्यय को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

9.3.1 स्थापना व्यय:

स्थापना व्यय में अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी, स्वीकृत भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और महंगाई भत्ता (डीए), पेंशन लाभ और अन्य सेवा से संबंधित वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

9.3.2 प्रशासनिक और परिचालन व्यय:

प्रशासनिक और परिचालन व्यय में आयोग के दिन-प्रतिदिन के परिचालन व्यय शामिल हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव, बिजली और पानी जैसी उपयोगिता सेवाओं का भुगतान, आउटसोर्स जनशक्ति, आईटी सहायता और संस्थागत कामकाज के लिए आवश्यक अन्य आवर्ती उपरिव्यय (ओवरहेड्स) शामिल हैं।

9.4. वित्तीय नियंत्रण और प्रत्यायोजन

वित्तीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य को बनाए रखने के लिए, व्यय को प्राधिकरण के एक परिभाषित पदानुक्रम के माध्यम से विनियमित किया जाता है। अधिकांश व्यय प्रस्तावों के लिए लागू वित्तीय प्रतिनिधिमंडल ढांचे के अनुसार एनएमसी के अध्यक्ष/सचिव के औपचारिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जवाबदेही और नियंत्रण बनाए रखते हुए परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग की वित्तीय शक्तियों के आंतरिक प्रत्यायोजन के अनुसार नामित अधीनस्थ अधिकारियों को निर्दिष्ट वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।

9.5. लेखापरीक्षा और अनुपालन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार आयोग के वार्षिक लेखा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखापरीक्षा के अधीन हैं। लेखापरीक्षा पूरी होने और लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, लेखापरीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, जिससे वैधानिक पारदर्शिता और विधायी निरीक्षण सुनिश्चित होता है।

9.6. वित्तीय विवरण

आयोग की वित्तीय स्थिति का सारांश तुलनपत्र में प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्राप्त शुल्क और सदस्यता का विवरण अनुसूची 14 में दिखाई गई हैं, जो एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण का हिस्सा है।

वर्ष 2024-2025 की अवधि के दौरान, आयोग की विभिन्न स्रोतों से कुल आय 406.17 करोड़ रुपये थी और व्यय 53.54 करोड़ रुपये था।

10. नीति और समन्वय

एनएमसी के नीति और समन्वय प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त संसद के प्रश्न और वीआईपी/पीएमओ संदर्भों पर अपनी टिप्पणियां/उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एनएमसी के विभिन्न प्रभागों और बोर्डों के साथ सफलतापूर्वक समन्वय किया है।

प्रभाग ने एनएमसी की 14वीं बैठक (01 मई, 2024 को), एनएमसी की 15वीं बैठक (19 जून, 2024 को), एनएमसी की 16वीं बैठक (23 सितंबर, 2024 को) और चिकित्सा सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक (24 सितंबर, 2024 को) सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठकें बुलाना, कार्यसूची तैयार करना, कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना और संबंधित सदस्यों को निर्णयों की जानकारी का प्रसार सुचारु रूप से किया गया।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान सभी स्वायत्त बोर्डों के समन्वय से सीपीग्राम्स पोर्टल पर 2,050 शिकायतों का निपटारा किया गया।

विभिन्न बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील एनएमसी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी {एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 22 (3), 28 (5) और 35 (5) के अंतर्गत} और मामलों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी {एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (4) के अंतर्गत} के रूप में किया जाता है। अपीलों पर विचार करना और उनकी सुनवाई एक सतत प्रक्रिया है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 992 अपीलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

शैक्षणिक वर्ष 2024-25
धारा 28(5) के अंतर्गत पीजी-एमएआरबी अपीलें

अपीलों की संख्या	
प्राप्त कुल अपीलें	700
अपील संसाधित	700
प्रक्रियाधीन	-

धारा 28(5) के अंतर्गत यूजी-एमएआरबी अपीलें

अपीलों की संख्या	
प्राप्त कुल अपीलें	105
अपील संसाधित	105
प्रक्रियाधीन	-

धारा 35(5) के अंतर्गत पीजीएमईबी अपीलें

अपीलों की संख्या	
प्राप्त कुल अपीलें	101
अपील संसाधित	101
प्रक्रियाधीन	-

धारा 30(4) के अंतर्गत ईएमआरबी अपीलें

अपीलों की संख्या	
प्राप्त कुल अपीलें	11
अपील संसाधित	11
प्रक्रियाधीन	-

धारा 30(4) के अंतर्गत यूजीएमईबी अपीलें

अपीलों की संख्या	
प्राप्त कुल अपीलें	75
अपील संसाधित	75
प्रक्रियाधीन	-

11. राजभाषा

वर्ष 2024-25 के दौरान एनएमसी के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गईं:

हिंदी दिवस और पखवाड़ा का आयोजन

14 सितंबर 2024 को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। इसके बाद 14 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान हिंदी से संबंधित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

- 17.09.2024 को 'हिंदी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता'
- 19.09.2024 को 'हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता'
- 20.09.2024 को 'हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता'
- 20.09.2024 को 'हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता' (डीईओ और एमटीएस के लिए)
- 25.09.2024 को 'डिक्टेशन प्रतियोगिता' (एमटीएस के लिए)

30 सितंबर 2024 को आयोजित समापन समारोह के दौरान, प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए गए और सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

वैधानिक बैठकें और रिपोर्टिंग

वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हिंदी प्रभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया:

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 27.06.2024 को हुई
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 12.09.2024 को हुई
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 31.12.2024 को हुई
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 20.02.2025 को हुई

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 29.06.2024 को हुई
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 15.10.2024 को हुई
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 18.12.2024 को हुई

हिंदी की प्रगति पर त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदी के उपयोग की प्रतिशतता से संबंधित आंकड़े निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए।

हिंदी की अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी समय-समय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. राजेश कपूर, उप निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिए: (i) राजभाषा नियम और रिपोर्ट; और (ii) हिंदी टिप्पण और आलेखन में आने वाली कठिनाइयां और उनके समाधान।

अनुवाद और द्विभाषी दस्तावेजीकरण

अनुवादक की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, राजभाषा सेवा संस्थान (रजि.), सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली के माध्यम से किया गया। यह सुनिश्चित किया गया था कि कार्यालय स्टेशनरी (लेटरहेड, रजिस्टर, टिकट) के साथ-साथ वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हो। इस संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत सभी अनुभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे कि आधिकारिक आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की जाएं।

निरीक्षण और निगरानी

14.02.2024 को राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का राजभाषा निरीक्षण किया गया, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए 23 बिंदु का सुझाव दिया गया। तदनुसार, सभी 23 सुझाए गए बिंदुओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए।

परिशिष्ट-क1

एनएमसी की 1 मई 2024 को प्रातः 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में आयोजित 14^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ.बी.एन.गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	डॉ. (प्रो.) बी. श्रीनिवास, सचिव, एनएमसी	सचिव, एनएमसी
3.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
4.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	सदस्य
5.	डॉ. स्मिताकोल्हे, बैरागढ़, मेलघाट, महाराष्ट्र	सदस्य
6.	श्री संतोष कुमार क्रलेटी, सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
7.	प्रो. धुबा ज्योति बोराह, कुलपति, श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
8.	प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाह, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
9.	प्रो. (डॉ.) एस.के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	सदस्य
10.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
11.	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
12.	डॉ. मोहनन कुन्नुम्मल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
13.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान मेडिकल काउंसिल	सदस्य
14.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब मेडिकल काउंसिल	सदस्य
15.	डॉ. राजीव सूद, दिल्ली मेडिकल काउंसिल	सदस्य
16.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	सदस्य
17.	प्रो. दत्तेश्वर होता, ओडिशा मेडिकल काउंसिल	सदस्य
18.	डॉ. आर.के. अनेजा, हरियाणा मेडिकल काउंसिल	सदस्य
19.	डॉ. बुचिपुडी संबाशिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
20.	डॉ. विजयालक्ष्मी नाग, पूर्ण-कालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित

क्र.सं.	नाम	पदनाम
21.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्ण-कालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
22.	डॉ. योगेंद्रमलिक, पूर्ण-कालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
23.	डॉ. जे.एल. मीणा, पूर्ण-कालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
24.	श्री अनुपम अनीश चौहान, उप सचिव (पी एंड सी/आईटी), एनएमसी	उप सचिव (पी एंड सी/आईटी), एनएमसी

1. स्वागत नोट

एनएमसी के सचिव डॉ. (प्रो.) बी. श्रीनिवास ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 14^{वीं} बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया और एनएमसी के अध्यक्ष से अपना स्वागत भाषण देने का अनुरोध किया।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की 14^{वीं} बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए तत्पर हैं। उन्होंने एनएमसी के सचिव डॉ. (प्रो.) बी. श्रीनिवास से कहा कि वे एनएमसी सदस्यों को उनके सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करें।

एनएमसी के सचिव ने भी आमंत्रित सदस्यों: डॉ. विजयलक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. योगेंद्र मलिक, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य, यूजीएमईबी और डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य एमएआरबी का स्वागत किया और कार्यवाही शुरू की।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

एनएमसी के सचिव ने एनएमसी की 14^{वीं} बैठक के दौरान एनएमसी की 13^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त को ध्यान में लाया, जो 12 फरवरी 2024 को एनएमसी के सभी सदस्यों को वितरित किया गया था और सदस्यों से कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

चर्चा के बाद एनएमसी ने एनएमसी की 13^{वीं} बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

24 जनवरी 2024 को आयोजित एनएमसी की 13^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर पिछली एनएमसी की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट:

3.1 कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के अवशिष्ट पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे: प्रगति प्रस्तुत की गई:

कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से संबंधित मुद्दों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

चर्चा के बिंदु:

पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने स्थिति को और विस्तार से बताया।

निर्णय:

इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पीजी बोर्ड सीपीएस पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करेगा।

3.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौता-ज्ञापन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी है, लेकिन एडीबी की टीम विभिन्न गतिविधियों में एनएमसी का समर्थन कर रही है।

समझौता-ज्ञापन के संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डीपीआईआईटी के साथ परामर्श किया था, जिसमें आईपीआर से संबंधित मुद्दों की सुरक्षा के लिए खंडों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। संशोधित समझौता-ज्ञापन एडीबी से प्राप्त हो गया है और सहमति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले आंतरिक अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।

निर्णय:

नोट किया

3.3 एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति:

3.4 एनएमसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव को शैक्षणिक भत्ते और अतिरिक्त विशेष एनएमसी भत्ते की अनुमति देना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

प्रशिक्षण भत्ते और शैक्षणिक भत्ते के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 02.01.2024 को एक पत्र भेजा गया था, हालांकि, मंत्रालय ने दिनांक 06.02.2024 के अपने पत्र के माध्यम से एनएमसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस संबंध में, मंत्रालय के निर्णय की समीक्षा करने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को 21.03.2024 को एक डीओ पत्र भेजा गया था, जिसके उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 08.04.2024 को सूचित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है, और यह दोहराया जाता है कि एनएमसी के अधिकारियों को शैक्षणिक भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के अनुरोध पर सहमति नहीं दी जा सकती है।

निर्णय:

समीक्षा के अनुरोध के साथ मंत्रालय को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

3.5 टीईक्यू विनियम, 2022 में संशोधन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है। यह मामला विचाराधीन है।

निर्णय:

नोट किया

3.6 शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ईएमआरबी द्वारा आईएनआई के साथ जुड़ाव: प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने एसएमसी के सहयोग से अब तक दिल्ली, जयपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, मुंबई और हैदराबाद में छह कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आने वाले दिनों में दो और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

निर्णय:

नोट किया

3.7 एनएमसी सदस्यों को आईडी कार्ड प्रदान करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की 13^{वीं} बैठक में उपस्थित सदस्यों से आईडी कार्ड के लिए फोटो क्लिक करने का अनुरोध किया गया था। एनएमसी की बैठक में उपस्थित लगभग सभी सदस्यों की फोटो खींची गईं और इन सदस्यों के साथ ईमेल के माध्यम से अपेक्षित जानकारी और फोटो प्रदान करने वाले सदस्यों का आईडी कार्ड भी तैयार किया गया है और आगामी एनएमसी बैठक में संबंधित सदस्य को वितरित किया जाएगा।

हालांकि, एनएमसी के कुछ सदस्यों के आईडी कार्ड उनकी फोटो/नमूना हस्ताक्षर या दोनों के अभाव में तैयार नहीं किए जा सके हैं। अपेक्षित विवरण प्राप्त होते ही शेष आईडी कार्ड भी वितरण के लिए तैयार कर लिए जाएंगे।

निर्णय:

नोट किया

3.8 वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी की वार्षिक रिपोर्ट:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

स्वीकृत वार्षिक रिपोर्ट पहले ही सभी एनएमसी सदस्यों को सूचना के लिए परिचालित कर दी गई थी। यह रिपोर्ट 08 फरवरी 2024 को बजट सत्र के दौरान संसद में रखी गई थी। रिपोर्ट की डिजिटल कॉपी को एनएमसी की वेबसाइट पर डालकर पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। इसकी एक मुद्रित प्रति अगली बैठक में एनएमसी सदस्यों को वितरित की जाएगी।

निर्णय:

नोट किया

3.9 काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की 11^{वीं} बैठक में सदस्यों ने परामर्श और स्पष्टता की कमी और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न मुद्दों को उठाया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी), राज्य परामर्श समितियों (एससीसी) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) आदि जैसे अन्य हितधारकों के साथ प्रवेश परीक्षा और परामर्श पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तदनुसार, 08.11.2023 और 22.11.2023 को परामर्श से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एमसीसी डीजीएचएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ दो बैठकें आयोजित की गई हैं। एनएमसी की 12^{वीं} बैठक के दौरान, एमसीसी अधिकारियों ने 2024 के लिए परामर्श प्रक्रिया पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और विस्तृत चर्चा के बाद, एनएमसी सदस्यों ने इस प्रकार समाधान किया:

- एनएमसी ने एनएमसी अधिनियम, 2019 [धारा 57(2)(i)] के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एक विस्तृत विनियमन बनाने का संकल्प लिया।
- एनएमसी ने उपरोक्त नियमों को तैयार करने के लिए समिति गठित करने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष को अधिकृत करने का संकल्प लिया।

एनएमसी ने एनआईसी के साथ-साथ राज्य चिकित्सा परामर्श समितियों और एमसीसी के साथ व्यापक हितधारक परामर्श करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, और एनएमसी उप-समिति का गठन दिनांक 14.01.2023 के पत्र के माध्यम से किया गया है। इन विनियमों के उद्देश्य हैं:

- यूजी, पीजी-बीएस और पीजी-एसएस पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य परामर्श पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया और संचालन में पारदर्शिता प्रदान करना।

- ग. चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रशासनिक बोझ को कम करना।
- घ. सभी छात्रों को उनकी क्षेत्रीय पृष्ठभूमि/स्थान के बावजूद पूरे देश में मेडिकल सीटों तक पहुंचने का आसान और समान अवसर प्रदान करना।
- ङ. प्रवेश प्रक्रिया में भ्रम और विसंगतियों को कम करना।
- उपरोक्त समिति ने 09.04.2024, 16.01.2024, 28.02.2024 और 19.03.2024 को चार दौर की बैठकें की। परामर्श विनियमों के मसौदे के साथ उक्त एनएमसी उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्णय:

एनएमसी अधिनियम 2019 [धारा 14(3)] का उल्लेख करते हुए यह नोट किया गया कि इस दिशानिर्देशों के माध्यम से इस प्रैक्टिस में "सामान्य परामर्श" का अर्थ "एक साथ परामर्श" है। कुछ चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी जिन्हें नए परामर्श दिशानिर्देशों को लागू करते समय आदर्श आचार संहिता में संबोधित किया जा सकता है। यह भी संकल्प लिया गया कि परामर्श को जीएमईआर 23 दिनांक 02 जून, 2023 के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए नया मसौदा एक साथ परामर्श दिशानिर्देशों पर होगा।

नोट किया

- 3.10 सैबेटिकल/सेकंडमैन पर कार्मिकों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश (13^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 3.16):
- 3.11 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑनबोर्डिंग इंटरन्स के दिशानिर्देश (13^{वीं} बैठक की कार्य सूची संख्या 3.17):
- 3.12 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑनबोर्डिंग इंटरन्स के दिशानिर्देश (13^{वीं} बैठक की कार्य सूची संख्या 3.18):
- 3.13 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में युवा पेशेवर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश (13^{वीं} बैठक की कार्य सूची संख्या 3.19):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सैबेटिकल/सेकंडमैन पर कार्मिकों की भर्ती, युवा पेशेवर, इंटरन्स और वॉलंटियर्स की ऑन बोर्डिंग के लिए दिशानिर्देशों पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन, दिनांक 16.01.2024 के कार्यालय आदेश के अंतर्गत किया गया है। समिति ने विचाराधीन विषय पर प्रासंगिक दस्तावेज/कागजात आदि एकत्र किए हैं और जल्द ही आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इसकी जांच कर रही है।

निर्णय:

नोट किया

3.14 ईएमआरबी द्वारा कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण के लिए गठित समितियां और माननीय न्यायालय में एनएमसी और ईएमआरबी के मामले की प्रस्तुति (13^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 3.23):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

क्रमशः 15.02.2024 और 09.04.2024 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं।

निर्णय:

हितधारकों के परामर्श और ईएमआरबी ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा है।

3.15 पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए विक्रेताओं के चालान/ बिलों का भुगतान:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के सामान्य प्रशासन प्रभाग ने बताया कि आयोग के अनुमोदन के अनुसार शेष चालान/बिलों का भुगतान संबंधित विक्रेताओं को कर दिया गया है।

निर्णय:

नोट किया

3.16 एनएमसी सदस्यों का बैठक शुल्क:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

बैठक शुल्क की समीक्षा के लिए मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस संबंध में मामले में तेजी लाने के लिए एक अनुस्मारक भी भेजा गया है।

निर्णय:

नोट किया

3.17 आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के प्रयोजन के लिए सीटों की संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने इस संबंध में यूजीएमईबी के रुख को स्पष्ट किया।

निर्णय:

इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि यूजी और पीजी बोर्ड आवश्यक दिशानिर्देश/परिपत्र जारी करें, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मेडिकल कॉलेज को दी जाने वाली सभी सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा सहित सभी आरक्षण शामिल होंगे।

3.18 गेस्ट हाउस सहित एनएमसी के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन (13^{वाँ} बैठक का कार्यसूची संख्या 3.31):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के सामान्य प्रशासन प्रभाग ने बताया कि इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुनियादी ढांचे की विस्तृत जांच के लिए एनएमसी परिसर का नियमित रूप से निरीक्षण कर रहा है।

निर्णय:

नोट किया

3.19 प्रशासनिक विनियम तैयार करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

निर्धारित एसओपी के अनुसार और एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10 (4) के अनुसार, मसौदा प्रशासनिक विनियमों का मसौदा एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक उप-समिति द्वारा तैयार किया जाना है। उप-समिति में निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी:

- क. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कामकाज का तरीका
- ख. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कार्य
- ग. आयोग, चिकित्सा सलाहकार परिषद और अपील समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया
- घ. विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

प्रशासनिक विनियम तैयार करने के लिए एनएमसी उप-समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है:

- | | |
|---|-----------------|
| i. डॉ. दत्तेश्वर होता, सदस्य एनएमसी और वीसी, उड़ीसा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय | - अध्यक्ष |
| ii. डॉ. एम.के. रमेश, वीसी, आरयूएचएस, बेंगलुरु | - सदस्य |
| iii. डॉ. करुणाकर रेड्डी, वीसी, केएनआरयूएचएस, वारंगल, तेलंगाना | - सदस्य |
| iv. प्रो. ओ.वी. नंदीमठ, कानून के प्रोफेसर, एनएलयू, बेंगलुरु | - विधिक सलाहकार |
| v. श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (पी एंड सी/आईटी) | |

उप-समिति ने एनएमसी के अध्यक्ष और सचिव, एनएमसी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चुना है और श्री अनुपम अनीश चौहान, डीएस (पी एंड सी/आईटी) ने श्री पंकज अग्रवाल की जगह ली है, जो एमसीडी में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं।

उप-समिति ने 28 मार्च, 2024 को आरयूएचएस, बेंगलुरु में अपनी पहली बैठक आयोजित की और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। समिति ने 19 अप्रैल, 2024 को फिर से एक बैठक की और मसौदा विनियमों पर विचार-विमर्श किया। प्रशासनिक विनियमों के मसौदे को अंतिम रूप देने का काम अंतिम चरण में है और समिति शीघ्र ही एक और बैठक आयोजित कर सकती है।

निर्णय:

नोट किया।

3.20 एनएमसी की 10^{वीं} बैठक में अपील शुल्क की मात्रा में संशोधन की स्वीकृति दी गई:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के अनुमोदन के अनुसार, अपील शुल्क की मात्रा में संशोधन की सूचना देने के लिए एक सार्वजनिक परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा। यह मामला एनएमसी की अपील से संबंधी उप-समिति की संरचना में बदलाव से जुड़ा है, जिसे इस बैठक में एक अलग कार्यसूची के रूप में लिया गया है।

निर्णय:

एनएमसी ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष को अधिकृत किया।

3.21 एनएमसी में नीति और समन्वय विंग के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों/कार्यक्षेत्रों की स्थापना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए परिपत्र जारी किया गया था। इन आवेदनों की स्क्रीनिंग चल रही है, जिसके बाद चयन समिति अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी। इन संसाधनों को काम पर रखने के बाद, उन्हें नीति और समन्वय के लिए बनाए जाने वाले वॉर्टिकल में तैनात किया जाएगा। आज की तारीख में, प्रस्तावित कार्यक्षेत्रों में पोस्टिंग के लिए कोई जनशक्ति नहीं है।

निर्णय:

समिति द्वारा सेवा-निवृत्त सलाहकारों को काम पर रखने की स्थिति को नोट किया गया, हालांकि, चूंकि पूर्व एजेंडा नीति एवं समन्वय प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न वॉर्टिकल्स की स्थापना से संबंधित था, जिनमें एडीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए तथा एनआईएसजी के माध्यम से नियुक्त सलाहकार शामिल थे, अतः एनएमसी के कार्य को सुदृढ़ करने हेतु इसे शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3.22 आइएएमआरए (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज) का सदस्य बनने के लिए एनएमसी का पंजीकरण:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

मामला प्रक्रियाधीन है और आइएएमआरए की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन शीघ्र ही दायर किया जाएगा।

निर्णय:

नोट किया

3.23 एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचित विनियमों का मूल्यांकन/समीक्षा:

प्रगति प्रस्तुत की गई

राज्य सभा सचिवालय के माध्यम से दिनांक 04-07-2023 को कार्यालय ज्ञापन संख्या एलएफईएस-एसएल16/14/2023-कोएसएल-आरएसएस के अनुसार, एनएमसी को 31.12.2023 तक सभी नियम तैयार करने का समय दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 57 (2) (ए से जेडटी) के अंतर्गत, एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए एनएमसी द्वारा विनियम तैयार करने के लिए कुल 46 उप-खंड अनिवार्य हैं।

- उन खंडों की संख्या जिनके लिए विनियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं -36
- खंडों की संख्या जिनके लिए विनियम (विचाराधीन-प्रशासनिक विनियम) -6
- मसौदा तैयार करने के चरण में जिन खंडों के लिए विनियम (गठित समिति-सामान्य परामर्श विनियम) -1
- स्थगित विनियमों की संख्या -3

जिन खंडों के लिए विनियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं (36) में दो विनियम शामिल हैं, अर्थात् (i) पीजीआईएमईआर - 2023 और (ii) योग्यता विनियमों की मान्यता जो 01.01.2024 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति का विस्तार प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसने एनएमसी अधिनियम, 2019 के अंतर्गत अधीनस्थ कानून तैयार करने के लिए 30-06-2024 तक का विस्तार दिया है।

एनएमसी की एक उप-समिति का गठन पत्र संख्या 19012/2/2024-समन्वय-एनएमसी दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से किया गया है, जो यह आकलन करेगी कि क्या एनएमसी अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत आवश्यक सभी नियम तैयार/अधिसूचित किए गए हैं या कोई शेष राशि अभी भी लंबित है और क्या ये विनियम निम्नलिखित सदस्यों के साथ एनएमसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं:

- i. डॉ. विजय ओझा, पीजीएमईबी के अध्यक्ष - चेयरमैन
 - ii. डॉ. योगेंद्र मलिक, सदस्य (ईएमआरबी) - सदस्य
 - iii. डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य (यूजीएमईबी) - सदस्य
 - iv. डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य (एमएआरबी) - सदस्य
 - v. सचिव, एनएमसी
 - vi. श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (समन्वय) सदस्य सचिव - श्री अनुपम अनीश चौहान, उप सचिव ने श्री पंकज अग्रवाल, तत्कालीन निदेशक (पी एंड सी/आईटी) के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है।
 - vii. प्रोफेसर ओ.वी. नंदीमठ, विधि प्रोफेसर, एनएलयू, बंगलुरु-को विधिक सलाहकार विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
- उपर्युक्त समिति को अपनी सिफारिशों के साथ 2 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

निर्णय:

नोट किया

3.24 विधिक सलाहकार की नियुक्ति और शुल्क दरों आदि को जारी रखने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की कार्योत्तर स्वीकृति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इस बैठक में इस मुद्दे को अलग कार्यसूची के तौर पर उठाया जा रहा है।

निर्णय:

नोट किया

3.25 डीएमएमपी-1 के लिए मौजूदा सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओएंडएम अनुबंध का विस्तार

प्रगति प्रस्तुत की गई:

डीएमएमपी-1 ओएंडएम विस्तार के निर्णय से 30-04-2024 तक एसआई को दिनांक 15-02-2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। डीएमएमपी-1 से संबंधित 4,47,07,970/- रुपये की विस्तारित बीजी दिनांक 10.11.2023 को एसआई के आदेश पर और एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी), एनएमसी की सहमति से डीएमएमपी-1 परियोजना के विरुद्ध बरकरार रखा गया है।

विक्रेता की ओर से कमी के आधार पर 15% (18% जीएसटी सहित अर्थात रुपए 26,55,000/- की दर से जुर्माना लगाने के बाद, दिनांक 01-03-2024 के अनुमोदन आदेश के माध्यम से जीएसटी सहित 1,50,45,000/- रुपये की राशि के लिए एसआई अर्थात मैसर्स बोधट्री कंसल्टिंग लिमिटेड को भुगतान किया गया है।

इससे पहले, डीएमएमपी-1 ओएंडएम की 23^{वीं} तिमाही तक (और सहित) भुगतान एसआई को 24-11-2024 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से किया गया था, क्योंकि एनएमसी ने अपनी 11^{वीं} और 12^{वीं} बैठकों में 13,80,54,924 रुपये के बकाया शेष के मुकाबले एसआई को 7,70,11,626/- रुपये और लागू करें (अतिरिक्त कार्यालय आदेश और क्यूजीआर 23 तक सहित) के भुगतान के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी। एसआई पर कुल जुर्माना 6,09,69,698/- रुपये था, जिसमें कर घटक नहीं था।

इस संबंध में, एसआई ने डीएमएमपी-1 परियोजना के लिए काटे गए जुर्माने के विरुद्ध 22-03-2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। डीएमएमपी-1 और ॥ परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतानों के सत्यापन के लिए गठित समिति ने दिनांक 18-09-2023 के कार्यालय आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन के उचित अध्ययन के बाद 27-03-2024 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के साथ मामला इस समय आईएफडी की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। निर्णय लिए जाने के बाद इस मामले को आयोग के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

निर्णय:

प्रस्तुत स्थिति को एनएमसी द्वारा नोट कर लिया गया है।

3.26 आईटी प्रभाग द्वारा डीएमएमपी के पंजीकरण मॉड्यूल में ईएमआरबी द्वारा अनुरोधित परिवर्तन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

31-01-2024 को डीआईआर (आईटी) द्वारा डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी की अध्यक्षता में सलाहकार, ईएमआरबी और एसआई, डीएमएमपी-1 परियोजनाओं के प्रोजेक्ट प्रबंधक की उपस्थिति में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंजीकरण के विभिन्न मॉड्यूल जैसे पात्रता आवेदन मॉड्यूल, अच्छा स्थायी (गुड स्टैंडिंग) प्रमाणपत्र, आईएमआर प्रमाणपत्र, अस्थायी अनुमति, अतिरिक्त योग्यता, डुप्लिकेट पंजीकरण आदि को शामिल करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान हुई चर्चा के अनुसार, ईएमआरबी के पंजीकरण अनुभाग ने एसआई के परामर्श से 'ईएमआरबी (सभी प्रमाणपत्र)-1 ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में पंजीकरण क. अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण ख. एफटीपी/एफटीसी; 2. डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र और पात्रता प्रमाणपत्र; 3. अच्छा स्थायी (गुड स्टैंडिंग) प्रमाणपत्र', परिवर्तन नियंत्रण नोट का मसौदा प्रस्तावित किया है। 'कोटेशन' पर एमएसए के पैरा 20.1.2 के अनुसार आवश्यक के अनुसार, एसआई ने 8 मानव महीनों @ 93,000/- रुपये प्रतिमाह के लिए 'नए परिवर्तनों के साथ अनुप्रयोग विकास' के लिए शुल्क उद्धृत किया है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

निर्णय:

स्वीकृत

3.27 ईएमआरबी के पंजीकरण विंग के लिए एक अलग, सुदृढ़, विश्वसनीय नेटवर्क की आवश्यकता:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी नेटवर्क को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए कैंपस एरिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में, एनएमसी की आईटी टीम ने अनुभाग-वार कार्य शुरू किया है और ईएमआरबी बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण अनुभाग में निम्नलिखित कार्य पूरा किया गया है:

1. स्थापित 32 एंड पॉइंट कैट 61/0
2. उचित गति के लिए प्रत्येक नोड के लिए नई कैट 6 केबल स्थापित की गई
3. 2 प्रबंधनीय स्विच 24 पोर्ट प्रत्येक स्थापित किया
4. समर्पित नोड पर प्रणाली के साथ पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए आईपी के साथ पोर्ट बाइंडिंग का कार्य प्रगति पर है
5. आईपी को समर्पित प्रणाली के साथ प्रतिबंधित किया जा रहा है आगे लॉग बनाए रखें
6. कैट 6A केबल के माध्यम से सीधे सर्वर रूम से नेटवर्क का अपलिक स्रोत दिया गया है
7. प्रत्येक नोड को एक पहचान संख्या दी गई है, ताकि किसी भी व्यक्तिगत सिस्टम में नेटवर्क (N/W) समस्या होने की स्थिति में उसे आसानी से ट्रेस किया जा सके।

चर्चा:

ईएमआरबी की सदस्य डॉ. विजया लक्ष्मी नाग ने बताया कि उनकी ज़रूरतें अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने बोर्डों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित आईटी जनशक्ति की कमी की ओर इशारा किया।

निर्णय:

नोट किया

3.28 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में 50% अंकों की शर्त से 49.67% अंकों की शर्त में छूट देने के लिए एक व्यक्तिगत मामले से संबंधित यूजीएमईबी द्वारा दिया गया लाभ:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने इस संबंध में एनएमसी को स्थिति से अवगत कराया।

निर्णय:

नोट किया

3.29 प्रत्येक बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों के रिक्त पद पर नियुक्ति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

बोर्डों में पूर्णकालिक सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिनांक 04.03.2024 को एक पत्र भेजा गया था। मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2024 के अपने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया है कि यह मामला कैबिनेट सचिवालय के परामर्श के विचाराधीन है। इस निर्णय से आयोग को उचित समय पर अवगत करा दिया जाएगा।

निर्णय:

नोट किया

4. बीच की अवधि के दौरान एनएमसी की गतिविधियों और निर्णयों पर अपडेट:

4.1 नीति और समन्वय प्रभाग द्वारा की गई प्रगति:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/व्यक्तियों/चिकित्सा पेशेवरों से अपील याचिकाओं को प्रस्तुत करने को सुव्यवस्थित करने के लिए, एनएमसी द्वारा समर्पित पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। परिकल्पित पोर्टल में संबंधित दस्तावेज, शुल्क आदि प्रस्तुत करने के प्रावधानों के साथ सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत अपील दायर करने की सुविधा होगी। यह संबंधित हितधारकों को उनकी अपीलों के निवारण के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा। यह अपीलकर्ताओं द्वारा अपील भरते समय की गई अनजाने और तकनीकी त्रुटियों को कम करने में मदद करेगा, जैसे कि गलत धाराओं का हवाला देते हुए, एनएमसी के बजाय एक ही बोर्ड में अपील प्रस्तुत करना और अपील को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने से रोककर अपील को देर से प्रस्तुत करने से बचना।

पोर्टल का विकास एडवांस स्टेज में है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

निर्णय: प्रगति नोट की गई

5. नए कार्यसूची बिंदु

5.1 डीएमएमपी-1 और डीएमएमपी-2 परियोजनाओं सहित एनएमसी की आईसीटी पहलों की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना।

एनएमसी का आईसीटी प्रभाग डीएमएमपी-1 और डीएमएमपी-2 परियोजनाओं सहित एनएमसी की आईसीटी पहलों की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना कर रहा है। इसके लिए, सभी बोली प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, इस संबंध में गठित परामर्श मूल्यांकन समिति की सिफारिश के अनुसार आईसीटी-प्रभाग के पीएमयू के लिए मैसर्स ईएंडवाई को एक अनुबंध दिया जाना है। इस कार्यसूची को एनएमसी के सभी सदस्यों को उनकी सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईमेल के माध्यम से भी प्रसारित किया गया था। तथापि, कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों और इस मामले पर विस्तृत चर्चा के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इस बैठक में कार्यसूची को विचार और अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है। कार्यसूची अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

चर्चा: उपरोक्त मामले पर आईटी प्रभाग द्वारा प्रस्तुत अपडेट पर एनएमसी द्वारा विचार किया गया है। पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने कहा कि नए आईटी पीएमयू को काम पर रखने की आवश्यकता नहीं है। पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने तत्कालीन एमसीआई के समय मौजूदा एसआई की नियुक्ति से संबंधित मामले और एनएमसी द्वारा डीएमएमपी-1 और II को एनआईसी या किसी अन्य एजेंसी को सौंपने के लिए किए गए विभिन्न निर्णयों पर भी एक प्रस्तुति दी है। उन्होंने पिछले पीएमयू जैसे मैसर्स केपीएमजी, पीएमयू और भविष्य एसआई आदि की भागीदारी पर भी सवाल उठाया है।

डीएमएमपी-1 और II को नया रूप देने के लिए भविष्य में पीएमयू और एसआई को काम पर रखने की आवश्यकता के संबंध में एनएमसी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई।

सदस्यों ने राय व्यक्त की कि कोई पब्लिक सेक्टर यह काम कर सकता था। एनआईसी से संपर्क किया गया था और उसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। आईटी के हिस्से के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कार्य की सीमा के संबंध में पीएमयू शुल्कों की लागत की जांच की जा सकती है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आईटी प्रभाग डीएमएमपी-1 और डीएमएमपी-2 के कार्यान्वयन, इसके उन्नयन और आईटीपीएमयू के साथ-साथ नए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) को नियुक्त करने से जुड़े सभी मुद्दों पर एक प्रस्तुति देगा।

5.2 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल की ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं में पंजीकृत सभी रोगियों के लिए एबीएचए (ABHA) आईडी।

मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल की ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं में पंजीकृत सभी रोगियों के लिए एबीएचए (ABHA) आईडी बनाने के लिए एनएमसी की स्वीकृति लेने के लिए एक प्रस्ताव।

निर्णय:

आयोग ने कॉलेज की संभावनाओं पर निर्णय लेने के लिए अस्पताल में सभी रोगियों और अन्य नैदानिक सामग्री के प्रमाणीकरण की सुदृढ़ आवश्यकता का समर्थन किया (यूजी या पीजी में बढ़ी हुई सीटें, नए कॉलेज, छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति/मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण)। एनएमसी को कॉलेजों को सलाह देनी चाहिए कि उनके अस्पतालों को सभी रोगियों के पंजीकरण के लिए एबीएचए आईडी एकत्र करनी चाहिए। इस बात पर चर्चा की गई कि एबीएचए आईडी बनाना बहुत ही सरल प्रक्रिया है क्योंकि देश में लगभग हर किसी के पास आधार नंबर है। आज की तारीख में 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास पहले से ही एबीएचए आईडी है। हालांकि, किसी भी मरीज को एबीएचए आईडी के साथ या उसके बिना इलाज से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। कॉलेजों/उनके अस्पतालों को प्रारंभिक अवधि के लिए एनएमसी के माध्यम से यह सहायता प्रदान करने के तंत्र पर विचार किया जा सकता है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से मूल्यांकन में भविष्य के निर्णयों के लिए, रोगियों की संख्या और एबीएचए आईडी से प्रमाणित संबंधित नैदानिक सामग्री की गणना की जाएगी।

5.3 गैर-शिक्षण अस्पतालों में विदेशी मेडिकल स्नातकों की इंटरनशिप का सत्यापन

गैर-शिक्षण अस्पतालों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों की इंटरनशिप के सत्यापन के लिए एनएमसी की स्वीकृति लेने का प्रस्ताव

चर्चा:

एफएमजी को विदेश जाने से पहले संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा या विदेशी चिकित्सा शिक्षा इस वचन के साथ कि वह स्नातक चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद संबंधित राज्य में इंटरनशिप करेगा। सभी एसएमसी ऐसे एफएमजी इंटरनशिप की प्रतीक्षा कर रहे एफएमजी की लंबित सूची प्रस्तुत करेंगे।

निर्णय:

गैर-शिक्षण अस्पतालों में एफएमजी के लिए इंटरनशिप को 2 और वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है।

5.4 पाठ्यक्रम में दिव्यांगता दक्षताएं।

पाठ्यक्रम में दिव्यांगता दक्षताओं को शुरू करने का प्रस्ताव।

- क्या हमें सभी नोडल/क्षेत्रीय केंद्रों में पाठ्यचर्या सहायता कार्यान्वयन कार्यक्रम (सीआईएसपी) और बीसीएमई में दिव्यांगता दक्षताओं पर एक सत्र शामिल करना चाहिए?
- क्या हमें फाउंडेशन कोर्स के पहले सप्ताह में दिव्यांगता दक्षताओं के लिए कम से कम दो घंटे आवंटित करने चाहिए, शेष घंटों को अगले सप्ताह में या अगले छह महीनों के भीतर कवर किया जाना चाहिए? पहले सप्ताह में इन दो घंटों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख विषयों में शामिल होना चाहिए; यूएनसीआरपीडी के अनुसार दिव्यांगता; दिव्यांगता के चिकित्सा, सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल; दिव्यांगता शिष्टाचार; सार्वभौमिक डिजाइन; उचित आवास; गैर-भेदभाव; और कानून के अंतर्गत 21 दिव्यांगताएं।
- इन सत्रों के संचालन में विकलांग डॉक्टरों और विकलांग लोगों को शामिल करें।
- केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के माध्यम से सभी 27 दिव्यांगता दक्षताओं पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित करके अधिक जागरूकता पैदा करना। चिकित्सा मानविकी (कहानी कहने, दृश्य कला, कविता, फोरम थिएटर, कथाओं आदि) के उपकरणों से प्राप्त इस सामग्री का उपयोग एनएमसी, दंत चिकित्सा और नर्सिंग आयोगों, पुनर्वास पेशेवरों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशे के योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी ने निर्णय लिया कि यूजी बोर्ड इस मुद्दे की जांच कर सकता है और अपनी सिफारिशें दे सकता है।

5.5 पीजीएमईआर-2023 में संशोधन।

पीजीएमईआर-2023 में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव

- i. मौजूदा पीजीएमईआर-2023 के विनियम 7.1 में, विभाग शीर्षक के अंतर्गत "प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक प्रोफेसर द्वारा किया जाएगा" के बाद निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है: विभागाध्यक्ष का पद तीन वर्ष के लिए एक कार्यकाल पद होगा और यह विभाग में वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कैडर के सभी संकायों को दिया जाएगा।

निर्णय:

- i. अनुमोदित. पीजीएमईबी उपयुक्त दिशा-निर्देश और मसौदा तैयार करेगा।

5.6 सूचना के अधिकार के अंतर्गत मानक मूल्यांकन प्रपत्र (एसएएफ) का प्रकटीकरण और एनएमसी की वेबसाइट पर इसका स्वतः प्रकाशन।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत मानक मूल्यांकन प्रपत्र (एसएएफ) के प्रकटीकरण और एनएमसी की वेबसाइट पर स्वतः प्रकाशन पर एमएआरबी का एक प्रस्ताव

चर्चा:

- एमएआरबी को कई सूचना का अधिकार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें किसी विशेष कॉलेज/विषय की एसएएफ रिपोर्ट का प्रकटन करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि सार्वजनिक डोमेन में एसएएफ रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है, इसलिए सीपीआईओ यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं कि एसएएफ में तीसरे पक्ष की सूचना शामिल है और आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में श्री आर. बी. गौतम द्वारा दायर एक विशेष दूसरी अपील में, जिसमें कांति देवी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण/मान्यता/सीओआर के लिए एसएएफ की सत्यापित प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई 05.04.2024 को हुई थी और सीआईसी ने लोक सूचना अधिकारी, एनएमसी को निर्देश दिया था:

i.यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28.03.2024 के लिखित उत्तर की सभी अनुलग्नकों के साथ आदेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को एक प्रति भेजें।

ii.शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से निर्धारण प्रपत्र प्राप्त करें जो सूचना का वास्तविक संरक्षक है और इसे अपीलकर्ता को प्रस्तुत करें और आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उन्हें एनएमसी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

iii.आदेश प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर सीआईसी को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इसे ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन प्रकोष्ठ एमएआरबी ने निम्नलिखित निर्णय बिंदुओं के साथ कार्यसूची प्रस्तावित की है:

। क्या एसएएफ में विधिवत भरा गया है (जिसमें तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है) को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट किया जा सकता है या आरटीआई आवेदकों को प्रदान किया जा सकता है;

अथवा

II. यदि समिति एसएएफ में विधिवत रूप से भरे गए खाल पदार्थों का प्रकटन/प्रस्तुत करने के लिए असहमत होती है, तो सीआईसी के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती देने के लिए समिति का अनुमोदन मांगा जाता है।

कार्यसूची **अनुलग्नक-4** में है।

निर्णय:

आयोग ने कहा कि एसएएफ प्रपत्र सार्वजनिक डोमेन में होने की आवश्यकता नहीं है। कारणों का उल्लेख **अनुलग्नक-4** में किया गया है। विनियमों में, सार्वजनिक डोमेन डिस्प्ले रेटिंग से संबंधित मूल्यांकन का अंतिम परिणाम होना था।

5.7 एनएमसी के अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क के निर्धारण के लिए विधिक शुल्क दिशानिर्देशों दिनांक 23.03.2023 की प्रयोज्यता।

एनएमसी के अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क के निर्धारण के लिए विधिक शुल्क दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता पर विधि प्रभाग द्वारा दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तुत एक प्रस्ताव।

- इस मामले पर आयोग की 13^{वीं} बैठक में कार्य सूची मद संख्या 5.6 के अंतर्गत विचार किया गया था। चर्चा के बाद सदस्यों द्वारा विधिक विभाजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। हालांकि, काम की निरंतरता बनाए रखने और एनएमसी के कामकाज में व्यवधान से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान अधिवक्ता अपने पहले से सहमत मूल शुल्क के साथ जारी रख सकते हैं, हालांकि, अन्य शर्तें दिनांक 23.3.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी। हालांकि, जिन

अधिवक्ताओं ने इस पर असहमति व्यक्त की है, उन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की चिंताओं को उपयुक्त रूप से संबोधित करके नए अधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

- आयोग सभी माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्थायी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, अधिवक्ताओं को स्थायी अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एनएमसी द्वारा दिनांक 23.05.2023 को जारी रुचि की अभिव्यक्ति के उत्तर में, मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है या नहीं। इस संबंध में, एनएमसी के मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं को 26.05.2023 को सूचित किया गया था कि उपरोक्त ईओआई में संदर्भित अधिवक्ताओं की आवश्यकता, मौजूदा पैनल के अतिरिक्त है। आयोग के मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी मौजूदा अधिवक्ताओं को अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 14 दिनों का पर्याप्त समय प्रदान किया गया था, और उन्हें विधिवत सूचित किया गया था कि ऐसा न करने पर, यह माना जाएगा कि अधिवक्ता अपनी मौजूदा फीस के अनुसार जारी रखने के इच्छुक हैं, लेकिन उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के अधीन हैं। दूसरे शब्दों में, अधिवक्ता केवल अपनी पुरानी या नई शुल्क संरचनाओं को चुनने का विकल्प रखते थे, हालांकि, उक्त शुल्क दिशानिर्देशों के अन्य नियमों और शर्तों को लागू करना अनिवार्य है और अधिवक्ताओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, आयोग ने 24.01.2024 को आयोजित अपनी 13^{वीं} बैठक में उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों की स्वीकृति दी है।

- उपरोक्त पैरा 13 में आयोग के निर्णय से यह देखा जा सकता है कि जिन अधिवक्ताओं ने इस पर असहमति व्यक्त की है, उन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि इस मामले पर औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकी, हालांकि, कुछ विधिक विशेषज्ञों सहित विभिन्न अवसरों पर अनौपचारिक रूप से इस पर चर्चा की गई है। हालांकि, असहमत विधिक सलाहकारों के लिए दिनांक 23.03.2023 के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता पर कोई सहमति नहीं बन सकी।

- इस मामले पर एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी के सचिव और अधोहस्ताक्षरी के साथ चर्चा की, जिसमें 01.05.2024 को एनएमसी की अगली बैठक में इस मामले को एनएमसी के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची अनुलग्नक-5 में संलग्न है

निर्णय:

यह मामला एनएमसी के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधिक सलाहकारों को भुगतान की सीमा के संदर्भ में अस्पष्टता है। डॉ. मोहनन, डॉ. नंदीमथ (विनियमों के विकास के लिए एनएमसी द्वारा सलाहकार नियुक्त) और सचिव, एनएमसी (संयोजक) की अध्यक्षता में एक समिति विवरण की जांच करने और कार्यान्वित की जा सकने वाली कार्रवाई की सलाह देने के लिए गठित की गई।

5.8 एनएमसी में अपील समिति का पुनर्गठन

एनएमसी के एमएआरबी ने एनएमसी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मेडिकल कॉलेजों से आवेदन आमंत्रित किए हैं और 07.02.2024 को आयोजित एनएमसी की समन्वय बैठक में इन आवेदनों के प्रसंस्करण और जांच पर चर्चा की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमएआरबी द्वारा प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सभी बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य के साथ अध्यक्ष एमएआरबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। एमएआरबी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए उपर्युक्त समिति के गठन के बाद, 'संभावित हितों के टकराव' से बचने के लिए एनएमसी में अपील समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड के सभी अध्यक्ष/सदस्य भी वर्तमान अपील समिति का हिस्सा हैं। इस कार्यसूची को एनएमसी के सभी सदस्यों को उनकी सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईमेल के माध्यम से परिचालित किया गया था। तथापि, इस मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में कार्यसूची को विचार और अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है।

कार्यसूची अनुलग्नक-6 में संलग्न है।

निर्णय:

प्रस्ताव स्वीकृत

5.9 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची-ईएमआरबी की अतिरिक्त कार्यसूची (एडिशनल एजेंडा)

1. संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय नहीं की गई गैर-चिकित्सा शिकायतों के निपटान के संबंध में नीतिगत निर्णय लेना। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-क में संलग्न है

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति हुई कि ईएमआरबी द्वारा प्राप्त सभी अपीलों पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, जहां तक बोर्डों द्वारा अनुस्मारक जारी किए जाने के बाद भी गैर-मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दायर की गई शिकायतों पर राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए ईएमआरबी द्वारा राज्य चिकित्सा परिषदों को एक पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। संबंधित एसएमसी द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने की स्थिति में, ईएमआरबी एसएमसी से शिकायत/मामले को अपने हाथ में ले सकता है और उसका निपटान कर सकता है।

2. क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त संचार को समझने में मदद करने के लिए अनुवादक। विस्तृत कार्यसूची **अनुलग्नक-ख** में संलग्न है।

निर्णय:

पैनल में शामिल अनुवादकों या अन्य मौजूदा प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए एनएमसी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

3. एमएआरबी – अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का अतिरिक्त कार्यसूची (एडिशनल एजेंडा)

निर्णय:

शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यूजी/पीजी की सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन करने वाले कॉलेज अनिवार्य प्रमाणपत्र के साथ-साथ संबद्धता प्रपत्रों की सहमति भी प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें एमएआरबी द्वारा संशोधित किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

कार्यसूची मद: डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी)-1

प्रस्ताव:

मेसर्स अन्स्टर्ट एंड यंग एलएलपी को आयोग में जीईएम/2023/बी/4097899 के अंतर्गत आईटी-पीएमयू स्थापित करने के लिए ठेका देने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की स्वीकृति

औचित्य:

सीईसी के अंतिम कार्यवृत्त को देखा जा सकता है।

कार्यान्वयन अनुसूची:

यह परियोजना शुरू होने से 39 महीने की अवधि के लिए होगी (एनएमसी में सलाहकार की ऑन-बोर्डिंग) और आगे 24 महीने (2 वर्ष, एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाई जा सकती है, हालांकि, अनुबंध को बढ़ाने का विवेकाधिकार एनएमसी और दोनों पक्षों की सहमति से होगा।

प्रभाव:

वित्तीय: पूरी परियोजना के लिए 9,22,62,966/- रुपये और लागू कर।

विधिक: संविदा के अनुबंध के अनुसार, यदि आयोग के अनुमोदन पर एजेंसी के साथ किया जाता है।

तकनीकी: बिड संख्या जीईएम/2023/बी/4097899 के अंतर्गत आरएफपी के जवाब में मेसर्स ई एंड वाई (अनुलग्नक-III) द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार।

निर्णय के लिए मसौदा मदें:

आयोग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में आईटी-पीएमयू स्थापित करने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए बिड संख्या जीईएम/2023/बी/4097899 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के अंतर्गत मेसर्स ई एंड वाई एलएलपी को ठेका देने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति जताई।

टिप्पणी #1

इस फाइल में मामला आरटीआई आवेदनों में आम जनता द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मानक मूल्यांकन फॉर्म (एसएएफ) के प्रकटीकरण और उसे एनएमसी वेबसाइट पर प्रकाशित करने से संबंधित है।

2. एमएआरबी को कई आरटीआई प्राप्त हुए हैं जिनमें किसी विशेष कॉलेज/विषय की एसएएफ रिपोर्ट का प्रकटन करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि सार्वजनिक डोमेन में एसएएफ रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है, इसलिए सीपीआईओ यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं कि एसएएफ में तीसरे पक्ष की सूचना शामिल है और आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता।

अधिनियम की धारा 11 तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण की प्रक्रिया प्रदान करती है। इसके अनुसार, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई जानकारी का प्रकटन करना चाहता है, जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है, तो पीआईओ, सूचना का प्रकटन करने का निर्णय लेने से पहले तीसरे पक्ष को मामले में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरे पक्ष को पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध विभागीय अपीलीय प्राधिकारी में अपील करने का अधिकार है और यदि विभागीय अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो संबंधित सूचना आयोग में दूसरी अपील करें। पीआईओ ऐसी जानकारी का प्रकटन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

3. मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत एसएएफ में संकाय घोषणा फॉर्म शामिल होते हैं जिनमें कॉलेज के संकाय और अन्य कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसलिए, उस आधार पर एमएआरबी द्वारा सार्वजनिक डोमेन में एसएएफ के प्रकटीकरण से इनकार किया गया है।

4. हालांकि, एक विशेष मामले में दूसरी अपील (पृष्ठ 1/Cor.) श्री आरबी गौतम (पृष्ठ 6/Cor.) द्वारा दायर की गई थी। मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) ने कांति देवी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण/मान्यता/सीओआर के लिए एसएएफ की सत्यापित प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था। सुनवाई 05.04.2024 को हुई (इसमें यूजीएमईबी ने भाग लिया)।

5. सीआईसी ने प्रतिवादी (पीआईओ, एनएमसी) को निम्नलिखित (पृष्ठ 7/Cor.) के लिए निर्देश दिया था:

- यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर की एक प्रति दिनांक 28.03.2024 को आदेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को सभी अनुलग्नकों के साथ भेजें।
- एनएमसी को शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए मूल्यांकन फॉर्म प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है, जो भी सार्वजनिक प्राधिकरण है जो सूचना का वास्तविक संरक्षक है और इसे अपीलकर्ता को प्रस्तुत करें और आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उन्हें एनएमसी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

iii. साथ ही, एनएमसी को आदेश प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर सीआईसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

6. सीआईसी के निर्देशों के मद्देनजर, यदि मंजूरी मिलती है, तो 1 मई, 2024 को होने वाली एनएमसी समिति की बैठक के कार्यसूची में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल की जा सकती है:

i. क्या एसएफ में निहित तीसरे पक्ष की जानकारी को ध्यान में रखते हुए एसएफ का प्रकटन सार्वजनिक डोमेन में किया जा सकता है या नहीं? इसके अलावा, क्या आम जनता द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के उत्तर में यह प्रदान किया जा सकता है?

ii. यदि समिति बिन्दु 6(1) में बताए गए अनुसार एसएफ प्रस्तुत करने से असहमत है, तो सीआईसी के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए समिति की मंजूरी मांगी जाएगी।

प्रस्तुत है

29/04/2024 01:11 अपरान्ह

वंदना
सहायक अनुभाग अधिकारी

टिप्पणी # 2

संदर्भ::उपरोक्त टिप्पणी #1

2. ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आगामी एनएमसी बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची मद को विचार और निर्णय के लिए रखने का प्रस्ताव है:

(I) क्या विधिवत भरा गया एसएफ (जिसमें तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है) को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट किया जा सकता है या आरटीआई आवेदकों को प्रदान किया जा सकता है:

अथवा

(II) यदि समिति विधिवत भरे हुए एसएफ के प्रकटीकरण/प्रदान करने से असहमत होती है, तो सीआईसी के निर्णय को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए कमेटी की स्वीकृति अपेक्षित है।

3. आगामी एनएमसी बैठक में उपरोक्त कार्यसूची मद को रखने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष का अनुमोदन मांगा जा सकता है।

29/04/2024 01:53 अपरान्ह

अरुण कुमार सिंह
उप सचिव

टिप्पणी #3

अनुमोदन

29/04/2024 02:50 अपरान्ह

जेएल मीना
सदस्य

टिप्पणी #4

29/04/2024 06:38 अपरान्ह

बी एन गंगाधर
अध्यक्ष (एमएआरबी)

टिप्पणी #5

29/04/2024 07:03 अपरान्ह

जेएल मीना
सदस्य

टिप्पणी #6

30/04/2024 10:39 पूर्वान्ह

अरुण कुमार सिंह
उप सचिव

टिप्पणी #7

30/04/2024 11:49 पूर्वान्ह

अनुपम अनीश चौहान
उप सचिव

टिप्पणी # 8

30/04/2024 11:54 पूर्वान्ह

के श्रीनिधि
अवर सचिव

टिप्पणी #9

30/04/2024 12:10 अपरान्ह

अश्वनी यादव
अनुभाग अधिकारी
अनुलग्नक-5

टिप्पणी #19

संदर्भ:- उपरोक्त टिप्पणियां. यह मामला 01.05.2024 को होने वाली एनएमसी की अगली बैठक में शामिल करने के लिए दिनांक 23.03.2023 के विधिक शुल्क दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से संबंधित कार्यसूची को शामिल करने से संबंधित है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 24.09.2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भंग कर दिया है, और पूर्ववर्ती एमसीआई का स्थान लेने वाले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने 25.09.2020 से अस्तित्व में आ गया है।

2. संक्रमण की अवधि के दौरान, संगठन के हित में, दिनांक 30.09.2020 के एक ईमेल के माध्यम से, पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा नियुक्त मौजूदा अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अगले आदेश तक एनएमसी की ओर से मामलों का बचाव जारी रखें।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी पत्र के मद्देनजर, पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों ने तुरंत अपने कार्यालय खाली कर दिए थे और उस समय आधिकारिक रिकॉर्ड को सौंपने का कोई काम नहीं किया गया था। अधिवक्ताओं की नियुक्ति और शुल्क अनुसूचियों/ संरचनाओं से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड फाइलों की जांच और अवलोकन से, कुछ प्रासंगिक दस्तावेज जैसे अनुमोदन नोटिंग, प्रस्ताव पत्र, ईमेल, बैठकों के कार्यवृत्त और सूचियों को पुनर्प्राप्त किया गया है।

4. अधिवक्ताओं के पेशेवर शुल्क बिलों का भुगतान उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजों पर विचार करके और उसी संरचना/अनुसूची पर पहले के भुगतानों को मिसाल मानकर किया जा रहा था।

5. इसके बाद, अधिवक्ताओं की नियुक्ति के साथ-साथ शुल्क संरचनाओं (नियम और शर्तों सहित) के लिए एक समान नीति के संबंध में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, आयोग ने 23.03.2023 को एनएमसी के अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, संगठन के हित में, अधिवक्ताओं को अपनी मौजूदा शुल्क संरचनाओं को जारी रखने या नई नीति-दिशानिर्देशों को अपनाने का विकल्प प्रदान किया गया था। इसके अलावा, मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर अर्थात् 23.03.2023 के भीतर उपरोक्त दिशानिर्देशों पर अपना विकल्प प्रस्तुत करें, ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि अधिवक्ता अपनी मौजूदा फीस के अनुसार काम जारी रखने को तैयार हैं, लेकिन नीति-दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के अधीन।

6. दिनांक 23.03.2023 को उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी करने के बाद आयोग को एनएमसी के कुछ विधिक सलाहकारों से विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों को उन पर एकतरफा लागू नहीं किया जाना चाहिए, इनमें मेसर्स एडुलॉ एसोसिएट्स, सुश्री शुभरंजनी अनंत, श्री एस.के. कदम, श्री हिस्साद मिर्धा आदि शामिल हैं।

7. यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23.03.2023 के उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों से पहले, उपरोक्त विधिक सलाहकार को पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा अनुमोदित दरों/नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में, आयोग के स्थायी अधिवक्ताओं के पेशेवर शुल्क बिलों का भुगतान दिनांक 23.03.2023 के शुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। परिणामस्वरूप, उक्त दिशानिर्देशों के नए नियमों और शर्तों के लागू होने के कारण, विशेष रूप से संबंधित मामलों और मामलों की गैर-

प्रभावी सुनवाई में भुगतान कम हो गया है। इसलिए, उपरोक्त विधिक सलाहकार दिनांक 23.03.2023 के शुल्क दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें एनएमसी को विधिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखने में वित्तीय बाधाओं पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

8. यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि आयोग ने दिनांक 23.03.2023 के उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों के माध्यम से मौजूदा अधिवक्ताओं को अपनी मौजूदा शुल्क संरचना को जारी रखने या नई नीति-दिशानिर्देशों को अपनाने का विकल्प प्रदान किया था। मौजूदा अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों पर अपना विकल्प जारी करने की तारीख अर्थात् 23.03.2023 से 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि अधिवक्ता अपनी मौजूदा फीस के अनुसार जारी रखने के इच्छुक हैं, लेकिन नीति-दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के अधीन हैं।

अधिवक्ताओं को अनियमित नियुक्ति/भुगतान के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियां:

9. यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23.3.2023 को उपरोक्त दिशानिर्देश जारी करने से पहले, आयोग को नियमित सुनवाई और अंतिम सुनवाई में उपस्थित होने के लिए अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अनियमित सम्बद्धता/अधिवक्ताओं की नियुक्ति और अनियमित भुगतान/पेशेवर शुल्क के उच्च मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न लेखापरीक्षा आपत्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इसलिए, आयोग ने भविष्य में किसी भी लेखापरीक्षा आपत्ति से बचने के लिए उपर्युक्त शुल्क दिशा-निर्देश जारी करने के कदम उठाए हैं। कृपया लेखापरीक्षा पैरा 8, 9 और 27 देखें।

आयोग की स्वीकृति: कार्यसूची मद 5.6. एमओएम दिनांक 24.01.2024:

10. अधिवक्ताओं के पेशेवर शुल्क बिलों का भुगतान उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजों पर विचार करके और उसी संरचना/ अनुसूची पर पहले के भुगतानों को मिसाल मानकर किया जा रहा था, हालांकि, अधिवक्ताओं की नियुक्ति और अनुमोदित शुल्क संरचनाओं के उचित विवरण के अभाव में अधिवक्ताओं के शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। मौजूदा स्थिति के कारण, अधिवक्ता के पेशेवर शुल्क के भुगतान में देरी हो रही थी, और काम के लंबित होने की संख्या बढ़ रही थी।

11. मुद्दों को सुलझाने के लिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उचित प्राधिकार के अभाव में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के बिल लंबित थे, मामले को 24.01.2024 को आयोजित एनएमसी की 13^{वीं} बैठक में कार्यांतर अनुमोदन के लिए रखा गया था। उक्त कार्यसूची मद को संदर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"कार्यसूची: निम्नलिखित कामों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से कार्यांतर (पोस्ट-फैक्टो) स्वीकृति मांगी जाती है:

(i) देश भर के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित एनएमसी/एमसीआई के अदालती मामलों का बचाव करने और बकाया बिलों के भुगतान के लिए पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति और शुल्क दरों/संरचनाओं को जारी रखना।

(ii) एनएमसी की स्थापना के बाद लगे अधिवक्ताओं और उनकी शुल्क दरों/संरचनाओं की नियुक्ति और बकाया बिलों के भुगतान को जारी रखना।

(iii) एनएमसी के अधिवक्ताओं की व्यावसायिक फीस की नियुक्ति और निर्धारण के लिए दिशानिर्देश एफ.नं.एल-11022/01/2023/एनएमसी/लीगल/014618-27 दिनांक 23.3.2023 के माध्यम से जारी किए गए।

(iv) सचिव, एनएमसी को किसी भी अधिवक्ता, जिनका नाम अनजाने में या रिकॉर्ड की कमी के कारण अधिवक्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, के बकाया बिलों के भुगतान की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत करना।

12. आयोग ने उपर्युक्त बैठक में इस मामले पर विचार किया और निम्नानुसार निर्णय लिया:

"निर्णय: चर्चा के बाद, विधिक विभाजन के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालांकि, उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए और काम की निरंतरता बनाए रखने और एनएमसी के कामकाज में व्यवधान से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान अधिवक्ता अपने पहले से सहमत मूल शुल्क के साथ जारी रख सकते हैं, हालांकि, अन्य शर्तें दिनांक 23.3.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी। तथापि, जिन अधिवक्ताओं ने इस पर असहमति व्यक्त की है, उन पर उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की चिंताओं को उपयुक्त रूप से संबोधित करके नए अधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

13. आयोग सभी माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्थायी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, अधिवक्ताओं को स्थायी अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एनएमसी द्वारा दिनांक 23.05.2023 को जारी ईओआई के उत्तर में, मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है या नहीं। इस संबंध में, एनएमसी के मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं को दिनांक 26.05.2023 के ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि उपरोक्त ईओआई में निर्दिष्ट अधिवक्ताओं की आवश्यकता, मौजूदा पैनल के अतिरिक्त है। आयोग के मौजूदा स्थायी अधिवक्ताओं को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 25.05.2023 के नोट की एक प्रति जिसमें उपरोक्त निर्णय के लिए उपरोक्त अनुमोदन शामिल है, तैयार संदर्भ के लिए पत्राचार में रखी गई है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी मौजूदा अधिवक्ताओं को अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 14 दिनों का पर्याप्त समय प्रदान किया गया था, और उन्हें

विधिवत सूचित किया गया था कि ऐसा न करने पर, यह माना जाएगा कि अधिवक्ता अपनी मौजूदा फीस के अनुसार जारी रखने के इच्छुक है, लेकिन उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के अधीन है। दूसरे शब्दों में, अधिवक्ता को केवल अपनी पुरानी या नई शुल्क संरचनाओं को चुनने का विकल्प था, हालांकि, उक्त शुल्क दिशानिर्देशों के अन्य नियमों और शर्तों को लागू करना अनिवार्य है और अधिवक्ताओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, आयोग ने 24.01.2024 को आयोजित अपनी 13^{वीं} बैठक में उपरोक्त शुल्क दिशानिर्देशों की स्वीकृति दी है।

15. उपरोक्त पैरा 13 में आयोग के निर्णय से यह देखा जा सकता है कि जिन अधिवक्ताओं ने इस पर असहमति व्यक्त की है, उन पर उपरोक्त दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि इस मामले पर औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकी, हालांकि, कुछ विधिक विशेषज्ञों सहित विभिन्न अवसरों पर अनौपचारिक रूप से इस पर चर्चा की गई है। हालांकि, असहमत विधिक सलाहकारों के लिए दिनांक 23.03.2023 के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता पर कोई सहमति नहीं बन सकी।

16. इस मामले पर अंत में एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी के सचिव और अधोहस्ताक्षरी के साथ चर्चा की, जिसमें इस मामले को एनएमसी की अगली बैठक में 01.05.2024 को निम्नलिखित कार्यसूची मद के साथ रखने का निर्णय लिया गया:

(i) भारत सरकार के उपयुक्त विधि अधिकारी (एसजी) से विधिक राय लें कि क्या एनएमसी ने मौजूदा विधिक सलाहकार से परामर्श किए बिना दिनांक 23.03.2023 के दिशानिर्देश जारी करने में गलती की है और क्या एनएमसी दिनांक 23.03.2023 के दिशानिर्देशों की जांच में खड़े होने में सक्षम होगी यदि मौजूदा विधिक सलाहकार इस संबंध में न्यायालयों से संपर्क करते हैं।

(ii) इस संबंध में एसजी से विधिक सलाह उपलब्ध होने के बाद एनएमसी के अध्यक्ष को उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत करें।

17. उपरोक्त पैरा 16 में प्रस्ताव कृपया विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

29/04/2024 12:11 अपरान्ह

अशोक कुमार
निदेशक

टिप्पणी # 20

उपरोक्त टिप्पणियों को देखते हुए, हम 1 मई को होने वाली एनएमसी की बड़ी बैठक में इस मामले को उठा सकते हैं।

29/04/2024 05:21 अपरान्ह

डॉ. बी श्रीनिवास
सचिव

टिप्पणी # 21

ठीक है

30/04/2024 11:33 पूर्वान्ह

बी एन गंगाधर
अध्यक्ष

टिप्पणी #22

जैसा कि एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है, कृपया 1.5.2024 को एनएमसी की बैठक के कार्यसूची में शामिल करें

30/04/2024 11:38 पूर्वान्ह

अशोक कुमार
निदेशक

टिप्पणी # 23

30/04/2024 11:45 पूर्वान्ह

के. श्रीनिधि
अवर सचिव

टिप्पणी # 24

30/04/2024 12:10 अपरान्ह

अश्वनी यादव
अनुभाग अधिकारी
अनुलग्नक-6

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अपील समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति

प्रस्ताव:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10(4) के प्रावधानों के अनुसार, आयोग की 11वीं बैठक में अनुमोदित पूर्व संरचना में संशोधन करते हुए, एनएमसी की उप-समिति, जिसका नाम "एनएमसी की अपील समिति" है, के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव एनएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठभूमि और औचित्य:

एनएमसी के एमएआरबी ने एनएमसी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इस मामले पर 07.02.2024 को आयोजित

एनएमसी की समन्वय बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमएआरबी द्वारा प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सभी बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य के साथ अध्यक्ष एमएआरबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

एमएआरबी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए उपर्युक्त समिति के गठन के बाद, संभावित हितों के टकराव से बचने के लिए एनएमसी में अपील समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड के सभी अध्यक्ष/सदस्य भी वर्तमान अपील समिति का हिस्सा है।

एनएमसी की 11^{वीं} बैठक में आयोग की स्वीकृति के साथ एनएमसी में मौजूदा अपील समिति का गठन किया गया था। अपील समिति 4 बोर्डों के निर्णयों के विरुद्ध धारा 22(3), 28(5), 35(5), और 30(4) के अंतर्गत दायर अपीलों पर निर्णय लेती है, जिसमें अन्य 3 बोर्डों के सदस्य/अध्यक्ष और बोर्ड के बाहर के 2 सदस्य होते हैं, जिसके संयोजक निदेशक (समन्वय) होते हैं।

यह देखा गया है कि एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10 (4) के अनुसार, विशिष्ट कार्यों के लिए किसी भी उप-समिति के गठन की शक्ति समग्र रूप से आयोग के पास है, जिसमें कहा गया है कि "आयोग उप समितियों का गठन कर सकता है और अपनी ऐसी शक्तियां ऐसी उप समितियों को सौंप सकता है जो उन्हें विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं"। वर्तमान अपील समिति का गठन 18.10.2023 को आयोजित एनएमसी की 11^{वीं} बैठक में अनुमोदन से किया गया था और समिति का पुनर्गठन केवल आयोग की स्वीकृति से किया जा सकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अपील समिति की संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

- अपील समिति में एक अध्यक्ष होगा, अर्थात् एनएमसी का अध्यक्ष, तथा बोर्डों के बाहर से नामित दो सदस्य होंगे (02 एनएमसी सदस्यों को अध्यक्ष, एनएमसी द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया जाएगा)।
- एनएमसी के सचिव अपील समिति के सदस्य और संयोजक होंगे, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।
- स्वायत्त बोर्ड (बोर्डों) के अध्यक्ष सदस्य जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके विरुद्ध अपील पर विचार किया जा रहा है, बैठक से अलग हो जाएंगे। समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से उनकी टिप्पणियां मांगी जा सकती हैं।
- कोरम: अपील समिति के 50% सदस्यों सहित अध्यक्ष या नामित सदस्य उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में।
- नियुक्ति की अवधि एनएमसी सदस्यों के रूप में नामित सदस्यों के कार्यकाल से अधिक नहीं हो सकती है क्योंकि अपील समिति में इस तरह का नामांकन एनएमसी सदस्य होने के कारण होता है।

कार्यान्वयन अनुसूची: तत्काल प्रभाव से।

प्रभाव:

- वित्तीय : लागू नहीं
- विधिक : लागू नहीं
- तकनीकी : लागू नहीं

मसौदा निर्णय मद:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 28(5), 35(5) और 22(3) के अंतर्गत दायर पहली अपील और एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30(4) के अंतर्गत दायर पहली अपील और दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार एनएमसी की एक उप-समिति का पुनर्गठन;

मसौदा संकल्प:

एनएमसी एतद्वारा एनएमसी की उप-समिति का पुनर्गठन करने का संकल्प लेता है, जिसका नाम एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10 (4) के प्रावधानों के अनुसार एनएमसी की अपील समिति है, जिसमें आयोग की 11^{वीं} बैठक में अनुमोदित पहले की संरचना को संशोधित किया गया है, जो निम्नानुसार है-

- i. अपील समिति में एक अध्यक्ष अर्थात अपील समिति का एक अध्यक्ष होगा। एनएमसी के अध्यक्ष, एनएमसी के 02 सदस्यों को एनएमसी के अध्यक्ष और एनएमसी के सचिव द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया गया।
- ii. एनएमसी के सचिव अपील समिति के सदस्य और संयोजक होंगे, जो निर्णय लेने का हिस्सा होंगे।
- iii. स्वायत्त बोर्ड (बोर्ड) के अध्यक्ष/सदस्य जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिनके विरुद्ध अपील पर विचार किया जा रहा है, बैठक से अलग हो जाएंगे। हालांकि, समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से उनकी टिप्पणियां मांगी जा सकती है।
- iv. कोरम: अपील समिति के 50% सदस्यों सहित अध्यक्ष या नामित सदस्य उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में।
- v. नियुक्ति की अवधि एनएमसी सदस्यों के रूप में नामित सदस्यों के कार्यकाल से अधिक नहीं हो सकती है क्योंकि अपील समिति में इस तरह का नामांकन एनएमसी सदस्य होने के कारण होता है।
- vi. राय अलग-अलग होने के मामले में, अध्यक्ष एनएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

प्रस्ताव संख्या 1: संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय नहीं की गई गैर-चिकित्सा शिकायतों के निपटान के संबंध में नीतिगत निर्णय लेना।

औचित्य:

नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड ने पाया है कि अधिकांश राज्य चिकित्सा परिषदें बोर्ड द्वारा कई अनुस्मारक जारी किए जाने के बाद भी गैर-मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड को आईएमसी (पीसी, ई एंड ई) अधिनियम, 2002 की धारा 8.7 के अंतर्गत कई अपीलें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पीड़ित ने बोर्ड से उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है क्योंकि संबंधित एसएमसी वर्षों बीत जाने के बाद भी मामले पर निर्णय नहीं ले रही है।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 की धारा 87 में कहा गया है कि जहां या तो अनुरोध पर या अन्यथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को सूचित किया जाता है कि किसी दोषी चिकित्सक (फिजीशियन) के विरुद्ध किसी शिकायत पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है इसके द्वारा और आगे एमसीआई के पास यह मानने का कारण है कि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय न लेने का कोई उचित कारण नहीं है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद:

- (i) संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर शिकायत को समाप्त करने और उस पर निर्णय लेने के लिए कहें,
- (ii) संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के पास लंबित उक्त शिकायत को तुरंत या उस अवधि की समाप्ति के बाद वापस लेने का निर्णय ले सकता है जो एमसीआई द्वारा उपरोक्त पैरा (i) के अनुसार निर्धारित किया गया था, और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने से छह महीने से अधिक की अवधि में इसके शीघ्र निपटान के लिए परिषद की नैतिक समिति को भेज सकती है।

हालांकि, एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30(3) के अनुसार, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या पेशेवर जो उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट है, ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड में अपील कर सकता है, और नैतिकता तथा चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का निर्णय, यदि कोई हो, तो राज्य चिकित्सा परिषद के लिए बाध्यकारी होगा, जब तक कि उप-धारा (4) के अंतर्गत दूसरी अपील नहीं की जाती।

3. उपर्युक्त दो धाराएं परस्पर विरोधी हैं और इसलिए ऐसी शिकायतों के निपटान के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है जो वर्षों से एसएमसी के पास लंबित है और मरीज

लगातार बोर्ड, एनएमसी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आईएमसी विनियम, 2002 की धारा 8.7 के अनुसरण में मामले पर करवाई करें।

पृष्ठभूमि

6 अक्टूबर, 2021 को आयोजित चौथी एनएमसी बैठक में एनएमसी सदस्यों द्वारा कार्यसूची मद 14.3 के माध्यम से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि "केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर या पेशेवर को ईएमआरबी के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए और रोगियों को एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (3) के अंतर्गत ईएमआरबी के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"

कार्यान्वयन अनुसूची: एनएमसी सदस्यों के अनुमोदन पर।

प्रभाव

- वित्तीय - नहीं
- विधिक - नहीं
- तकनीकी - नहीं

अनुलग्नक-ख

प्रस्ताव संख्या-4 : क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त संचार को समझने के लिए अनुवादक

औचित्य:

बोर्ड में यह देखा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में अपीलों के संबंध में कुछ शिकायतें/संचार प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें बोर्ड में काम करने वाले अधिकारियों द्वारा समझना मुश्किल है।

इसलिए, एनएमसी को यह प्रस्ताव किया गया है कि जब भी आवश्यकता हो, बोर्ड को क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त दस्तावेजों का अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद प्रदान करने के लिए अनुवादकों को सूचीबद्ध किया जाए।

कार्यान्वयन अनुसूची: एनएमसी सदस्यों के अनुमोदन पर।

प्रभाव

- वित्तीय - नहीं
- विधिक - नहीं
- तकनीकी - नहीं

परिशिष्ट-क2

19 जून 2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 15^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 15^{वीं} बैठक 19 जून 2024 को प्रातः 11:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3.	डॉ. रुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
4.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
5.	डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, डीजीएचएस (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
6.	डॉ. (प्रो.) बी. श्रीनिवास, सचिव, एनएमसी	संयोजक
7.	प्रो. धुबा ज्योति बोराह, कुलपति, कुलपति, एसएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, असम	सदस्य
8.	प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
9.	प्रो. श्री एस.के. मेहता, कुलपति, लक्षाख विश्वविद्यालय	सदस्य
10.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
11.	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सदस्य
12.	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
13.	डॉ. संतोष कुमार क्रलेटी, सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
14.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान मेडिकल काउंसिल	सदस्य
15.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब मेडिकल काउंसिल	सदस्य
16.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
17.	प्रो. दत्तेश्वर होता, ओडिशा मेडिकल काउंसिल	सदस्य
18.	डॉ. पद्मनाभ वामन रताबोली, गोवा मेडिकल काउंसिल (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
19.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित

क्र.सं.	नाम	पदनाम
20.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
21.	डॉ. जे.एल. मीणा, पूर्णकालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
22.	श्री अनुपम अनीश चौहान, उप सचिव (पी & सी), एनएमसी	आमंत्रित
23.	श्री नवीन कपूर, उप सचिव, एनएमसी	आमंत्रित
24.	श्री के. श्रीनिधि, अवर सचिव (पी & सी), एनएमसी	आमंत्रित

1. स्वागत नोट

एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 15^{वीं} बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया और एनएमसी के अध्यक्ष से अपना स्वागत भाषण देने का अनुरोध किया।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बीएन गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की 15^{वीं} बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उनके मार्गदर्शन और समर्थन की आशा करते हुए एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास से एनएमसी सदस्यों को उनके सुझावों और प्रतिक्रिया के लिए बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने को कहा।

एनएमसी के सचिव ने भी सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कार्यवाही शुरू की।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

एनएमसी के सचिव ने एनएमसी की 15^{वीं} बैठक में एनएमसी की 14^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त को ध्यान लाए, जिसे 13 मई 2024 को एनएमसी के सभी सदस्यों को वितरित किया गया था और सदस्यों से कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

चर्चा के बाद एनएमसी ने एनएमसी की 14^{वीं} बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. 24 जनवरी 2024 को आयोजित एनएमसी की 13^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों पर एनएमसी की पिछली बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर):

चूंकि यह एक सीमित कार्यसूची बैठक थी, इसलिए एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णयों और एनएमसी की गतिविधियों पर अपडेट और 14^{वीं} बैठक के बाद से हुई प्रगति पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट एनएमसी की अगली पूर्ण बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

निर्णय: उपरोक्त अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।

4. नए कार्यसूची बिंदु

4.1 एनएमसी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण की स्वीकृति एवं अंगीकरण। (लेखा प्रभाग द्वारा प्रस्तावित)

निर्णय: आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि सचिव अन्य स्वायत्त संगठनों में भुगतान किए गए विधिक शुल्क की जांच करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि मितव्ययिता उपायों पर विचार किया जाए। पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के मुद्दे को न्यायालय में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि एनएमसी द्वारा उस भुगतान को रोका जा सके। इस बात पर भी सहमति बनी कि एनएमसी के पास खर्च की नियमित जांच के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा टीम होनी चाहिए।

4.2 मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा दी गई निष्पादन बैंक गारंटी/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का युक्तिकरण। (वित्त प्रभाग द्वारा प्रस्तावित)

इस मुद्दे पर पीजीएमईबी के अध्यक्ष श्री वी. के. ओझा की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया था, जिसने सिफारिश की थी कि निजी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को अब से प्रतिधारण की संशोधित अवधि के लिए एकल परफॉर्मंस बैंक गारंटी/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और नीचे दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप दरें प्रस्तुत करनी होंगी:

क्र.सं.	उद्देश्य	अवधि / दर
1.	एमबीबीएस की 50 सीटों पर प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना	6 वर्ष / 15 करोड़
2.	एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (या एमबीबीएस की अतिरिक्त 50 सीटों के लिए)	6 वर्ष / 20 करोड़ (या अतिरिक्त 50 सीटों के लिए 5 करोड़)
3.	एमबीबीएस की 150 सीटों पर प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (या एमबीबीएस की अतिरिक्त 50 सीटों के लिए)	6 वर्ष / 25 करोड़ (या अतिरिक्त 50 सीटों के लिए 5 करोड़)
4.	पीजी डिग्री / उच्च स्पेशियलिटी के लिए	4 वर्ष / 2 करोड़
5.	अतिरिक्त पीजी डिग्री उच्च स्पेशियलिटी के लिए	4 वर्ष / 25 लाख प्रत्येक पाठ्यक्रम सीट / स्पेशियलिटी की वृद्धि के लिए

निर्णय: आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रस्तावित दर के साथ-साथ परफॉर्मंस बैंक गारंटी/ईपीबीजी की आवश्यकता के साथ प्रस्तावित युक्तिकरण की स्वीकृति दी। इसे समाप्ति अवधि के छह महीने बाद जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि एलओपी की शर्तों का उल्लंघन होता है या/और एलओपी आदि को समाप्त करने के विरुद्ध विधिक मामला होता है, तो संबंधित बोर्ड पीबीजी जारी नहीं करने के लिए मुकदमेबाजी के मामले या किसी अन्य रुकावट के बारे में सूचित करेगा।

4.3 स्वायत्त दर्जा/मान्यता प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रस्तावों के संबंध में यूजीसी का संदर्भ (नीति और समन्वय प्रभाग द्वारा प्रस्तावित)

यूजीसी ने 21 नवंबर 2023 को अपने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि कॉलेजों को यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2023 के अनुसार स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। कॉलेज पोर्टल पर आवेदन करते हैं और संबद्ध विश्वविद्यालय इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रदान करते हैं।

आयोग की 572^{वीं} बैठक में मानकों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दर्जा/मान्यता आदि प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रस्ताव पर विचार करते समय अन्य नियामक निकायों आदि द्वारा यूजीसी को उपलब्ध कराई गई प्रासंगिक जानकारी को ध्यान में रखने का निर्णय लिया गया और एनएमसी के दायरे में आने वाले कॉलेजों से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी की मांग की गई।

निर्णय: चूंकि मेडिकल कॉलेज एनएमसी तहत आते हैं और भारत सरकार के व्यवसाय नियमों के आवंटन के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है, इसलिए, मेडिकल कॉलेजों की स्वायत्तता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई एनएमसी द्वारा की जाएगी और इसकी सूचना यूजीसी को दी जा सकती है।

4.4 डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी)-I (आईटी प्रभाग) के ओएंडएम का विस्तार

प्रस्ताव: डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी)-I के संचालन और रखरखाव के विस्तार के लिए अनुबंध की विस्तारित अवधि के पश्चात् अगले छह माह (अर्थात् 31.10.2024) तक पूर्ववत् समान नियमों एवं शर्तों पर अनुबंध के दायरे से परे, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की स्वीकृति।

निर्णय: आयोग ने डीएमएमपी-I परियोजना के संचालन और रखरखाव के विस्तार के प्रस्ताव पर मौजूदा सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) अर्थात् मैसर्स बोध ट्री कंसल्टिंग लिमिटेड के साथ बढ़ाने के प्रस्ताव पर एकमत से सहमति जताई। यह अनुबंध की बढ़ी हुई अवधि यानी 30-04-2024 (31-12-2024 तक) से आठ महीने की अवधि के लिए अनुबंध की विस्तारित अवधि से परे पहले की तरह ही शर्तों पर या एसआई/पीएमयू को काम पर रखने का प्रक्रिया समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। एक एसआई को नए विज्ञापन और जीएफआर प्रक्रियाओं के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

4.5 विदेशी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने के संबंध में निर्णय(पंजीकरण अनुभाग, ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)।

ईएमआरबी ने कार्यसूची में विस्तृत नोट में प्रस्ताव दिया है कि पैरा 11 और 12 में प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, पहले से ही पूरे हो चुके/अपने चिकित्सा पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) का अनुसरण करने वाले उम्मीदवारों को ईसी जारी करने के संबंध में एनएमसी के अधिनियम को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के समक्ष इस विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि क्या इस प्रैक्टिस को जारी रखा जा

सकता है या अन्यथा। ईएमआरबी ने कहा कि यदि पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना बंद कर दिया जाता है तो विभिन्न न्यायालयों में मामलों की अधिकता हो सकती है।

निर्णय: मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि ईएमबी अपनी अगली बैठक में एनएमसी के अनुमोदन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

4.6 सभी राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) में व्यापक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) का कार्यान्वयन (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)।

प्रस्ताव: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) सभी हितधारकों (जैसे एसएमसी, मेडिकल कॉलेज और आरएमपी, आदि) के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर को 2 चरणों में शुरू किया जाएगा: जो इस प्रकार है:

1. चरण 1 - मौजूदा आईएमआर पुनः सत्यापन और डेटा का शुद्धीकरण, अस्थायी एनएमआर का निर्माण तथा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी।
2. चरण 2 - नया एनएमआर पंजीकरण (नए डॉक्टरों के लिए)

निर्दिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के लिए एक कार्य प्रवाह-आधारित प्रणाली विकसित करना।

निर्णय: आयोग ने निर्णय लिया कि यह निर्णय एनएचए द्वारा 20-06-2024 को सॉफ्टवेयर टूल के डेमो के बाद लिया जाना चाहिए और एनएमआर को भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए। एसएमसी से पंजीकरण के सभी नए मामले एनएमआर में आएंगे।

4.7 एनएमसी की सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.06.2024 के आलोक में विदेशी चिकित्सा स्नातक इंटरनशिप जारी करना (पंजीकरण अनुभाग, यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)।

यूजीएमईबी ने एनएमसी के ध्यान में विभिन्न अभ्यावेदन लाए हैं। यूजीएमईबी द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श और सुझावों के लिए 07-06-2024 और 07-12-2023 को सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए।

निर्णय: आयोग ने निर्णय लिया कि यूजीएमईबी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए दिनांक 07-06-2024 के सार्वजनिक नोटिस के संबंध में अधिक विवरण/स्पष्टीकरण जारी करेगा।

4.8 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची - अतिरिक्त बिंदु

संबंधित मुद्दे (i) गेस्ट हाउस कमरों की स्थिति (ii) ई-कार्यालय (iii) सदस्यों के बैठक का शुल्क और (iv) सदस्यों द्वारा उठाए गए कार्यसूची को समय पर साझा करना (v) 18.06.2024 को आयोजित एचएफएम के साथ बैठक में लिए गए निर्णय (vi) एसएमसी द्वारा क्रेडिट प्वाइंट्स का आवंटन।

निर्णय: चर्चा के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए,

(i) सामान्य प्रशासन, एनएमसी गेस्ट हाउस से मौजूदा कार्यालय कक्षों को स्थानांतरित करने सहित गेस्ट हाउस के कमरों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ii) एनआईसी से एनएमसी में एनआईसी-नेट को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है और एनआईसी को आवश्यक तकनीकी विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं। एनआईसी से एनएमसी में एनआईसी-नेट के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है।

(iii) सदस्यों की बैठक शुल्क संशोधन का मामला मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय से शीघ्र प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध किया जा सकता है और इस बीच अन्य स्वायत्त संगठन के सदस्यों की बैठक शुल्क का अवलोकन किया जा सकता है।

(iv) बोर्डों/प्रभागों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित कार्य सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि अंतिम कार्यसूची आयोग के सदस्यों के साथ अग्रिम रूप से साझा किया जा सके।

(v) 18.06.2024 को आयोजित एचएफएम के साथ बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

क यह नोट किया गया कि इस वर्ष 2400000 उम्मीदवार 100000 सीटों के लिए एमबीबीएस प्रवेश की मांग करेंगे। इसके लिए मौजूदा पूल में अधिक यूजी सीटों को जोड़ने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि क्या एनएमसी यूजी सीटें बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर सकती है

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और इस बात पर सहमति हुई कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के मानकों से समझौता किए बिना यूजी सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

ख राज्यसभा संसदीय समिति के सभापति ने कल हुई बैठक में अनिवार्यता उल्लेख किया। सरकारी कॉलेज संबंधित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आवेदन भेजते हैं और इसलिए सरकारी कॉलेजों में ईसी के लिए कागजी कार्रवाई खत्म किया जा सकता है। निजी कॉलेजों के लिए, कॉलेज शुरू करते समय दिया गया ईसी यूजी या पीजी की सभी अतिरिक्त सीटों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस संबंध में ईसी में संशोधन में मंत्रालय का आश्वासन शामिल है, कि मंत्रालय इस मेडिकल कॉलेज या संस्थान में सभी सीटों के लिए जिम्मेदार होगा। अगर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मेडिकल कॉलेज पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है तो इस कॉलेज की किसी भी सीट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी यह जिम्मेदार होगा।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि विशेष रूप से निजी मेडिकल कॉलेजों के संबंध में ईसी की आवश्यकता के संबंध में किसी भी बदलाव को शामिल करने से पहले इस मुद्दे को राज्यों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। एमएआरबी इस उद्देश्य के लिए राज्य प्राधिकारियों के लिए एक परामर्शी बैठक आयोजित करेगा।

ग. जहां तक विदेशी मेडिकल स्नातकों के संबंध में यूजी अधिसूचना के संबंध में, एक स्पष्टीकरण है। जिन छात्रों ने संबंधित विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रतिपूरक पोस्टिंग पूरी कर ली है

और विदेशी मेडिकल स्नातक लाइसेंस परीक्षा पास कर ली है, उन्हें क्लिनिकल क्लर्कशिप करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जिन लोगों ने विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रतिपूरक नैदानिक पोस्टिंग किए बिना विदेशी मेडिकल लाइसेंस परीक्षा पूरी कर ली है, उनसे क्लिनिकल क्लर्कशिप करने की आशा की जाएगी। हालांकि, एफएमजीएल उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों के लिए एक वर्ष की नियमित इंटरनशिप अनिवार्य है।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और इस पर सहमति व्यक्त की

vi. कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए एसएमसी द्वारा क्रेडिट प्वाइंट आवंटित करने के संबंध में एक नीति ईएमआरबी द्वारा तैयार करेगी। सीएमई बिन्दुओं का पालन न करने वाले एसएमसी पर शिकायत निवारण तंत्र ईएमआरबी द्वारा जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

परिशिष्ट-क3

23 सितंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 16^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 16^{वीं} बैठक 23 सितंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणावी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	सदस्य
4.	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, डीजीएचएस (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
6.	डॉ. राजीव बहल, महानिदेशक आईसीएमआर	सदस्य
7.	डॉ. संतोष कुमार कलेती, सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
8.	प्रो. धुबा ज्योति बोराह, कुलपति, कुलपति, एसएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, असम (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
9.	प्रो. श्री एस.के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
10.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ	सदस्य

	साइंसेज, तेलंगाना (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	
11.	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कर्नाटक (ऑनलाइन उपस्थित रहे)	सदस्य
12.	डॉ. मोहनन कुन्नुम्मल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
13.	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल, गुजरात मेडिकल काउंसिल	सदस्य
14.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब मेडिकल काउंसिल	सदस्य
15.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	सदस्य
16.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
17.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
18.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
19.	डॉ. (प्रो.) बी. श्रीनिवास, सचिव, एनएमसी	संयोजक
20.	श्री अनुपम अनीश चौहान, उप सचिव (पी & सी), एनएमसी	आमंत्रित

1. स्वागत नोट

एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 16^{वीं} बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रित लोगों का स्वागत किया और एनएमसी के चेयरमैन से अपना स्वागत भाषण देने का अनुरोध किया।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बीएन गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी की 16^{वीं} बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और वे उनके मार्गदर्शन और समर्थन की आशा करते हैं। उन्होंने एनएमसी के सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास से कहा कि वे एनएमसी सदस्यों के सुझाव और फीडबैक के लिए बैठक का कार्यसूची प्रस्तुत करें।

एनएमसी के सचिव ने भी आमंत्रित सदस्यों का भव्य से स्वागत किया: डॉ. विजयलक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. योगेंद्र मलिक, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य, यूजीएमईबी और कार्यवाही की शुरुआत की।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

एनएमसी के सचिव ने 19 जून 2024 को आयोजित 15^{वीं} एनएमसी बैठक और 15^{वीं} एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त को ध्यान में लाया, जिसे 13 अगस्त 2024 को एनएमसी के सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से प्रसारित किया गया था और सदस्यों से कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

चर्चा के बाद एनएमसी ने 15^{वीं} एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. 1 मई 2024 और 19 जून 2024 को आयोजित 14^{वीं} और 15^{वीं} एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर एनएमसी की पिछली बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर):

एनएमसी की 14^{वीं} बैठक:

3.1 कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.1) के शेष पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे (पीजीएमईबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इस मामले पर एनएमसी की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पीजी बोर्ड सीपीएस पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करेगा। इस मामले को कार्यसूची (4.6) के रूप में आयोग के समक्ष रखा जा रहा है।

निर्णय:

नोट किया गया।

3.2 एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.3)

(स्थापना):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के साथ यह साझा किया गया था कि स्थापना प्रभाग से समीक्षा और अद्यतन करने के अनुरोध के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने वाले पुनः अभ्यावेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्णय:

स्थापना प्रभाग इस मामले पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बारीकी से कार्रवाई करेगा

3.3 एनएमसी के चेयरमैन/अध्यक्ष/सदस्य/सचिव को शैक्षणिक भत्ते और अतिरिक्त विशेष एनएमसी भत्ता (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.4) की अनुमति देना (स्थापना):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के साथ यह साझा किया गया था कि समीक्षा के अनुरोध के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा। एनएमसी के सचिव ने बताया कि उपरोक्त मामले पर मंत्रालय को पहले ही अनुस्मारक भेजा जा चुका है।

निर्णय:

स्थापना प्रभाग इस मामले पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बारीकी से कार्रवाई करेगा।

3.4 ईएमआरबी द्वारा कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण के लिए गठित समितियां और माननीय न्यायालय में एनएमसी और ईएमआरबी के मामले की प्रस्तुति (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.14) (ईएमआरबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

14^{वीं} बैठक में ईएमआरबी ने सदस्य ईएमआरबी द्वारा सूचित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा था, समितियों ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है जिसे एनएमसी की स्वीकृति के लिए एनएमसी की 16^{वीं} बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय:

नोट किया गया

3.5 आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के प्रयोजन के लिए सीटों की संख्या के बारे में स्पष्टीकरण (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.17) (यूजीएमईबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने निर्णय लिया था कि यूजी और पीजी बोर्ड आवश्यक दिशानिर्देश/परिपत्र जारी करेंगे, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल कॉलेज को दी जाने वाली सभी सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा सहित सभी आरक्षण शामिल होंगे। यूजीएमईबी ने दिनांक 20.10.2023 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्धारित सीट कोटे के भीतर ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित छात्रों की स्वीकृत संख्या को प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है। एनएमसी द्वारा किसी भी अतिरिक्त सीट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निर्णय:

नोट किया गया

3.6 एनएमसी की 10^{वीं} बैठक में स्वीकृत अपील शुल्क की मात्रा में संशोधन (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.20) (नीति और समन्वय प्रभाग):

एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में एनएमसी ने एनएमसी के अध्यक्ष को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। एनएमसी की वेबसाइट पर दिनांक 21.05.2024 की संख्या सी-12012/10/2023-कॉर्ड-एनएमसी के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना डाली गई है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि "आयोग ने अपनी 13^{वीं} बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से संबंधित कॉलेजों/संस्थानों द्वारा दायर

अपीलों के मामलों में 50,000/- रुपये और व्यक्तियों द्वारा दायर अपील के सभी मामलों में 5,000/- रुपये का एक समान शुल्क अपनाने का निर्णय लिया गया है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.7 एनएमसी में नीति और समन्वय विंग के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों/कार्यक्षेत्रों की स्थापना (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.21) (स्थापना):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

समिति द्वारा सेवानिवृत्त सलाहकारों की नियुक्ति की स्थिति का संज्ञान लिया गया, हालांकि चूंकि पहले की कार्यसूची नीति और समन्वय विंग के अंतर्गत विभिन्न वर्टिकल्स की स्थापना से संबंधित था, जिसमें एडीबी के सलाहकारों के साथ-साथ एनआईएसजी के माध्यम से नियुक्त सलाहकार भी शामिल थे, इसलिए एनएमसी के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। एनएमसी के सचिव ने बताया कि स्थापना सुधार के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कर रही है तथा उसके उपरांत सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी।

निर्णय:

एनएमसी ने एनएमसी के कामकाज को सुदृढ़ करने में तेजी लाने और एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने की मांग की।

3.8 आईटी प्रभाग द्वारा डीएमएमपी के पंजीकरण मॉड्यूल में ईएमआरबी द्वारा अनुरोधित परिवर्तन (14^{वीं} बैठक की एटीआर संख्या 3.26) (आईटी प्रभाग):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने 14^{वीं} बैठक में ईएमआरबी द्वारा अनुरोधित परिवर्तनों की स्वीकृति दे दी है। पंजीकरण प्रभाग को लागत और समय प्रभावशीलता के लिए सभी मॉड्यूल की फिर से जांच करने के बाद सभी परिवर्तनों के लिए एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसका अभी भी इंतजार है।

निर्णय:

एनएमसी ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने और एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने की मांग की।

3.9 डीएमएमपी-I और डीएमएमपी-II परियोजनाओं सहित एनएमसी की आईसीटी पहलों की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना। (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.1) (आईटी प्रभाग):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी द्वारा 14^{वीं} बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आईटी प्रभाग डीएमएमपी-1 और डीएमएमपी-2 के कार्यान्वयन से जुड़े सभी मुद्दों पर एक प्रस्तुति देगा, इसके उन्नयन और आईटी पीएमयू के साथ-साथ नए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) को नियुक्त करेगा। एनएमसी को यह सूचित किया जाता है कि एसआई, डीएमएमपी-1 और डीएमएमपी-2 परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों को देखते हुए प्रस्तावित प्रस्तुति की सामग्री तैयार की जा रही है, जो वर्तमान में जमा की जा रही फाइलों पर निर्णय लंबित है।

एनएमसी के सचिव ने बताया कि आईटी प्रभाग दिसंबर 2024 से पहले आईटीपीएमयू के साथ-साथ एक नए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) को काम पर रखने की प्रक्रिया में है।

निर्णय:

एनएमसी ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने और एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने की मांग की।

3.10 मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल की ओपीडी/ आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं में पंजीकृत सभी रोगियों के लिए एबीएचए (ABHA) आईडी (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.2) (आईटी प्रभाग):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में, आयोग ने कॉलेज की संभावनाओं पर निर्णय लेने के लिए अस्पताल में सभी रोगियों और अन्य नैदानिक सामग्री के प्रमाणीकरण की सुदृढ़ आवश्यकता का समर्थन किया (यूजी या पीजी में बड़ी हुई सीटें, नए कॉलेज, छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति/मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण)। एनएमसी ने बताया कि कॉलेजों को सलाह दी जानी चाहिए कि उनके अस्पतालों को सभी मरीजों के पंजीकरण के लिए एबीएचए आईडी एकत्र करनी चाहिए।

एनएमसी के निर्णय से सार्वजनिक सूचना दिनांक 04-06-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया था। इसके अलावा, अध्यक्ष (एनएमसी) ने दिनांक 11-07-2024 के अपने नोट के माध्यम से डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य, यूजीएमईबी को बोर्डों द्वारा निर्णय लेने के लिए एबीएचए आईडी से संबंधित नैदानिक सामग्री का उपयोग करने के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के विकास के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। इस संबंध में, एनएमसी को शामिल करने और सदस्य (यूजीएमईबी) की मदद करने के लिए एक आईटी व्यक्ति की पहचान करने और संलग्न करने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा, एनएमसी द्वारा बेहतर रोगी भार निगरानी के लिए एईबीएस और एबीएचए आईडी के एकीकरण सहित आईटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति में एनएमसी, एनआईसी, आईआईटी और यूआईडीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे, जिनके लिए कुछ नामांकन प्रतीक्षित हैं।

निर्णय:

नोट किया गया

3.11 गैर-शिक्षण अस्पतालों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों की इंटरनशिप का सत्यापन (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.3) (यूजीएमईबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

14^{वीं} बैठक में, एनएमसी ने गैर-शिक्षण अस्पतालों में एफएमजी के लिए 2 और वर्षों की अवधि के लिए इंटरनशिप की स्वीकृति दी है।

यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने एनएमसी को अपडेट किया है कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं और एफएमजी छात्रों ने गैर-शिक्षण अस्पतालों में इंटरनशिप शुरू कर दी है, और यह 2026 तक वैध है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.12 पाठ्यक्रम में दिव्यांगता दक्षताएं। (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.4) (यूजीएमईबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने निर्णय लिया कि यूजी बोर्ड इस मुद्दे की जांच करके अपनी सिफारिशें दे सकता है। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले पर चर्चा की गई है और हम इस मामले के लिए गठित समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति की सिफारिशें एक सप्ताह या 10 दिनों में प्राप्त की जाएंगी।

निर्णय:

नोट किया गया

3.13 पीजीआईएमईआर-2023 में संशोधन (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.5) (पीजीएमईबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

कार्यसूची को एनएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया था, और यह निर्णय लिया गया था कि पीजीएमईबी उचित दिशानिर्देश और मसौदा तैयार कर सकता है, पीजीएमईबी से किसी भी अन्य अपडेट की अभी प्रतीक्षा है।

पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने बताया कि कार्य अभी भी प्रक्रिया में है और इसे अगली बैठक में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय:

एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत की जाएगी।

3.14 सूचना के अधिकार के अंतर्गत मानक मूल्यांकन प्रपत्र (एसएएफ) का प्रकटीकरण और एनएमसी की वेबसाइट पर इसका स्वतः आदर्श वाक्य प्रकाशन। (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.6) (एमएआरबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में, आयोग ने राय दी कि एसएएफ फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में होने की आवश्यकता नहीं है और एमएआरबी को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया, एमएआरबी से किसी भी आगे के अपडेट की प्रतीक्षा अभी भी है।

एनएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि एमएआरबी सदस्यों के साथ इस मामले के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि एसएएफ फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं है, और हम उचित अनुमोदन के बाद किसी भी विधिक कार्यवाही या आरटीआई के आधार पर दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं।

विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अपर सचिव सुश्री वी. हेकाली झिमोमी ने सुझाव दिया कि विधिक मामलों के विभाग से विधिक राय प्राप्त की जा सकती है।

निर्णय:

यह निर्णय लिया गया कि एमएआरबी द्वारा विधि कार्य विभाग से विधिक राय ली जा सकती है।

3.15 एनएमसी के अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क के निर्धारण के लिए दिनांक 23.03.2023 का विधिक शुल्क दिशानिर्देशों लागू होंगी। (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.7) (विधि):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने डॉ. मनमोहन, डॉ. नंदीमथ (विनियमों के विकास के लिए एनएमसी द्वारा सलाहकार नियुक्ति) और सचिव, एनएमसी (संयोजक) की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया, जो विवरणों की जांच करेगी और लागू की जा सकने वाली कार्रवाई की सलाह देगी। विधि अनुभाग से आगे के अपडेट की प्रतीक्षा है।

निर्णय:

प्रक्रिया में तेजी लाने और एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने के लिए नोट किया गया।

3.16 एनएमसी में अपील समिति का पुनर्गठन (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.8) (नीति और समन्वय प्रभाग):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

अपील समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को एनएमसी ने स्वीकृति दे दी थी। अपील समिति का पुनर्गठन कार्यालय ज्ञापन संख्या सीडीएन-12012/2/2024-समन्वय-एनएमसी दिनांक 03.05.2024 (अनुलग्नक-घ) के अंतर्गत किया गया है। अपील समिति की संरचना इस प्रकार है:

1. अध्यक्ष, एनएमसी, अध्यक्ष
2. डॉ. दत्तेश्वर होता, ओडिशा मेडिकल काउंसिल (कुलपति, ओडिशा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय) सदस्य (नामांकित)
3. डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, कर्नाटक सदस्य (नामांकित)
4. सचिव, एनएमसी संयोजक (मतदान का अधिकार नहीं)

एनएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि एनएमसी सदस्य के रूप में डॉ. दत्तेश्वर होता का कार्यकाल समाप्त हो गया है, और अपील समिति में भी एक प्रतिस्थापन किया जाएगा।

निर्णय:

नोट किया गया है कि एनएमसी ने एनएमसी के अध्यक्ष को डॉ. दत्तेश्वर होता के रिक्त पद के लिए अपील समिति में उपयुक्त प्रतिस्थापन नामित करने के लिए अधिकृत किया है।

3.17 संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा तय नहीं की गई गैर-चिकित्सा शिकायतों के निपटान के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर नीतिगत निर्णय लेना। (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.9(1)) (ईएमआरबी):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि ईएमआरबी द्वारा प्राप्त सभी अपीलों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, जहां तक बोर्डों द्वारा अनुस्मारक जारी किए जाने के बाद भी गैर-मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दायर की गई शिकायतों पर राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए ईएमआरबी द्वारा राज्य चिकित्सा परिषदों को एक पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। संबंधित एसएमसी द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने की स्थिति में, ईएमआरबी एसएमसी से शिकायत/मामले को अपने हाथ में ले सकता है और उसका निपटान कर सकता है। यह ईएमआरबी द्वारा नोट किया गया है, और बोर्ड तदनुसार आगे बढ़ेगा।

निर्णय:

नोट किया गया

3.18 क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त संचार को समझने के लिए अनुवादक (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.9 (2) (ईएमआरबी)):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में सूचीबद्ध अनुवादकों या अन्य मौजूदा प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी। ईएमआरबी ने कहा है कि एनएमसी प्रतिष्ठान बोर्ड को पैनल में शामिल अनुवादकों की सूची प्रदान करेगा और उसके बाद जहां भी आवश्यक होगा, ईएमआरबी उनकी मदद लेगा।

निर्णय:

एनएमसी ने अनुवादकों के पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।

3.19 अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना (14^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 5.9 (3) (एमएआरबी)):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने निर्णय लिया कि शुद्धिपत्र लगाया जा सकता है, जहां यूजी/पीजी की सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों में अनिवार्य प्रमाणपत्र के साथ-साथ संबद्धता प्रपत्रों की सहमति भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसे एमएआरबी द्वारा संशोधित किया जाएगा।

आयोग को सूचित किया गया कि इस बैठक में इस मामले को नए कार्यसूची (4.11) के रूप में लिया गया है।

निर्णय:

नोट किया गया

एनएमसी की 15^{वीं} बैठक:

3.20 एनएमसी के आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण की स्वीकृति और अपनाना (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.1 (लेखा प्रभाग द्वारा प्रस्तावित)):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि सचिव अन्य स्वायत्त संगठनों में भुगतान किए गए विधिक शुल्क की जांच करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि मितव्ययिता उपायों पर विचार किया जाए। पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के मुद्दे को एनएमसी द्वारा उस भुगतान को रोकने के लिए कानून की न्यायालय में आक्रामक रूप से आगे

बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात पर भी सहमति बनी कि एनएमसी को खर्च पर नियमित जांच के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करानी चाहिए।

एनएमसी के सचिव ने आयोग को लेखा विभाजन से संबंधित इन बिंदुओं पर कार्रवाई से अवगत कराया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएमसी के लेखों के वार्षिक विवरण का अनुमोदन और अंगीकरण।

यह बताया गया है कि लेखों के उक्त स्वीकृत विवरण तुरंत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को तत्काल भेज दिए गए थे। बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बाद में समन्वय अनुभाग से प्राप्त होने के बाद अग्रेषित की गई। परिणामस्वरूप, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने एनएमसी में इसके लेखापरीक्षा के लिए अपनी टीम की प्रतिनियुक्ति की और आधा मार्जिन/ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ख. इस बात पर भी सहमति बनी कि एनएमसी को खर्च पर नियमित जांच के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करानी चाहिए।

उपरोक्त निर्णय के संबंध में, यह कहा गया है कि पहले से ही कर्मचारियों की कमी है, इसलिए दो सलाहकारों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करना समझदारी होगी, जिनके पास मुख्य लेखा पृष्ठभूमि है, अर्थात् लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में काम किया हो, खासकर सीजीए कार्यालय में। एक बार जब उन्हें भर्ती कर लिया जाता है और लेखा प्रभाग में तैनात कर दिया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए लेखा प्रभाग को उचित रूप से नया रूप दिया जा सकता है। इस बीच, इस उद्देश्य के लिए लेखा प्रभाग में कुछ अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है। इस मामले को दो सलाहकार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, खासकर सीजीए कार्यालय से नियुक्त करने के लिए प्रशासन को लिखा गया है। इस बीच, अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान का मुद्दा

निर्णय के संबंध में, यह बताया गया है कि लेखा प्रभाग और स्थापना प्रभाग एसजी/एसजी के स्तर पर मामले का बचाव करने के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाने के लिए समन्वय करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विस्तृत जानकारी के साथ एक पत्र लिखा जा रहा है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.21 मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का युक्तिकरण। (वित्त प्रभाग द्वारा प्रस्तावित) (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.2):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग ने प्रस्तावित दर के साथ-साथ शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/ईपीबीजी की आवश्यकता के साथ प्रस्तावित युक्तिकरण की स्वीकृति दी। इसे समाप्ति अवधि के छह महीने बाद जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि एलओपी शर्तों का उल्लंघन होता है या/और एलओपी आदि की समाप्ति के विरुद्ध विधिक मामला होता है, तो संबंधित बोर्ड पीबीजी जारी नहीं करने के लिए मुकदमे या किसी अन्य रुकावट के बारे में बताएगा। इस संबंध में एनएमसी की वेबसाइट पर 02.09.2024 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है और 20.09.2024 को आगे की स्पष्टीकरण सूचना भी एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.22 स्वायत्त दर्जा/मान्यता प्रदान करने के लिए एचईआई के प्रस्तावों के संबंध में यूजीसी का संदर्भ (नीति और समन्वय प्रभाग द्वारा प्रस्तावित) (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.3):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने निर्णय लिया है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज एनएमसी द्वारा शासित होते हैं और भारत सरकार के व्यवसाय नियमों के आवंटन के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन हैं, इसलिए, मेडिकल कॉलेजों की स्वायत्तता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई एनएमसी द्वारा की जाएगी और इसकी सूचना यूजीसी को दी जा सकती है। इस निर्णय से यूजीसी को अवगत कराया जा रहा है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.23 डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी)-I (आईटी प्रभाग) के ओएंडएम का विस्तार (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.4):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग ने सर्वसम्मति से मौजूदा सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) अर्थात् मैसर्स बोध ट्री कंसल्टिंग लिमिटेड के साथ डीएमएमपी-I परियोजना के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के विस्तार के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जो अनुबंध की विस्तारित अवधि से परे आठ महीने की अवधि के लिए अर्थात् 30-04-2024 (31-12-2024 तक) अनुबंध के दायरे से परे है, जो पहले के नियमों और शर्तों पर या एसआई/पीएमयू को नियुक्त करने की प्रक्रिया समाप्त होने, जो भी पहले हो, तक है। एक एसआई को नए विज्ञापन और जीएफआर प्रक्रियाओं के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। एसआई को विस्तार देने के लिए फाइल एसआई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी की राशि और अवधि के मामले पर अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

निर्णय:

आईटी प्रभाग नए एसआई और आईटी-पीएमयू को शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।

3.24 विदेशी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रवेश के लिए पात्रताप्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने के संबंध में निर्णय। (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.5) (पंजीकरण अनुभाग, ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ने निर्णय लिया है कि ईएमआरबी एनएमसी के अनुमोदन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे। यह मामला एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जा रही विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातकों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा को जारी रखने/रोकने से संबंधित था। इस मामले के संबंध में, हेमिका रानी सिंह बनाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने या रोकने के लिए इसे एनएमसी के समक्ष रखने के लिए एक व्यापक तस्वीर समन्वय प्रभाग को भेजी गई थी। इस मामले के संबंध में एक समग्र परिदृश्य प्रस्तुत किया गया था, हालांकि फिर भी एनएमसी में चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि ईएमआरबी अपनी अगली बैठक में एनएमसी के अनुमोदन के लिए पुनः एक व्यापक प्रस्ताव दे सकता है।

इस संबंध में, यह भी अवगत कराया जाता है कि ईसी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी 5 सितंबर 2024 से खोला गया है और यह कहा गया है कि विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का यह अंतिम अवसर है। इस स्थिति को अब एनएमसी की 16^{वीं} बैठक से पहले रखा जा सकता है।

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि:

3.22.1 ईएमआरबी ईसी जारी करने के लिए आवेदन करने के लिए उपलब्ध अंतिम अवसर के बारे में समाचार- पत्रों के माध्यम से और सभी दूतावासों के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा। ईएमआरबी कम उम्र के एफएमजी को ईसी जारी करने के संबंध में एसजी से विधिक राय लेगा।

3.25 सभी राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) में व्यापक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) का कार्यान्वयन (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)। (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.6):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग ने निर्णय लिया था कि यह निर्णय 20-06-2024 को एनएचए द्वारा सॉफ्टवेयर टूल के डेमो के बाद लिया जाना चाहिए और एनएमआर को भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यसूची में शामिल

किए जाने के आलोक में लिया जाना चाहिए। एसएमसी से पंजीकरण के सभी नए मामले एनएमआर में आएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 23.08.2024 को एनएमआर पोर्टल का उद्घाटन किया गया है और इस संबंध में 30.08.2024 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है।

निर्णय:

नोट किया गया

3.26 एनएमसी की सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.06.2024 के आलोक में विदेशी चिकित्सा स्नातक की इंटर्नशिप जारी करना: (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.7) (पंजीकरण अनुभाग, यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग ने निर्णय लिया कि यूजीएमईबी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए दिनांक 07.06.2024 के सार्वजनिक नोटिस के संबंध में अधिक विवरण/स्पष्टीकरण जारी करेगा। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने बताया कि स्पष्टीकरण पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

निर्णय:

नोट किया गया

3.27 गेस्ट हाउस के कमरों की स्थिति (15^{वीं} बैठक की कार्यसूची संख्या 4.8) (सामान्य प्रशासन):

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के सचिव ने आयोग को अवगत कराया कि स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एनएमसी के मुख्य भवन में जगह बनाने के लिए हाल ही में स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है ताकि गेस्ट हाउस में बैठे कर्मचारियों को भी वहाँ समायोजित किया जा सके। प्रारंभ में, दो बोर्डों के कर्मचारियों को निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। बैठने की व्यवस्था से संबंधित पहले जारी किए गए आदेशों को लागू होते ही गेस्ट हाउस के कमरों को खाली करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की आगे की स्थानांतरण से संबंधित नए आदेश जारी किए जाएंगे।

निर्णय:

नोट किया गया

3.28 अध्यक्ष की अनुमति से उठाए गए अतिरिक्त कार्यसूची (एडिशनल एजेंडा)

- i. ई-कार्यालय से संबंधित मुद्दे।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनआईसी से एनएमसी में एनआईसी-नेट को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है और एनआईसी को आवश्यक तकनीकी विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं। एनआईसी से एनएमसी में एनआईसी-नेट के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है। एनएमसी ने सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के लिए अपने परिसरों में एनआईसीएनईटी कनेक्टिविटी स्थापित करने की परिकल्पना की है। इसलिए, एनआईसी से सचिव के डीओ पत्र दिनांक 08-05-2024 के माध्यम से प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया था। एनआईसी ने दिनांक 22-07-2024 के ई-मेल के माध्यम से एनएमसी द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें और आवश्यकताओं के बारे में बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है और मौजूदा नेटवर्क बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और इसके कार्यान्वयन में आवश्यक सहायता के लिए जानकारी का अनुरोध किया है। एनआईसी द्वारा मांगी गई जानकारी एनएमसी द्वारा 02-09-2024 को प्रदान की गई है और आगे क्या करना है, इस पर एनआईसी से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

निर्णय:

नोट किया गया

ii. सदस्यों के बैठक शुल्क से संबंधित मुद्दे।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सदस्यों की बैठक शुल्क संशोधन का मामला मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय से शीघ्र प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध किया जा सकता है और इस बीच अन्य स्वायत्त संगठन के सदस्यों की बैठक शुल्क का अवलोकन किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है।

निर्णय:

एनएमसी इस मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बारीकी से आगे बढ़ाएगा।

iii. सदस्यों द्वारा कार्यसूची को समय पर साझा करने से संबंधित मुद्दे उठाए गए।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

बोर्डों/प्रभागों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित कार्यसूची प्रस्तुत करें ताकि अंतिम कार्यसूची आयोग के सदस्यों के साथ अग्रिम रूप से साझा किया जा सके। बोर्डों से समय पर कार्यसूची प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय:

नोट किया गया

iv. 18.06.2024 को आयोजित एचएफएम के साथ बैठक में लिए गए निर्णय।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

18.06.2024 को आयोजित एचएफएम के साथ बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

क. यह नोट किया गया कि इस वर्ष 2400000 और अभ्यर्थी 100000 सीटों के लिए एमबीबीएस प्रवेश की मांग करेंगे। इसके लिए मौजूदा पूल में अधिक यूजी सीटों को जोड़ने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि क्या एनएमसी यूजी सीटें बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर सकती है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और इस बात पर सहमति हुई कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के मानकों से समझौता किए बिना यूजी सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

निर्णय

आयोग ने इस मामले पर एक बार फिर विचार-विमर्श किया है और यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय इस संबंध में एक समिति का गठन कर सकता है, जिसमें एनएमसी के सदस्य भी शामिल हैं।

ख. राज्यसभा संसदीय समिति के सभापति ने कल हुई बैठक में अनिवार्यता प्रमाणपत्र का उल्लेख किया। सरकारी कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आवेदन भेजते हैं और इसलिए सरकारी कॉलेजों को इसी के लिए पेपरवर्क खत्म किया जा सकता है। निजी कॉलेजों के लिए, कॉलेज शुरू करते समय दिया गया इसी यूजी या पीजी की सभी अतिरिक्त सीटों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस संबंध में इसी में संशोधन में मंत्रालय का आश्वासन शामिल है, कि मंत्रालय इस मेडिकल कॉलेज या संस्थान में सभी सीटों के लिए जिम्मेदार होगा। यह इस कॉलेज में किसी भी सीट को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में स्थानांतरित करने, मेडिकल कॉलेज पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि विशेष रूप से निजी मेडिकल कॉलेजों के संबंध में इसी की आवश्यकता के संबंध में किसी भी बदलाव को शामिल करने से पहले इस मुद्दे को राज्यों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। एमएआरबी इस उद्देश्य के लिए राज्य प्राधिकारियों के लिए एक परामर्शी बैठक आयोजित करेगा।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि विशेष रूप से निजी मेडिकल कॉलेजों के संबंध में इसी की आवश्यकता के संबंध में किसी भी बदलाव को शामिल करने से पहले इस मुद्दे को राज्यों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। एमएआरबी इस उद्देश्य के लिए राज्य प्राधिकारियों के लिए एक परामर्शी बैठक आयोजित करेगा।

की गई कार्रवाई: एमएआरबी द्वारा एनएमसी की 16^{वीं} बैठक में "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन रेटिंग विनियम, 2023" संक्षेप में "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में संशोधन हेतु एक कार्यसूची प्रस्तावित की गई है (कार्यसूची 4.11 में देखा जा सकता है)

निर्णय

नोट किया गया

ग. विदेशी चिकित्सा स्नातकों के संबंध में यूजी अधिसूचना, एक स्पष्टीकरण है। जिन छात्रों ने संबंधित विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रतिपूरक पोस्टिंग पूरी कर ली है और विदेशी मेडिकल स्नातक लाइसेंस परीक्षा पास कर ली है, उन्हें क्लिनिकल क्लर्कशिप करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जिन लोगों ने विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रतिपूरक नैदानिक पोस्टिंग किए बिना विदेशी मेडिकल लाइसेंस परीक्षा पूरी कर ली है, उनसे क्लिनिकल क्लर्कशिप करने की अपेक्षा की जाएगी। हालांकि, एफएमजीएल उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों के लिए एक वर्ष की नियमित इंटरनशिप अनिवार्य है।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और इस पर सहमति व्यक्त की।

की गई कार्रवाई: यूजीएमईबी ने स्पष्टीकरण अधिसूचित कर दिए हैं।

निर्णय

नोट किया गया

घ. एसएमसी द्वारा क्रेडिट प्वाइंट के आवंटन से संबंधित मुद्दे:

निर्णय:

एनएमसी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए एसएमसी द्वारा क्रेडिट प्वाइंट आवंटित करने के संबंध में एक नीति ईएमआरबी द्वारा तैयार की जानी है। सीएमई बिन्दुओं का पालन न करने वाले एसएमसी पर शिकायत निवारण तंत्र ईएमआरबी द्वारा जारी किया जाना है। ईएमआरबी से अपडेट की अभी प्रतीक्षा है।

की गई कार्रवाई: सदस्य ईएमआरबी ने बताया कि यह मामला उन विनियमों में है जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है लेकिन उन्हें स्थगित रखा गया है।

निर्णय:

नोट किया गया

4. नए कार्यसूची बिंदु

4.1 कथित चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों को निराधार या अनुचित अभियोजन से संरक्षण देने हेतु मसौदा दिशानिर्देशों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से अनुमोदन मांगा जा रहा है।

ईएमआरबी ने मसौदा दिशानिर्देशों के गठन के लिए अनुमोदन मांगा है, क्योंकि इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी जानकारी मांगी गई है। ईएमआरबी ने चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों को निराधार या अनुचित अभियोजन से बचाने के लिए विभिन्न

दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं। विस्तृत मसौदा दिशानिर्देश कार्यसूची प्रवाह (एजेंडा फ्लो) दस्तावेज के अनुलग्नक-1 में देखा जा सकता है।

निर्णय:

यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में विस्तृत विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

4.2. बार ऑफ इंडियन लॉयर्स के अध्यक्ष जसबीर सिंह मलिक बनाम डी के गांधी, पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और अन्य (2009 का सीए नंबर 2646) के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के जवाब में एक अवधारणा नोट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपी अधिनियम) से कुछ पेशे को बाहर रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)

सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (1) (ओ) के मुख्य भाग में "सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सेवाओं को शामिल करने के लिए, जैसा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा "इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता और अन्य" में तय किया गया था, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है और इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। इस बीच, ईएमआरबी के सदस्य डॉ. योगेंद्र मलिक की अध्यक्षता में एक समिति ने राय दी है कि एनएमसी उक्त मामले में एक आवश्यक पक्ष बन जाएगा। और जब तक ऐसी पीठ का गठन नहीं हो जाता, तब तक एनएमसी न्यायालय के समक्ष रखे जाने के लिए तैयारी कर सकती है। इसलिए, ईएमआरबी द्वारा अगली कार्रवाई पर चर्चा की मांग की गई है। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-11 में देखा जा सकता है।

निर्णय:

यह निर्णय लिया गया कि यह मामला दो मंत्रालयों से संबंधित है; अतः ईएमआरबी इस विषय को स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ उठाएगा।

4.3 आचरण विनियम, 2023 को स्थगन से बाहर लाने के लिए मामले को उठाने के लिए एनएमसी की मंजूरी लेना। (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)

ईएमआरबी ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023 को स्थगन से बाहर लाने के लिए एनएमसी की स्वीकृति मांगी है, जिसे 02.08.2023 को अधिसूचित किया गया था और 11.08.2023 को प्रकाशित किया गया था और बाद में 23.08.2023 को स्थगित कर दिया गया था। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-11 में देखा जा सकता है।

निर्णय:

ईएमआरबी उपर्युक्त विनियम को आगे की राय के लिए एमओएचआईएफडब्ल्यू को भेजेगा।

4.4 राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का परिचालन (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित)

ईएमआरबी ने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) की प्रगति प्रस्तुत की है, जिसका उद्घाटन 23.08.2024 को अनुलग्नक-IV में कार्यसूची के माध्यम से किया गया था।

निर्णय:

नोट किया गया

4.5 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (ईएमआरबी द्वारा प्रस्तावित) द्वारा नीम हकीम विरोधी दिशानिर्देशों के मसौदे की स्वीकृति की मांग

ईएमआरबी ने नीम हकीम (क्वैकरी) पर एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 (धारा 54 के साथ पठित) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों से संबंधित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद एकसमिति का गठन किया था, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किए जाते हैं और एनएमसी के अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-V में कार्यसूची के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

निर्णय

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि एनएमसी के बाहर दूसरे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। ईएमआरबी इस संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श करेगा।

4.6 सीपीएस मुंबई मामलों पर एनएमसी का मूल्यांकन (पीजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

एनएमसी की 14^{वीं} बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीजी बोर्ड सीपीएस पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करेगा। पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने एनएमसी को सीपीएस मामले में विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पीजीएमईबी के कामकाज की आवश्यकता के अनुसार और पीजीएमईबी और एनएमसी की सिफारिश के अनुसार, विभिन्न अज्ञात अस्पतालों के अंतर्गत चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश तब तक रोक दिया गया है जब तक कि ऐसे संस्थान आगे नहीं आते हैं और अपनी पहचान घोषित नहीं करते हैं और एनएमसी के मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने एनएमसी को एक निजी निकाय सीपीएस द्वारा दी जाने वाली योग्यता को मान्यता रद्द करने के लिए पीजीएमईबी की सिफारिश के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा कि मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है और मान्यता रद्द करने पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-VI में देखा जा सकता है।

निर्णय

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मान्यता रद्द करने पर निर्णय लेने से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

4.7 एकीकृत स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में निहित सिफारिशें। (पीजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

पीजीएमईबी ने एकीकृत पारिवारिक चिकित्सा में एक नया पाठ्यक्रम अर्थात एमडी शुरू करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में निहित प्रस्ताव के संबंध में एनएमसी की बैठक में विस्तृत चर्चा की मांग की है, जिसमें एमबीबीएस के साथ-साथ बीएएमएस जैसी चिकित्सा की अन्य स्ट्रीम के स्नातक प्रवेश पाने के पात्र होंगे। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-VII में देखा जा सकता है।

निर्णय

निर्णय लिया गया है कि इस समय इस कार्यसूची मद को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.8 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकताओं के न्यूनतम मानक की स्वीकृति-2024 (पीजीएमएसआर-2024)। (पीजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन (पीजीआईएमईआर)-2023 के विनियमन 3.4 के अनुसार, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यकताओं के न्यूनतम मानक (एमएसआर) दस्तावेज तैयार और अधिसूचित करेगा। तदनुसार, पीजीएमईबी ने पीजीएमएसआर-2023 प्रकाशित किया था। अब पीजीएमईबी ने पीजीएमएसआर-2023 दस्तावेजों में कुछ संशोधनों के साथ संशोधित एमएसआर (पीजीएमएसआर-2024) दस्तावेज तैयार किए हैं और 23.08.2024 को एनएमसी वेबसाइट पर अधिसूचित किए हैं। इसे अनुलग्नक-VIII में विस्तृत कार्यसूची के अनुसार एनएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

निर्णय

यह भी निर्णय लिया गया कि सदस्य पीजीएमईबी को अपनी टिप्पणियां और सिफारिश दें।

4.9 मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्य बल समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशें। (पीजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के विभिन्न हालिया उदाहरणों के कारण मेडिकल छात्रों के अवसाद और आत्महत्या के कारण, एनएमसी की रैगिंग रोधी समिति ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें देश भर में मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिफारिशों की रूपरेखा तैयार की गई है। समिति की रिपोर्ट 14 अगस्त 2024 को एनएमसी की वेबसाइट पर रखी गई थी। इस संबंध में, पीजीएमईबी ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्य बल समिति की रिपोर्ट द्वारा दी गई सिफारिशों के लिए एनएमसी की स्वीकृति मांगी है। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-IX में देखा जा सकता है।

निर्णय

समिति की रिपोर्ट कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कार्यबल द्वारा विचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी जाए।

4.10 चिकित्सा संस्थान विनियम, 2024 में शिक्षक पात्रता योग्यता का मसौदा (पीजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

टीईक्यू-2024 (टीईक्यू-2022 का संशोधित संस्करण) के लिए समिति का गठन एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष (पीजीएमईबी) की अध्यक्षता में किया गया था। यह मसौदा टीईक्यू-2024 को अनुमोदन के लिए एनएमसी के सदस्यों के समक्ष रखा गया था। चूंकि यह बहुत बड़ा दस्तावेज है, इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें और अपने सुझाव दें।

निर्णय

यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य इस मसौदा विनियम पर तत्काल अपनी टिप्पणी दें।

4.11 "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन रेटिंग विनियम, 2023" के संक्षिप्त रूप में "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में निम्नलिखित संशोधन का सुझाव दिया गया है। (एमएआरबी द्वारा प्रस्तावित)

अध्याय III- एक चिकित्सा संस्थान में मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि के लिए योजना

17. कोई भी चिकित्सा संस्थान एमएआरबी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चल रहे पाठ्यक्रम की सीटों में वृद्धि नहीं करेगा।

बशर्ते कि यदि चिकित्सा संस्थान ने पहले स्वीकृत सीटों को प्रवेश नहीं दिया है तो एमएआरबी द्वारा सीटों में वृद्धि के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

18. उपरोक्त धारा 17 में बताई गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन के साथ ये चीजें होंगी-

क. लिखित रूप में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में सीटों की प्रस्तावित संख्या के लिए संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति; तथा

क (1) संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जब तक कि स्नातक पाठ्यक्रमों में मौजूदा सीटों की वृद्धि के लिए अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। अनिवार्यता प्रमाणपत्र आवेदन के समय मान्य होगा।

ख. अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर एमएआरबी द्वारा निर्धारित ऐसे निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी; तथा

ग. आवेदन आमंत्रित करते समय निर्धारित किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज।

19. एक बार जब चिकित्सा संस्थान से सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो एमएआरबी अनुमोदन प्रदान करने से पहले अपनी योग्यता के आधार पर इसका मूल्यांकन करेगा।

बशर्ते इन विनियमों के अध्याय ॥ में बताए गए समान मानदंड इस तरह के मूल्यांकन के लिए उत्पत्तिवर्तन को लागू करेंगे।

संशोधन 18 (क) (1) के रूप में प्रस्तावित है, "संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उपयुक्त प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किया गया अनिवार्यता प्रमाणपत्र, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, स्नातक पाठ्यक्रमों में वर्तमान सीटों की वृद्धि के लिए आवश्यक होगा। आवेदन के समय अनिवार्यता प्रमाणपत्र वैध होगा। उक्त संशोधन एनएमसी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।"

निर्णय

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, जिसमें उपर्युक्त प्रारूप में या अन्यथा "चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में यूजी पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी) अनिवार्य रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

4.12 डीएमएमपी-1 परियोजना के अंतर्गत काटे गए जुर्माने के विरुद्ध एसआई द्वारा दावा की गई बकाया राशि के निपटान के लिए अनुमोदन। (आईटी प्रभाग द्वारा प्रस्तावित)

आईटी प्रभाग, एनएमसी ने डीएमएमपी-1 के अंतर्गत जुर्माने के लिए पहले काटी गई राशि के निपटान में एसआई अर्थात् मैसर्स बोध ट्री कंसल्टिंग लिमिटेड को करों सहित 2,90,68,204/- रुपये (दो करोड़ नब्बे लाख अड़सठ हजार दो सौ चार रुपये मात्र) के भुगतान के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से स्वीकृति मांगी है। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-XI में देखा जा सकता है।

निर्णय

सदस्यों ने जुर्माने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति की दिनांक 27.03.2024 की रिपोर्ट की सिफारिशें प्रदान करने की मांग की।

4.13 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में विधिक सलाहकारों की नियुक्ति (विधि अनुभाग द्वारा प्रस्तावित)

यूजीएमईबी की अध्यक्ष डॉ. अरुणा वी वाणीकर की अध्यक्षता में चयन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के स्थायी अधिवक्ताओं के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए अंतिम सूची की सिफारिश की। चयन समिति के अध्यक्ष ने उनके द्वारा अनुशंसित अंतिम सूची को एनएमसी के समक्ष लाने का प्रस्ताव रखा था। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-XII में देखा जा सकता है।

निर्णय

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद चयन समिति द्वारा अनुशंसित अंतिम सूची की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

4.14 नीट-यूजी में सम्मिलित होने हेतु 10+2 में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में प्राप्त अंकों के संबंध में पात्रता मानदंड (यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तावित)

विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-XIII में देखा जा सकता है।

निर्णय

नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि परामर्श विनियमन/दिशानिर्देश में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के विषयों के साथ 10+2 में किसी भी पात्रता प्रतिशत को शामिल करने से पहले, सभी हितधारकों के साथ अधिक चर्चा की जाएगी और एनएमसी सार्वजनिक डोमेन में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

4.15 एनएमसी में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व

थर्ड पार्टी कंन्ट्रैक्टर के माध्यम से आयोग में काम कर रहे 26 (छब्बीस) डीओ का एक संयुक्त रिप्रेजेंटेशन एनएमसी में अपनी सेवाएं जारी रखने के अनुरोध के साथ प्राप्त हुआ है। विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-XIV में देखा जा सकता है।

निर्णय

विस्तृत चर्चा के बाद यह देखा गया कि इनमें से कुछ संविदा कर्मचारियों को तत्कालीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा नियुक्त किया गया है और तत्कालीन एमसीआई द्वारा उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एमसीआई के विघटन के बाद तत्कालीन बीओजी द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखना एनएमसी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। एनएमसी ने तत्कालीन बीओजी द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों को जारी रखने का निर्णय लिया, यदि अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है और कोई भी एमसीआई द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाएगा।

4.16 लाइव सर्जरी के संचालन और प्रसारण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना

विस्तृत कार्यसूची अनुलग्नक-XV में देखा जा सकता है।

निर्णय

समय की कमी को देखते हुए कार्यसूची पर चर्चा नहीं की जा सकी और इसे एनएमसी की अगली बैठक में लिया जाएगा।

****एनएमसी के अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई****

परिशिष्ट-क4

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 24 सितंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे से शुरू हुई चिकित्सा सलाहकार परिषद (एमएसी) की 7^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की चिकित्सा सलाहकार परिषद (एमएसी) की 7^{वीं} बैठक 24 सितंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे एनएमसी भवन के प्रथम तल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:

1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणावी. वाणीकर, अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
4	श्री संतोष कुमार कलेटी, सीईओ, फुट सोलजर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
5	प्रो. ध्रुवा ज्योति बोराह, कुलपति, श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम	सदस्य
6	प्रो. शरद कुमार यादव, कुलपति, आर्यभट्ट नॉलेज युनिवर्सिटी, पटना (बिहार)	सदस्य
7	डॉ. अनीता सक्सेना, कुलपति, भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा।	सदस्य
8	डॉ. सुरेन्द्र कश्यप, कुलपति, अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश	सदस्य
9	लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी राजीव कानिटकर, कुलपति, एमयूएचएस, महाराष्ट्र	सदस्य
10	डॉ. राजीव सूद, कुलपति, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट, पंजाब	सदस्य
11	डॉ. डी. सी. अग्रवाल, कुलपति, मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम	सदस्य
12	डॉ. के. नारायणसामी, कुलपति, डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु	सदस्य
13	डॉ. सुमन, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-सह-मिशन निदेशक (चंडीगढ़)	सदस्य
t4	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	सदस्य
15	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक	सदस्य
16	डॉ. मोहनन कुन्नुम्मल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
17	प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा, कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य

18	प्रो. पी.एस. शुक्ला, कुलपति, नॉर्थईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय	सदस्य
19	डॉ. सलीम-उर-रहमान, जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल	सदस्य
20	डॉ. विंकी मोहनलाल रुघवानी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल	सदस्य
21	डॉ. सिम्पसन सारेओ, मणिपाल मेडिकल काउंसिल	सदस्य
22	डॉ. जॉर्ज थिरा, नागालैंड मेडिकल काउंसिल	सदस्य
23	डॉ. महेश बाबू पटेल, गुजरात मेडिकल काउंसिल	सदस्य
24	डॉ. विजय कुमार, पंजाब मेडिकल काउंसिल	सदस्य
25	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	सदस्य
26	प्रो. (डॉ.) अनूप कुमार बर्मन, असम मेडिकल काउंसिल	सदस्य
27	डॉ. महेश कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल	सदस्य
28	डॉ. हरि कुमारन नायर जी.एस., केरल मेडिकल काउंसिल	सदस्य
29	डॉ. एस शिवराम कन्नम, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल	सदस्य
30	डॉ. के. महेश कुमार, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल	सदस्य
31	डॉ. विजय लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, एनएमसी	आमंत्रित
32	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड	सदस्य
33	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड	सदस्य

2. एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी समिति के सभी मौजूदा और नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने चिकित्सा सलाहकार परिषद की 7^{वीं} बैठक के लिए सभी का स्वागत किया, जिसके लिए सभी सदस्यों मिले हैं। दो कार्यसूची मदें हैं जिन्हें परिचालित किया गया है। एमएसी अनिवार्य रूप से रचनात्मक सलाह देता है ताकि एनएमसी के कार्यकलाप शिक्षा की गुणवत्ता का सृजन करने और देश के प्रत्येक कोने में डाक्टरों की उपलब्धता आदि के संदर्भ में अधिक, कुशल और उपयोगी हो सकें, इसलिए, दो कार्यसूची हैं जिन पर सभी सदस्यों की सलाह और सुझावों का स्वागत किया जाएगा। और निश्चित रूप से, प्रत्येक सदस्य अन्य मुद्दों में भी योगदान दे सकता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनएमसी के कामकाज में सुधार हो सकता है।

3. नई कार्यसूची मद:

3.1 विभिन्न देशों में भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यापार बाधाएं -

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन से प्राप्त ईमेल के अनुसार, उस देश में चिकित्सा पद्धति के संबंध में भारत के चिकित्सा पेशेवरों के लिए देशवार व्यापार बाधाओं पर डेटा तैयार करने के लिए इनपुट/टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए हैं और यह भी पूछा गया है कि क्या एनएमसी की WFME से मान्यता मिलने से ऐसी बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। सेकेंडरी रिसर्च के माध्यम से भारत के चिकित्सा पेशेवरों की देशवार मांग पर भी डेटा तैयार करने की आवश्यकता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पहले उन देशों के लिए इस तरह के डेटा तैयार किए जाएं, जिन पर विदेश मंत्रालय/वाणिज्य विभाग पेरू, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, जापान और कनाडा जैसे एनएमसी से जल्द टिप्पणियों का अनुरोध कर रहा है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की टीम ने सेकेंडरी रिसर्च पहले ही कर ली है और 10 देशों पेरू, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान और कनाडा की रिपोर्ट इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के साथ साझा की जाएगी। निम्नलिखित पर ध्यान देने की ज़रूरत है:

- (i) भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच पर भारत की प्रमुख माँगें।
- (ii) विभिन्न देशों में प्रैक्टिस/अध्ययन करने के लिए भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के सामने आ रही समस्याएं/चुनौतियां।
- (iii) अन्य सुझाव, यदि कोई हो।

चर्चा: दिनांक 23.01.24 को एमएसी की 6वीं बैठक में, विभिन्न देशों में भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के सामने आने वाली विभिन्न व्यापार बाधाओं की निगरानी करने और निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करने के लिए एमएसी की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया:

1. भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच पर भारत की प्रमुख माँगें।
2. विभिन्न देशों में प्रैक्टिस/अध्ययन के लिए भारतीय चिकित्सा पेशेवरों के सामने आ रही समस्याएं/चुनौतियां।
3. अन्य सुझाव, यदि कोई हो।

एनएमसी के अध्यक्ष ने सभी एमएसी सदस्यों से उपरोक्त कार्यसूची पर अपने सुझाव देने का आग्रह किया। सभी सदस्यों ने नीचे दिए गए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए:

- 1) परिषद ने लाइसेंस प्राप्त करने और विदेश में प्रैक्टिस करने में भारतीय डॉक्टरों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। वाणिज्य और विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है।
- 2) इस बात पर चर्चा की गई कि चुनौतियों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते या समझौता ज्ञापन किए जाने चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि टीमों को तैयार रहना चाहिए और उन्हें उन सर्वोत्तम तरीके का पता लगाने और सीखने के लिए विदेशों का दौरा करना चाहिए जिनका उपयोग अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है और एनएमसी में प्रैक्टिस करने के लिए उन सर्वोत्तम तरीके को दूसरे देशों से कैसे लाया जा सकता है।
- 3) यह भी सुझाव दिया गया कि भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को खोला जाना चाहिए और विदेशों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने वाले भारतीय मेडिकल कॉलेजों के प्रभाव और विदेशों में ऐसे कॉलेजों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए।

- 4) भारतीय डॉक्टरों की आवाजाही सुनिश्चित करने और विदेशी चिकित्सा संस्थानों द्वारा भारतीय छात्रों/पेशवरों का शोषण करने के लिए ऐसे समझौतों के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई।
- 5) यह बताया गया कि विदेशों में नेपाल जैसे देशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को वहां प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
- 6) परिषद ने अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा सहयोग की व्यवहार्यता और चिकित्सा शिक्षा के मानकीकरण का विश्लेषण करने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार किया।
- 7) इस बात पर चर्चा की गई कि सर्वोत्तम शिक्षा देने के बावजूद भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी डिग्रियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता हो, और अधिक से अधिक देश हमारी डिग्रियों को स्वीकार करें और हमारे मेडिकल छात्र कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ-जा सकें।
- 8) भारतीय चिकित्सा पेशवरों के लिए उन देशों में प्रैक्टिस करने के लिए आसान प्रक्रियाओं की सुविधा के लिए अन्य देशों के साथ समझौता-ज्ञापन किया जाना चाहिए। इससे डॉक्टरों के लिए आसानी से विदेश जाना आसान हो जाएगा, और यहां तक कि हम भी उनके डॉक्टरों को अपना कर सकते हैं।
- 9) एनएमसी के सचिव ने इंडोनेशिया, रूस और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ हाल की अंतरराष्ट्रीय बैठकों से अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें भारतीय डॉक्टरों और छात्रों के लिए सहयोग और आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 10) रूस, यूक्रेन और चीन जैसे देशों में भारतीय छात्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को रेखांकित किया गया, विशेष रूप से इंटरनशिप और परीक्षा के मुद्दों से संबंधित।
- 11) विदेशों में काम करने वाले भारतीय डॉक्टरों के बारे में डेटा एकत्र करने के महत्व को रेखांकित किया गया। यह डेटा उनके योगदान और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा, साथ ही अन्य देशों के साथ बातचीत को भी सुगम बनाएगा। विदेशों में भारतीय डॉक्टरों और विदेशी विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों के बारे में व्यापक डेटा एकत्र करने की पहल को लागू किया जाएगा।
- 12) यह सुझाव दिया गया कि सुधार के लिए कमियों और संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारतीय चिकित्सा डिग्रियों की वैश्विक मान्यता पर एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए।
- 13) सदस्यों ने भारतीय चिकित्सा मानकों के अनुरूप विनिमय कार्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए विदेशी चिकित्सा संस्थानों के साथ जुड़ने के अवसरों की खोज करने पर चर्चा की।

- 14) अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सा शिक्षा मानकों और मान्यता प्रक्रिया को बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय चिकित्सा डिग्रियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो।
- 15) सदस्यों ने विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों की देखरेख करने वाली परिषदों के बीच सहयोग पर जोर देते हुए एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रभावी मान्यता प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- 16) यह सुझाव दिया गया था कि एनएमसी को भारतीय छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थानों की एक सूची प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में दाखिला लेने से रोका जा सके।
- 17) यह भी सुझाव दिया गया कि एनएमसी के पास विदेश में काम करने वाले भारतीय डॉक्टरों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी होना चाहिए।
- 18) विदेशों में, विशेष रूप से चीन, रूस और यूक्रेन जैसे देशों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा की गई। सदस्यों ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश और नीतियां बनाने का सुझाव दिया।
- 19) सदस्यों ने एफएमजीएस की कम उत्तीर्ण दरों (low pass rates) और भारत लौटने पर आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंताओं को साझा किया। भारत में एफएमजी लाइसेंसिंग और प्रैक्टिस के लिए ठोस दिशानिर्देशों और एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

एनएमसी के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उनसे यह भी अनुरोध किया कि कोई और सुझाव मेल या पत्र के माध्यम से लिखकर दें। जिन पर भी विचार किया जाएगा।

निर्णय: सदस्यों ने इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा एक समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की।

3.2 - एकीकृत स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में निहित सिफारिशें।

2022 में, नीति आयोग ने देश में समावेशी, सस्ती और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों के साथ "एकीकृत स्वास्थ्य नीति" पर एक समिति का गठन किया था। समिति ने शिक्षा, अनुसंधान, क्लीनिकल प्रैक्टिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चार कार्य समूहों का गठन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से, कार्य समूहों की अंतिम सिफारिशें

08.03.2022 को समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, समिति की अंतिम सिफारिशें माननीय केंद्रीय मंत्रियों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्रियों और आयुष मंत्रालय को 06.10.22 और 25.11.2022 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को प्रस्तुत की गई। इसके बाद एकीकृत स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयोग से एकीकृत स्वास्थ्य नीति-2023 के मसौदे पर जल्द से जल्द टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। एकीकृत स्वास्थ्य नीति में एक नए पाठ्यक्रम प्रस्तावित करती है अर्थात एकीकृत पारिवारिक चिकित्सा में एमडी जिसमें एमबीबीएस के साथ-साथ बीएएमएस जैसी चिकित्सा की अन्य स्ट्रीम के स्नातक प्रवेश पाने के पात्र होंगे। इस पाठ्यक्रम को एम्स और आईएनआईएस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का प्रस्ताव है। चूंकि यह एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा है, इसलिए पूरी नीति पर चर्चा की जा सकती है। जहां तक एमडी पारिवारिक चिकित्सा शुरू करने की बात है जिसमें बीएएमएस जैसी दूसरी स्ट्रीम पात्र होगी। पीजीएमईबी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है।

चर्चा: एनएमसी के चेयरमैन ने कहा कि दस्तावेज एक वर्गीकृत (क्लासिफाइड) दस्तावेज है जो अभी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, एमएसी सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव ऑनलाइन भी दे सकते हैं। कार्यसूची पर विस्तृत चर्चा की गई और सदस्यों द्वारा निम्नलिखित बिंदु सुझाए गए:

- 1) **ईएमआरबी के सदस्य डॉ. योगेंद्र मलिक** ने कहा कि यदि एक स्ट्रीम का डॉक्टर दूसरी स्ट्रीम का प्रैक्टिस करता है/इलाज कराता है, तो शिकायत उस स्ट्रीम की परिषद के पास आती है, जहां से वह पंजीकृत है और संबंधित परिषद के लिए शिकायत पर निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनाई गई उपचार/प्रक्रिया दूसरी स्ट्रीम की है और जिस स्ट्रीम में उपचार/प्रक्रिया की गई थी, उससे संबंधित परिषद भी निर्णय नहीं दे पाएगी चूंकि डॉक्टर उक्त परिषद के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है।
- 2) सदस्यों ने एकीकृत चिकित्सा के विचार का स्वागत किया और सुझाव दिया कि योग, ध्यान आदि को एकीकृत किया जा सकता है, ताकि उपचार समावेशी हो सके। फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य और वैज्ञानिक आधार के साथ एकीकृत चिकित्सा की आवश्यकता भी महसूस की गई।
- 3) कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि यह उपयोगी होगा यदि एलोपैथिक डॉक्टर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से आहार, व्यायाम, योग और गर्भ संस्कार आदि के बारे में सीखें और बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए रोगियों का इलाज करें। यह भी सुझाव दिया गया कि निवारक और संवर्धन स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत चिकित्सा की सलाह दी जाएगी।
- 4) सदस्यों ने सुझाव दिया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक चिकित्सा के कुछ कौशल सीखने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें आपातकालीन मामलों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- 5) सदस्यों ने स्वास्थ्य धाराओं के एकीकरण और एकीकृत पारिवारिक चिकित्सा में एमडी की शुरुआत की अनुमति देने से पहले सरकार द्वारा इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने का सुझाव दिया।
- 6) कुछ सदस्यों ने स्वास्थ्य धाराओं/प्रथाओं के एकीकरण के विचार का विरोध किया है।

4. एनएमसी गतिविधियों पर अपडेट:

डॉ. विजय लक्ष्मी नाग, सदस्य ईएमआरबी ने एनएमआर पर अपडेट प्रदान किया कि 23 अगस्त 2024 को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पोर्टल का उद्घाटन किया था। एनएमआर तत्काल प्रभाव से आरएमपीएस के पंजीकरण के लिए तैयार है।

एनएमआर भारत में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक गतिशील डेटाबेस होगा। एनएमआर की विशिष्टता यह है कि यह डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। एनएमआर में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल ऑनलाइन प्रक्रिया है और सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान (आईएनआईएस आदि सहित)/एसएमसीएस पोर्टल पर आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ डेटा जनता को दिखाई देंगे और अन्य केवल एनएमसी, एसएमसी, एनबीई और चिकित्सा संस्थानों (आईएनआईएस आदि सहित) और आरएमपीएस में ईएमआरबी को आवश्यकताओं के अनुसार दिखाई देंगे।

सभी एमबीबीएस डॉक्टर जो पहले से ही भारतीय मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) पर पंजीकृत हैं, उन्हें एनएमसी के एनएमआर पर फिर से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण शुरू करने के लिए, डॉक्टर को (एमबीबीएस) प्रमाणपत्र की एक डिजिटल प्रति, राज्य चिकित्सा परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार रखना होगा, जहां डॉक्टर को पहली बार पंजीकरण हुआ। प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर को आधार नंबर भी तैयार रखना होगा।

5. अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

12.2 वार्षिक लेखा

सभी लेखांकन रिपोर्टें इसके साथ संलग्न हैं:

- 12.2.1 लेखाकार का संकलन रिपोर्ट
- 12.2.2 31.03.2025 तक तुलन-पत्र
- 12.2.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय और व्यय खाता
- 12.2.4 वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूची
- 12.2.5 लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-27)
- 12.2.6 प्राप्ति और भुगतान खाता
- 12.2.7 कर्मचारी पेंशन निधि
- 12.2.8 कर्मचारी भविष्य निधि
- 12.2.9 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

374217/2025/लेखा अनुभाग-एनएमसी

पीएमएच एंड एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

लेखाकार की संकलन रिपोर्ट

प्रति

प्रबंधन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

हमने, हमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ("एनएमसी") के वित्तीय विवरणों को संकलित किया है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को तुलन-पत्र, आय और व्यय का विवरण, उस वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों की अनुसूचियों का सारांश शामिल है।

हमने इस संकलन कार्य को संबंधित सेवाओं के मानक 4410 (संशोधित) के अनुसार संकलन कार्य को संपादित किया है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में आपकी सहायता करने के लिए लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है।

इन वित्तीय विवरणों तथा इनकी संकलन हेतु हमें प्रदान की गई जानकारी की सटीकता एवं पूर्णता प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

हमने संकलन कार्य के दौरान अपने अवलोकन और चिह्नित मुद्दे को, जिन पर प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का विशेष ध्यान अपेक्षित है, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया है।

चूँकि संकलन कार्य एक आश्वासन कार्य नहीं है, अतः इन वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु हमें प्रदान की गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता का सत्यापन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तदनुसार, हम इस बात पर कोई लेखापरीक्षा मत या समीक्षा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते कि ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं।

पीएमएच एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 026443एन /एन500054

यूडीआईएन: 25517928बीएमकेजेड17767

मानस पीयूष

पार्टनर

सदस्यता सं. 517928

दिनांक: 09 जुलाई, 2025

स्थान: नई दिल्ली

374217/2025/लेखा अनुभाग-एनएमसी

संकलन रिपोर्ट का अनुलग्नक लेखांकन और रिपोर्टिंग मुद्दे

1. यूजी/पीजी के वार्षिक निरीक्षण के लिए वसूल की जाने वाली फीस को उपार्जन आधार पर बुक नहीं किया गया है, क्योंकि आय को उपार्जित करने के लिए आवश्यक संबंधित डेटा अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है। वसूली योग्य शुल्क का आरंभिक शेष राशि पहले के वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले समान मूल्य पर रखा गया है, ऐसा इसलिए कि इन शीर्षों में चालू वर्ष की प्राप्ति आरंभिक शेष राशि से कम है। हमें बताया गया है कि प्रबंधन प्रासंगिक जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया में है और इसे आगामी वित्त-वर्ष के प्रभाव से ले लिया जाएगा।

2. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के अनुसार बीमांकक (एक्चुअरी) द्वारा ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रावधान केवल उन कर्मचारियों के लिए बुक किया गया है जो प्रबंधन द्वारा किए गए गणना के आधार पर वित्त-वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं।

3. परिषद द्वारा उपयोग किया जाने वाला वेतन (पेरोल) मॉड्यूल असंगत रिपोर्ट एवं परिणाम देता है। समान प्रकार के खर्चों जैसे एनपीएस, समूह एलआईसी, वसूली, अग्रिम आदि के लिए कई लेखा-बही (लेजर) बनाए गए हैं। विभिन्न महीनों के लिए लेखांकन प्रविष्टियाँ अलग-अलग लेजर में की गई हैं, जिसके कारण वित्त मॉड्यूल और वेतन बिल के बीच मिलान (reconciliation) में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। समेकित स्तर पर मिलान का पूरा होना सुनिश्चित किया गया है।

4. सावधि जमा के लेखांकन में विसंगतियाँ पाई गईं, क्योंकि प्रणाली (सिस्टम) की रिपोर्टों में सटीक डेटा नहीं दिखाया गया है। हालांकि, यह पता नहीं किया जा सका कि यह त्रुटि लिपिकीय थी या प्रणालीगत कमी के कारण थी। तुलन-पत्र संकलित करते समय विवरण तैयार किए गए तथा अंतर को मैनुअल रूप से मिलान किया गया। 8,04,67,62,511/- रुपये (आठ सौ चार करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) की सावधि जमा का लेखांकन समय पर सही ढंग से नहीं किया गया तथा इनके लिए पूर्व-तिथि प्रविष्टियाँ केवल अप्रैल 2025 माह में की गईं।

5. विभिन्न कॉलेजों से निरीक्षण शुल्क के रूप में मिलने वाली 2,07,70,000/- रुपये (दो करोड़ सात लाख सत्तर हजार मात्र) दिखाया गया है। यह राशि पिछले पाँच वर्षों से आगे बढ़ाई जा रही है और यह एक निष्क्रिय (non-moving) राशि शेष है। इसके संबंध में आयोग के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। न तो इस राशि की वसूली की गई है और न ही इसे खातों में प्रावधानित या अपलिखित (written off) किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण मुद्दे

6. बैंक मिलान प्रणाली का पालन मासिक आधार पर नहीं किया जा रहा है। बैंक मिलान काफी बाद में, हमारे संकलन कार्य के प्रारंभ के समय किया गया तथा बैंक मिलान से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ 31 मार्च 2025 की तिथि में दर्ज की गई हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि बैंक मिलान प्रणाली का पालन कम से कम मासिक आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि सभी प्रविष्टियाँ निर्धारित समयावधि के भीतर दर्ज हो सकें तथा जीएसटी एवं अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत समयबद्धता एवं सटीकता का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

7. आयोग ने पूरे वर्ष डीएमएमपी-1 के मौजूदा लेखांकन मॉड्यूल का उपयोग किया है। रिवर्सल्स पर नियंत्रण की कमी और लेखांकन प्रविष्टियों में बदलाव का लॉग न बनने की वजह से डेटा की पूर्णता की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक बैलेंस के आधार पर पूरी जानकारी सुनिश्चित की गई है।

8. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे लेखांकन मॉड्यूल के बाहर चेक बनाने के कई मामले सामने आए हैं। चेक जारी करने के लिए लेखांकन प्रणाली में कोई प्रविष्टि तक नहीं की गई थी और चेक को क्लियर कर दिया गया और भुगतान भी कर दी गई। लेखांकन मॉड्यूल के बाहर चेक बनाने का यह तरीका बंद होना चाहिए।

9. वर्ष के दौरान समय लेखांकन में चूक हुई है। आयोग की आय का समुचित रूप से मान्यता (recognition) नहीं दी है और यहां तक कि बैंक में प्राप्तियों का भी समय पर हिसाब नहीं रखा गया है। 1,25,22,200/- रुपये (एक करोड़ पच्चीस लाख बाईस हजार दो सौ मात्र) की राशि लेखांकन पैकेज में दर्ज नहीं की गई थी। यह राशि विभिन्न तिथियों पर आयोग के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, परंतु इसके संबंध में कोई लेखांकन प्रविष्टि पारित नहीं की गई। तिथि-वार प्राप्तियों का विवरण अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

10. एक मामले में 4,13,000/- रुपये (चार लाख तेरह हजार मात्र) को शुल्क प्राप्तियों से आय के रूप में मान्यता (recognition) दी गई, जबकि यह राशि बैंक खाते में प्राप्त ही नहीं हुई थी। इस प्रकार, बैंक खाते में प्राप्त राशि के बिना ही इसे प्राप्ति आधार (receipt basis) पर आय के रूप में दर्ज कर लिया गया।

11. यह देखा गया है कि 7 मामलों में, एनईएफटी / आरटीजीएस के चेक बैंक द्वारा पूरी तरह से क्लियर नहीं किए गए हैं। कुछ भुगतान बैंक द्वारा जारी नहीं किए गए थे और बैंक ने वित्त विभाग के केवल ईमेल अनुरोध के आधार पर, बिना नए चेक जारी किए या किसी वैध भुगतान अधिदेश के, चेक की वैधता समाप्त होने के बाद भी बैंक द्वारा भुगतान कर दिया गया। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	चेक सं.	जारी करने की तिथि	समाशोधन (क्लियरेंस) की तिथि	राशि
1	283508	08/03/2024	10/04/2024	Rs. 8,03,103
2	762907	11/03/2023	28/06/2024	Rs. 13,500
3	762908	11/03/2023	28/06/2024	Rs. 13,500
4	762909	11/03/2023	28/06/2024	Rs. 14,221
5	792204	19/04/2023	30/05/2024	Rs. 41,474
6	283506	08/03/2024	05/07/2024	Rs. 14,570
7	013640	20/11/2024	22/05/2025	Rs. 18,000

12. लेखांकन पैकेज में रिवर्सल प्रविष्टियाँ समय पर दर्ज नहीं की जा रही हैं और अधिकांश रिवर्सल प्रविष्टियाँ गलत तरीके से की गई हैं। अधिकांश प्रविष्टियों में जीएसटी राशि का सही तरीके से रिवर्सल नहीं किया गया है तथा उचित ट्रेल के अभाव में यह त्रुटि मैनुअल कारणों से हुई है या सिस्टम की कमी के कारण, यह निर्धारित नहीं किया जा सका।

13. वर्ष के दौरान एनपीएस में नियोक्ता अंशदान का हिसाब नहीं किया गया। केवल भुगतान प्रविष्टि को सामान्य बही खाते (कॉमन लेजर) में दर्ज किया गया और संबंधित व्यय को वर्ष के दौरान मान्यता नहीं दी गई। हालांकि, एनपीएस में नियोक्ता का मासिक अंशदान जमा किया गया।

14. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे लेखांकन पैकेज द्वारा तैयार आयकर संगणना शीट में वेतन के सभी घटकों को शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी का सही कर देयता निर्धारित करने के लिए भत्ते, बोनस तथा एनपीएस में नियोजित अंशदान को मैनुअल रूप से जोड़ा जाता है।

15. शुल्क प्राप्ति के मामलों में, भुगतान गेटवे और लेखांकन मॉड्यूल के बीच एकीकरण (integration) के माध्यम से लेखांकन प्रविष्टियाँ प्रणाली द्वारा स्वतः की जाती हैं। कई मामलों में, कॉलेजों और/या छात्रों द्वारा भुगतान किया गया है, लेकिन सिस्टम द्वारा आवेदन आईडी उत्पन्न न होने के कारण लेखांकन मॉड्यूल में लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है। ये प्रविष्टियाँ संबंधित हितधारक द्वारा आवेदन आईडी उत्पन्न होने पर ही दर्ज की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने के बावजूद आय को समय पर सही तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है।

16. लेन-देन को दर्ज करने में देरी और गलत तिथियों पर लेन-देन को दर्ज करने के मामले पाए गए हैं। यह बताया गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर लॉक होने और आवेदन आईडी तथा रसीद वाउचर बनने में देरी के कारण हुआ है, अर्थात् यदि किसी कॉलेज या डॉक्टर से किसी विशेष तिथि पर भुगतान प्राप्त होता है, तो उसी तिथि पर उसके लेन-देन को दर्ज किया जाना चाहिए। कई मामलों में, आवेदन आईडी और रसीद वाउचर के उत्पन्न न होने के कारण लेखांकन में देरी होती है और जब तक आवेदन आईडी और रसीद वाउचर उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक लेनदेन दर्ज नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में मिलान में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लेन-देन आवेदन आईडी और रसीद वाउचर की उत्पत्ति की तिथि पर दर्ज किया जाता है, जबकि कई मामलों में वित्त-वर्ष की समाप्ति से पहले ही बैंक खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार के वर्ष के अंत के लेनदेन दो वित्तीय वर्षों के लिए मिलान संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, पहला वह वर्ष जिसमें राशि बैंक खाते में प्राप्त होती है और दूसरा वह आगामी वर्ष जिसमें आवेदन आईडी और रसीद वाउचर उत्पन्न होते हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

31 मार्च 2025 तक का तुलन-पत्र

कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
		2024-25	2023-24
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	11,56,87,52,830	8,04,24,38,158
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्दिष्ट निधि/एंडोमेंट फंड	3	1,11,08,860	1,07,44,654
सुरक्षित ऋण और उधार	4		
असुरक्षित ऋण और उधार	5		
आस्थगित ऋणदेयताएं	6		
चालू देयताएं और प्रावधान	7	45,14,97,013	44,61,38,938
कर्मचारी पेंशन निधि	A2	98,57,49,050	93,79,26,131
कर्मचारी भविष्य निधि	A3	7,34,86,579	12,97,22,269
कुल		13,09,05,94,332	9,56,69,70,150
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	8	28,18,45,278	30,55,21,916
निर्दिष्ट निधि/एंडोमेंट निधि से निवेश	9	1,11,08,860	1,07,44,654
निवेश-अन्य	10		-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	11,73,84,04,565	8,18,30,55,180
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)			-
कर्मचारी पेंशन निधि	A2	98,57,49,050	93,79,26,131
कर्मचारी भविष्य निधि	A3	7,34,86,579	12,97,22,269
कुल		13,09,05,94,332	9,56,69,70,150
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ	27		

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
बिक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	-	-
शुल्क/सदस्यता शुल्क	14	3,36,12,37,976	1,62,52,53,485
निवेश से आय (निर्दिष्ट/एंडोमेंट फंड से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	70,02,36,606	53,43,44,375
अन्य आय	18	2,35,587	19,920
तैयार माल एवं चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		4,06,17,10,169	2,15,96,17,780
व्यय			
स्थापना व्यय	20	18,31,17,583	25,17,47,401
प्रशासनिक व्यय	21	31,62,24,584	67,20,96,014
अनुदान, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) आदि पर व्यय	22	-	-
ऋण और उधार पर ब्याज	23	-	-
अनुदान (योजना) से व्यय	24	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल निवलयोग-अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	3,60,53,330	4,06,02,458
कुल (ख)		53,53,95,497	96,44,45,873
आय व्यय से अधिक होने पर शेष (क-ख)		3,52,63,14,672	1,19,51,71,907
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण प्रत्येक का) (विवरण दें)	2	-	-
अधिशेष/(घाटा) को कार्पस/पूंजी निधि में अग्रणीत	1	3,52,63,14,672	1,19,51,71,907

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 1		
कॉर्पस/पूँजी निधि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
निवल आरंभिक शेष	8,04,24,38,158	6,84,72,66,251
जोड़ें- आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित निवल अधिशेष/आय का शेष	3,52,63,14,672	1,19,51,71,907
निर्दिष्ट निधि/सहायता अनुदान	-	-
जोड़ें:-पूर्व अवधि समायोजन- बॉम्बे उपनगरीय में विद्युत आपूर्ति (बीएसईएस)	-	-
घटाएं: पंजीकरण शुल्क	-	-
घटाएं: निरीक्षण शुल्क	-	-
जोड़ें: सावधि जमाके लेखांकन से छूट जाने के कारण पूर्व अवधि समायोजन	-	-
घटाएं: निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य को परिसंपत्तियों में स्थानांतरित किया गया	-	-
जोड़ें: बिक्री/निपटान/वसूली के कारण खातों में प्राप्त राशि संपत्ति मदों की लागत	-	-
तुलन-पत्र में स्थानांतरित राशि	11,56,87,52,830	8,04,24,38,158
अनुसूची 2		
आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. पूंजी आरक्षित:	-	-
विगत खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:	-	-
विगत खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित निधि:	-	-
विगत खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित निधि:	-	-
विगत खातों के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
तुलन-पत्र में स्थानांतरित राशि	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 3(क)	चालू वर्ष	विगत वर्ष
निर्धारित / एंडोमेंट निधि		
(क) निधियों का आरंभिक शेष		
(i) भवन निधि	1,07,44,654	1,04,38,640
(ख) निधियों में वृद्धि:		
सहायता अनुदान/कॉर्पस अंशदान	-	-
निधि के अंतर्गत किए गए निवेशों पर ब्याज	3,64,206	3,06,014
जोड़ें: सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
घटाएं: अर्जित ब्याज का आरंभिक शेष	-	-
(क) प्रतिभूति जमाराशि	-	-
(ख) बयाना राशि	-	-
(ग) विविध प्राप्ति	-	-
कुल (क+ख)	1,11,08,860	1,07,44,654
(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
-निश्चित व्यय		
(क) सिविल कार्य	-	-
(ख) वास्तुकार सेवाएं	-	-
(ग) एचवीएसी	-	-
(घ) आंतरिक (इन्टिरीअर)	-	-
(ङ) विद्युत् संस्थापन	-	-
(च) जल /सीवेज	-	-
(छ) लिफ्ट	-	-
ज) अग्नि सुरक्षा उपकरण	-	-
(झ) सम्मेलन/संचार प्रणाली	-	-
(ञ) फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-
(ट) विविध परिसंपत्तियां	-	-
कुल	-	-
ii. राजस्व व्यय		
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
(क) विविध वस्तुएँ / अन्य खर्च	-	-
(ख) बीमा	-	-
(ग) विद्युत प्रभार	-	-
(घ) बट्टे-खाते डालना	-	-
कुल	-	-
iii. प्रतिदेय/समायोजन प्रतिभूति जमा	-	-
कुल	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	1,11,08,860	1,07,44,654

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 3(ख)		
निर्धारित / एंडोमेंट निधि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक शेष		
(i) कार्यशाला निधि	-	-
(ख) निधियों में वृद्धि:		
i. सहायता अनुदान / कॉर्पस अंशदान	-	-
ii. निधि के अंतर्गत किए गए निवेशों पर ब्याज	-	-
iii. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	-
iv. घटा: एफडीआर का आरंभिक शेष पर अर्जित ब्याज	-	-
(ग) अन्य वृद्धि (प्रकृति स्पष्ट करें)	-	-
(घ) कटौती	-	-
कुल (क+ख+ग) – (घ)	-	-
(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-
वेतन	-	-
यात्रा व्यय	-	-
बैंक प्रभार	-	-
कुल	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क-ख)	-	-
अनुसूची 3(क)+3(ख) का कुल योग तुलन-पत्र में स्थानांतरित राशि	1,11,08,860	1,07,44,654

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 4		
सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) अर्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक:	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
- अर्जित और देय ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण	-	-
- अर्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य	-	-
तुलन-पत्र में कुल स्थानांतरित राशि	-	-

अनुसूची 5		
असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक:	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
तुलन-पत्र में कुल स्थानांतरित राशि	-	-

अनुसूची 6		
आस्थगित ऋण देयताएं:	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरणों तथा अन्य परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ	-	-
(ख) अन्य	-	-
तुलन-पत्र में कुल स्थानांतरित राशि	-	-

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 7		
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियाँ		
2. विविध लेनदार:		
(क) कॉलेजों की बैंक गारंटी	40,00,15,000	40,00,15,000
(ख) अन्य	1,25,22,185	-
3. प्राप्त अग्रिम		
(i) निरीक्षण शुल्क पीजी	-	-
(ii) निरीक्षण शुल्क यूजी	-	-
(iii) पंजीकरण शुल्क	-	-
(iv) अतिरिक्त योग्यता शुल्क	-	-
(v) सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग फीस	-	-
(vi) पात्रता प्रमाणपत्र	-	-
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है:		
(क) सुरक्षित ऋण / उधार	-	-
(ख) असुरक्षित ऋण / उधार	-	-
5. सांविधिक देयताएं:		
(क) अतिदेय	-	-
(ख) अन्य	-	-
- स्रोत पर कर कटौती	13,39,082	(3,79,827)
- नई पेंशन योजना	41,62,567	45,34,863
- सामान्य भविष्य निधि	1,76,60,038	1,77,13,782
- समूह बीमा	2,92,168	1,75,255
- लाइसेंस शुल्क	2,61,857	1,82,387
6. अन्य वर्तमान देयताएं		
सीजीएचएस	-	650
विधि शुल्क	-	-
पीएम केयर्स	-	-
एलटीसी	-	-
सेमिनार और कार्यशाला	-	-
टेलीफोन	-	-
निरीक्षकों को टीए/डीए	-	-
उप समिति को टी.ए./डी.ए.	-	-
आतिथ्य शुल्क	-	-
विविध शुल्क	-	-
पेट्रोल	-	-
जनशक्ति	-	-
सहायता अनुदान देय	87,21,655	84,35,714
गृह निर्माण अग्रिम के लिए देय	2,01,504	2,01,504
अन्य वसूलियों के लिए देय	1,01,040	1,00,540
मजदूरी		
कुल (क)	44,52,77,096	43,09,79,868

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 7		
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	56,32,635	93,69,230
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण	3,40,637	52,57,400
5. लेखापरीक्षा शुल्क	2,46,645	5,32,440
6. वेतन		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
कुल (ख)	62,19,917	1,51,59,070
कुल योग (क + ख) तुलन-पत्र में अंतरण	45,14,97,013	44,61,38,938

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची
अनुसूची 8
स्थायी परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्यहास की दर	सकल ब्लॉक							मूल्यहास की दर				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	जोड़>=180 दिन	जोड़<=180 दिन	कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	प्रारंभिक संचित मूल्यहास में समा-योजन	संयोजन		कटौती	कुल	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10क	10ख	11	12	13	14
क. स्थायी परिसंपत्तियाँ									पुराना	नया				
1. पट्टे पर दी गई भूमि		1,07,64,120	-	-	-	1,07,64,120	27,18,201		1,08,728	-	-	28,26,929	79,37,191	80,45,919
2 (क) भवन (कार्यालय)	10%	12,17,26,973	-	-	-	12,17,26,973	10,78,23,056		13,90,392	-	-	10,92,13,448	1,25,13,525	1,39,03,917
(ख) भवन(अतिथि-गृह)	5%	3,34,03,466	-	-	-	3,34,03,466	2,06,49,842		6,37,681	-	-	2,12,87,523	1,21,15,943	1,27,53,624
(ग) भवन (लोधी रोड)	10%	16,81,55,100	15,63,391	7,99,471	-	17,05,17,962	4,55,70,032		1,22,58,507	1,96,313	-	5,80,24,852	11,24,93,110	12,25,85,068
सामान्य विद्युत स्थापनाएँ	10%	1,95,07,279	70,678	-	-	1,95,77,957	1,63,50,723		3,15,656	7,068	-	1,66,73,447	29,04,511	31,56,557
4. वाहन	15	50,42,424	-	-	-	50,42,424	38,82,711		1,73,957	-	-	40,56,668	9,85,756	11,59,713
5. फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	7,41,41,938	17,86,703	3,82,598	-	7,63,11,239	5,13,79,247		22,76,269	1,97,800	-	5,38,53,316	2,24,57,923	2,27,62,692
6. कार्यालय उपकरण	15%	26,14,12,623	38,99,194	21,61,200	-	26,74,73,016	17,82,95,682		1,24,67,541	7,46,969	-	19,15,10,192	7,59,62,824	8,31,16,941
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	40%	6,13,86,191	13,09,047	1,52,966	-	6,28,48,204	5,37,90,981		30,38,084	5,54,212	-	5,73,83,277	54,64,927	75,95,210
8. संचार और सम्मेलन प्रणाली	15%	1,69,42,260	-	-	-	1,69,42,260	1,39,04,057		4,55,730	-	-	1,43,59,787	25,82,473	30,38,203
9. पुस्तकें	40%	1,46,144	1,950	5,750	-	1,53,844	1,44,968		470	1,930	-	1,47,368	6,476	1,176
10. हीटिंग और कूलिंग उपकरण	10%	1,47,08,062	2,43,745	-	-	1,49,51,807	1,20,69,074		2,63,899	24,375	-	1,23,57,348	25,94,458	26,38,987
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ	15%	21,74,958	-	-	-	21,74,958	17,63,351		61,741	-	-	18,25,092	3,49,866	4,11,607
12. अग्नि सुरक्षा परिसंपत्तियाँ	15%	1,82,09,170	-	-	-	1,82,09,170	1,26,26,362		8,37,421	-	-	1,34,63,783	47,45,387	55,82,808
13. लिफ्ट मशीनरी	15%	53,89,600	-	-	-	53,89,600	53,50,159		5,916	-	-	53,56,075	33,525	39,441
14. सौर उपकरण	40%	1,01,34,000	-	-	-	1,01,34,000	1,01,34,000		-	-	-	1,01,34,000	0	0
15. नलकूप और जल सीवरेज	10%	17,57,846	-	-	-	17,57,846	14,31,134		32,671	-	-	14,63,805	2,94,041	3,26,712
कुल(चालू वर्ष)		82,50,02,155	88,74,707	35,01,985	-	83,73,78,847	53,78,83,581	-	3,43,24,663	17,28,667	-	57,39,36,911	26,34,41,936	28,71,18,574
कुल(विगत वर्ष)		81,55,55,699	69,54,370	24,92,086	-	82,50,02,155	49,72,81,123	-	3,85,37,516	20,64,942	-	53,78,83,581	28,71,18,574	31,82,74,576
ख.प्रगति पर पूंजीगत कार्य		1,84,03,340	-	-	-	1,84,03,340	-	-	-	-	-	-	1,84,03,340	1,84,03,340
कुल (क)+(ख) तुलना- पत्र में स्थानांतरित		84,34,05,495	88,74,707	35,01,985	-	85,57,82,187	53,78,83,581	-	3,43,24,663	17,28,667	-	57,39,36,911	28,18,45,276	30,55,21,914

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 9		
निर्दिष्ट/वृत्तिका फंड से निवेश	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा (एफडीआर) पर अर्जित ब्याज	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
- बैंक में शेष राशि	1,11,08,860	1,07,44,654
तुलन-पत्र में कुल स्थानांतरण	1,11,08,860	1,07,44,654

अनुसूची 10		
निवेश - अन्य	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
तुलन-पत्र में कुल स्थानांतरण	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 11		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ:		
1. मालसूची- (इन्वेंट्री):	-	-
क) स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	-	-
ख) छोटे उपकरण (लूज टूल्स)	-	-
ग) व्यापारिक माल (स्टॉक -इनट्रेड-)	-	-
घ) तैयार माल, प्रगतिरत कार्य, कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य - निरीक्षण शुल्क स्नातक (यूजी)	1,88,20,000	1,88,20,000
ग) अन्य - निरीक्षण शुल्क स्नातकोत्तर (पीजी)	19,50,000	19,50,000
घ) अन्य - एनटीटी से प्राप्त	92,680	94,400
3. 31 मार्च को उपलब्ध डाक टिकट	4,683	4,683
4. नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)		
5. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- बचत खातों में (सहायता अनुदान)	87,21,655	84,35,714
- जमा खातों में	10,96,20,02,928	7,44,67,93,802
- बचत खातों में (स्वयं के संसाधन)	13,51,88,184	16,80,70,117
- हाथ में नकद	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों में	-	-
- जमा खातों में	-	-
- बचत खातों में	-	-
6. डाकघर - बचत खातों में	-	-
7. बयाना राशि	8,40,775	8,40,775
8. वसूली	-	-
कुल (क)	11,12,76,20,905	7,64,50,09,491

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 11		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. ऋण		
क) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम	4,28,530	2,44,992
मोटर कार/स्कूटर अग्रिम		-
कंप्यूटर अग्रिम		-
त्योहार अग्रिम		-
अधिक भुगतान की वसूली योग्य राशि		-
ख) अन्य संस्थाओं को अग्रिम जो संस्था के समान		-
गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न है		-
रिटर्निंग अधिकारी - आरएमजी निर्वाचन क्षेत्र		-
सीएमई आयोजन करने वाली संस्थाएँ		-
2. अग्रिम और अन्य राशि, जो नकद, वस्तु के रूप में या प्राप्ति योग्य		
मूल्य के रूप में वसूली योग्य है		
क) पूंजी खर्चों पर		-
ख) संचार प्रणाली के लिए अग्रिम भुगतान		-
ग) बीएसईएस को अन्य समायोजन (टैरिफ दर समायोजन)		-
घ) प्रतिभूति जमा राशि		-
- बीएसईएस में	14,88,000	14,88,000
- डीडीए के पास	60,000	60,000
- विज्ञान भवन के पास	9,840	9,840
ड) जीएसटी इनपुट	6,95,57,772	9,40,25,739
च) सामान्य भविष्य निधि से वसूली योग्य	(1,08,80,501)	(1,08,80,501)
छ) कर्मचारी पेंशन निधि से वसूली योग्य	1,07,16,501	7,16,501
3. उपार्जित आय (व्याज):		
क) सावधि जमा पर (स्वयं के संसाधन)	42,54,23,347	33,67,41,871
ख) निवेश पर - अन्य	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य - बीएसईएस	-	-
4. प्रीपेड खर्च		
भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (इंडिया इंटरनेशनल सेंटर)	-	-
पिछले वर्षों के लिए वसूली योग्य सेवा कर	29,96,42,813	29,96,42,813
घटाएं: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान की गई वसूली	(78,71,771)	(78,71,771)
घटाएं: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान की गई वसूली	(5,40,43,614)	(5,40,43,614)
घटाएं: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान की गई वसूली	(6,52,01,757)	(6,52,01,757)
घटाएं: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई वसूली	(30,36,400)	(30,36,400)
घटाएं: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई वसूली	(5,97,25,389)	(5,97,25,389)
घटाएं: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान की गई वसूली	(11,62,600)	-
6. टीडीएस वसूली योग्य	53,78,889	58,75,365
कुल(ख)	61,07,83,660	53,80,45,689
कुल योग (क+ख) - तुलान-पत्र में स्थानांतरण	11,73,84,04,565	8,18,30,55,180

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 12		
निवेश अन्य -	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. बिक्री से आय	-	-
क) प्रकाशनों की बिक्री	-	-
ख) फॉर्म की बिक्री (निविदा फॉर्म)	-	-
ग) पुरानी वस्तुओं समाचार पत्रों आदि की / बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क. श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख. पेशेवर परामर्श सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं (संपत्ति/उपकरण)	-	-
ड. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
आय और व्यय खाते में कुल स्थानांतरण	-	-

अनुसूची 13		
अनुदान / सब्सिडी	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. क. सहायता अनुदान	-	-
क) आरम्भिक शेष राशि	-	-
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
ग) घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
कुल) क+ख-ग)	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 14		
शुल्क/सदस्यताएँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	6,15,02,400	3,85,67,801
3. परामर्श शुल्क		
4. धारा 10A के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने का शुल्क	58,61,186	12,55,74,271
5. टीईक्यू के लिए शुल्क	34,63,568	36,82,380
6. अनुपालन/नवीनीकरण सत्यापन हेतु शुल्क	8,23,14,990	2,01,38,746
7. धारा 10A के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शुल्क	96,84,34,729	4,03,58,839
8. सीटों में वृद्धि हेतु शुल्क	1,20,25,50,759	53,26,66,097
9. अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र हेतु शुल्क	5,000	28,89,491
10. डिग्री/डिप्लोमा का पंजीकरण	1,18,35,169	11,35,46,517
11. अनुपालन सत्यापन मान्यता शुल्क	41,72,966	70,73,09,425
12. आरटीआई शुल्क	7,074	11,963
13. आईएमआर शुल्क	2,11,631	9,24,660
14. निरीक्षण शुल्क - वार्षिक एवं अन्य	2,90,75,092	60,77,814
15. अपील शुल्क	4,03,05,980	-
16. एमएसईआर/पीजीएमएसईआर शुल्क	68,79,55,424	-
17. यूजीएमईबी के अंतर्गत दंड	23,73,53,403	
18. निरीक्षण शुल्क		
क) जमा: पिछले वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त निरीक्षण शुल्क(यूजी)		
ख) वर्तमान वर्ष के लिए प्राप्ति योग्य शुल्क - यूजी	3,37,500	89,47,550
ग) घटाएं: वर्ष में प्राप्त बकाया निरीक्षण शुल्क		
कुल (1)	3,33,53,86,871	1,60,06,95,554
विभिन्न निरीक्षण शुल्क		
कुल (2)	-	-
19) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
क) वैकल्पिक प्रशिक्षण	5,19,612	3,02,981
ख) स्थानांतरण	-	-
ग.) पात्रता प्रमाणपत्र	92,31,700	82,96,354
घटाएं: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (समापन)		
जोड़ें: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (प्रारंभिक)		
घ) अच्छी स्थिति का प्रमाणपत्र	21,64,434	21,78,309
घटाएं: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (समापन)		
जोड़ें: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (प्रारंभिक)		
ड) पंजीकरण प्रमाणपत्र	52,93,379	43,14,418
च) अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	86,41,980	94,65,869
घटाएं: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (समापन)		
जोड़ें: प्राप्त अग्रिम में स्थानांतरण (प्रारंभिक)	-	-
योग (3)	2,58,51,105	2,45,57,931
कुल (1+2+3) आय और व्यय खातों में स्थानांतरण	3,36,12,37,976	1,62,52,53,485

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 15		
निवेश से आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(निर्धारित / अक्षय (एंडोमेंट) निधियों के निवेश से प्राप्त आय, निधियों में स्थानांतरित)		
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर	-	-
2. लाभांश:		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल - आय और व्यय खातों में स्थानांतरण		

अनुसूची 16		
रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1) रोयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल - आय और व्यय खाते में स्थानांतरण		
4) कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	-
i) कार अग्रिम	-	-
ii) स्कूटर अग्रिम	-	-
iii) गृह निर्माण अग्रिम	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) कोई अन्य अग्रिम (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (4)	-	-
घटाएँ : उपाजित ब्याज - आरंभिक शेष		
5) देनदारों और अन्य प्राप्तियों (जी.पी. निधि) पर ब्याज		
कुल (5)		
कुल योग (1+2+3+4+5) आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 17		
अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1) सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	59,40,32,792	40,47,17,637
जोड़ें: उपार्जित ब्याज	42,54,23,347	33,67,41,871
जोड़ें: ब्याज (बीएसईएस) (पूर्व-उपार्जित)		
घटाएं: उपार्जित ब्याज (निवल शेष)		
घटाएं: उपार्जित ब्याज (आरंभिक शेष)	33,67,41,871	21,83,35,664
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		-
कुल(1)	68,27,14,268	52,31,23,844
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में (जीआरटी)		-
ख) अनुसूचित बैंकों में (स्वयं संसाधन)	1,75,22,338	1,12,20,531
ग) डाकघर बचत खातों में		-
घ) अन्य		-
कुल (2)	1,75,22,338	1,12,20,531
3) ऋणों पर:		
क) कर्मचारी / स्टाफ		
i) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-
ii) गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) पर ब्याज	-	-
iii) पंखे के अग्रिम पर ब्याज	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) साइकिल अग्रिम	-	-
कुल (3)		
4) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
i) कार अग्रिम	-	-
ii) स्कूटर अग्रिम	-	-
iii) घर निर्माण अग्रिम	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) साइकिल अग्रिम	-	-
कुल (4)		
घटाएँ : उपार्जित ब्याज - आरंभिक शेष		
देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज (जी.पी. निधि)	-	-
कुल (5)		
कुल योग (1+2+3+4-5) आय और व्यय खातों में स्थानांतरण	70,02,36,606	53,43,44,375

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 18		
अन्य आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ	-	-
क) स्वामित्व वाली संपत्तियाँ	-	-
ख) अनुदान से अर्जित, अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय / प्राप्तियां	-	-
क) अन्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि के लिए शुल्क	-	-
ख) डाक व्यय	-	-
ग) क्वार्टर किराए	-	-
घ) आरटीआई अधिनियम के तहत शुल्क	-	-
ङ) भवन का किराया	2,11,864	-
च) अन्य पार्टियों से प्राप्तियाँ	-	-
छ) विविध प्राप्तियाँ (जीआरटी)	-	-
ज) अन्य	23,723	19,920
आय एवं व्यय खातों में कुल स्थानांतरण	2,35,587	19,920

अनुसूची 19		
तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी)	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) शेषमाल (क्लोजिंग स्टॉक)	-	-
ख) घटाएं: आरंभिक स्टॉक	-	-
निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख) आय और व्यय खातों में स्थानांतरण	-	-

अनुसूची 20		
स्थापना व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) वेतन और मज़दूरी	12,65,10,388	18,15,67,416
ख) भत्ते और बोनस	2,87,40,520	4,11,16,055
ग) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	-	3,37,801
घ) अन्य निधि (पेंशन) में अंशदान	80,33,391	87,97,262
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	53,24,070	65,97,294
च) जी.पी.एफ. सदस्यों के लिए ब्याज व्यय	-	76,20,243
छ) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	1,24,25,524	27,60,727
कुल (क)	18,10,33,893	24,87,96,798
ज) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
झ) प्रावधान	-	-
ग्रेच्युटी	17,43,053	19,81,023
संचित अवकाश नकदीकरण	3,40,637	9,69,580
कम्यूटेशन पेंशन	-	-
कुल (ख)	20,83,690	29,50,603
कुल (ग) घटाएं: आरंभिक शेष - देय बिल		
कुल योग (क)+(ख)-(ग) आय एवं व्यय खातों में स्थानांतरण	18,31,17,583	25,17,47,401

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21		
प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बिजली और पानी के शुल्क	1,85,22,260	1,93,37,912
बीमा	-	-
मरम्मत और रखरखाव	1,05,56,329	2,70,99,449
दूरभाष	12,75,483	1,02,79,704
डाक व्यय	8,29,890	12,25,892
विविध व्यय	33,07,223	37,52,846
लेखन-सामग्री (स्टेशनरी)	45,28,037	31,60,629
सेमिनार और कार्यशालाओं पर व्यय	44,79,011	12,96,540
लीज किराया और कर	15,87,514	26,53,356
विधिक / पेशेवर शुल्क	4,92,63,590	4,12,85,688
आतिथ्य व्यय	46,69,082	50,17,503
बैंक शुल्क (स्वयं का)	94,762	1,15,443
दरें और कर	43,49,822	-
अन्य सदस्यताएँ	-	27,40,007
ई-गवर्नेंस परियोजना	5,04,88,093	17,96,98,288
परिशोधित क्षति (लिक्विडेटेड डैमेज)	-	2,54,68,493
पेट्रोल शुल्क	7,62,896	7,44,298
निरीक्षकों को टीए/डीए	1,07,09,136	6,87,82,590
उप-समिति को टीए/डीए	67,24,264	15,61,000
यात्रा शुल्क	4,02,83,507	19,28,11,385
विविध व्यय	16,056	2,17,342
मानव संसाधन व्यय	10,37,77,629	8,48,47,649
कुल	31,62,24,584	67,20,96,014
घटाएं: आरंभिक शेष - बकाया देय बिल	-	-
जोड़ें: वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान	-	-
जोड़ें: डाक टिकटों का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
घटाएं: डाक टिकटों का अंतिम स्टॉक	-	-
घटाएं: लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान - आरंभिक शेष	-	-
कुल योग आय और व्यय खातों में स्थानांतरण	31,62,24,584	67,20,96,014

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 22		
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
आय और व्यय खातों में कुल स्थानांतरण	-	-

अनुसूची 23		
ब्याज	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) स्थिर ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
आय और व्यय खातों में कुल स्थानांतरण	-	-

अनुसूची 24		
अनुदानों से व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सहायता अनुदान		
क) सतत चिकित्सा शिक्षा	-	-
ख) आईएमआर का संशोधन और मुद्रण	-	-
ग) उपकरणों की खरीद	-	-
घ) जोड़ें: सीएमई के लिए वसूल की गई अग्रिम राशि	-	-
जमा:बकाया सीएमई बिल (देय)	-	-
घटाएं: सीएमई के लिए अग्रिम भुगतान	-	-
घटाएं: बकाया - सीएमईबिलों का भुगतान	-	-
प्रावधान:	-	-
आईएमआरका मुद्रण और संशोधन	-	-
घटाएं: आईएमआर के संशोधन का प्रावधान	-	-
आय और व्यय खातों में कुल स्थानांतरण	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 25		
कोई अन्य भुगतान - अग्रिम और पूर्व-भुगतान व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार/स्कूटर अग्रिम	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-
मकान निर्माण अग्रिम	-	-
किराया, दरें और कर	-	-
आरएमजी चुनाव	-	-
अन्य निकायों की सदस्यता संचार प्रणाली अग्रिम कंप्यूटर अग्रिम	-	-
बीमा पूर्व- भुगतान साइकिल अग्रिम विविध शुल्क	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 26		
कोई अन्य रसीदें - अग्रिम/पूर्व-भुगतान की वसूली/समायोजन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
गृह निर्माण अग्रिम - वसूली	-	-
कंप्यूटर अग्रिम-वसूली आरएमजी चुनाव अग्रिम-समायोजित	-	-
त्योहार अग्रिम-वसूली	-	-
साइकिल अग्रिम-वसूली कार/स्कूटर अग्रिम-वसूली	-	-
अग्रिम/पूर्व- भुगतान समायोजित (आईआईसी) विविध शुल्क	-	-
अग्रिम/पूर्व-भुगतान समायोजित (बीमा)	-	-
कुल	-	-

4374217 / 2025 / लेखा अनुभाग-एनएमसी

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)

संस्था (एन्टिटी) का नाम - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-27 लेखा और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियां

1. व्यय का वर्गीकरण एवं राजस्व की मान्यता

लेखों को ऐतिहासिक लागत परंपरा और उपाजन (Accrual) आधार पर तैयार किया गया है। सभी आय व्यय, परिसंपत्तियाँ और देनदारियों को उनके प्राकृतिक लेखा शीर्षों के अंतर्गत उपाजन आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां और मूल्यहास

स्थायी परिसंपत्तियाँ का मूल्यांकन लागत से संचयी मूल्यहास घटाकर किया गया है। वर्ष के लिए स्थायी परिसंपत्तियाँ का मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर परिसंपत्तियों के राइट डाउन वैल्यू पर दिया गया है।

पट्टे पर ली गई भूमि (लीजहोल्ड भूमि) का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

मद	मूल्यहास की दर
भवन (कार्यालय)	10%
भवन (अतिथि-गृह)	05%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
वाहन	15%
कार्यालय उपकरण	15%
कंप्यूटर्स	40%
विविध स्थायी परिसंपत्तियां	15%
जनरेटर/विद्युत संस्थापन	10%
पुस्तकें	40%
संचार और सम्मेलन प्रणाली	15%
हीटिंग और कूलिंग उपकरण	10%
अग्नि सुरक्षा उपकरण	10%
लिफ्ट	15%
नलकूप और जल सीवरेज प्रणाली	10%
सौर प्रणाली	40%

उपरोक्त मूल्यहास की दर आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के परिशिष्ट 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनाया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि के संबंध में अगर वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो वहाँ लागू प्रावधानों के अनुसार मूल्यहास 50% की दर से किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियां निर्धारित निधियों और एनएमसी-स्वयं प्राप्ति खाते से निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाती हैं।

3. सहायता अनुदान/ निर्धारित निधियों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया

सहायता अनुदान/निर्दिष्ट निधियों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों को आस्थगित आय के रूप में माना गया है और इसे ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय और व्यय खातों में मान्यता दी गई है; अर्थात् ऐसे अनुदान को उन अवधियों में तथा उसी अनुपात में आय में आवंटित किया जाता है, जिनमें मूल्यहास आरोपित किया जाता है।

4. निवेश

आयोग ने बैंकों में सावधि जमा के रूप में जमा राशि के अतिरिक्त कोई अन्य निवेश नहीं किया है।

5. कॉर्पस / पूंजीगत निधि

यह आय पर व्यय की अधिकता के संचित शेष और सहायता अनुदान से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों का निवल मूल्य और निर्धारित निधि से स्थानांतरित स्थायी परिसंपत्तियों का निवल मूल्य और आयोग के स्वयं के संसाधनों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों का निवल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी पेंशन निधि

आयोग ने पेंशन संबंधी देयताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में कर्मचारी पेंशन निधि खाता खोला है, जिसके लिए वर्ष के दौरान अंशदान किया गया है।

7. सामान्य भविष्य निधि

आयोग ने केंद्र सरकार की अनुमति से सामान्य भविष्य निधि नियम 1925 (1925 का XIX) की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सामान्य भविष्य निधि खाता खोला है। यह अनुमति भारत सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग, शिमला के भविष्य निधि नियमों के राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ.43-6/37/-एच दिनांक 03/06/1937 के की गई है।

कर्मचारियों से प्राप्त सभी अंशदान सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जाती है।

जमा पर अर्जित ब्याज और सामान्य भविष्य निधि अंशधारकों को दिए जाने वाले ब्याज के बीच यदि कोई अंतर है, तो उसका भुगतान आयोग/सामान्य भविष्य निधि द्वारा किया जाता है।

8. आकस्मिक देयता

तुलन-पत्र की तारीख पर आयोग का कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

9. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसका प्रभाव

चालू वर्ष के दौरान आयोग के खातों को एक समान लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं, जो सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू हैं। चूंकि नए प्रारूप में सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. एवं पेंशन फंड खातों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें वित्तीय विवरण के साथ जोड़ दिया गया है (अनुलग्नक-II एवं III पर देखा जा सकता है)। तथापि, जी.पी.एफ. खातों तथा पेंशन फंड खातों की तुलन-पत्र को भी आयोग की तुलन-पत्र में शामिल कर लिया गया है।

10. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखांकन की उपार्जन प्रणाली के सिद्धांत, सतत चलने वाली (गोइंग कंसर्न) की अवधारणा, मिलान अवधारणा और संगति (Consistency) को बनाए रखा गया है।
11. वर्तमान परिसंपत्तियों में हाथ में उपलब्ध डाक टिकट, नकदी एवं बैंक शेष, उपार्जित ब्याज तथा पूर्व-भुगतान किए गए खर्च शामिल है, जिनका सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्ति पर मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर हो।
12. सहायता अनुदान खातों एवं स्वयं संसाधन खातों के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हुआ है, पुनर्गठित किया गया है। आंकड़ों को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
नई दिल्ली

अनुलग्नक-1

प्राप्ति और भुगतान लेखा – सहायता अनुदान, स्वयं संसाधन, भवन निधि एवं कार्यशाला निधि

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
1 अप्रैल को आरंभिक शेष					
नकद और बैंक	-	-	क. स्थापना		
सहायता अनुदान					
स्वयं संसाधन जीआरटी सहित	-	-	वेतन और मजदूरी		
गैर-योजना जीआरटी	84,35,714	81,96,328	वेतन और मजदूरी	12,89,75,662	18,20,62,257
कुल (1)	84,35,714	81,96,328	भत्ते और बोनस	2,87,40,520	4,11,16,055
स्वयं संसाधन			कुल (1)	15,77,16,182	22,31,78,312
स्वयं संसाधन बचत बैंक खाता	16,80,70,117	84,20,54,031			
बैंक में एफडीआर	7,44,67,93,802	5,68,10,31,309	कर्मचारी भविष्य निधि		
कुल (2)	7,61,48,63,919	6,52,30,85,340	सामान्य भविष्य निधि	-	-
			भविष्य निधि में अंशदान	-	3,37,801
			राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	59,40,413	81,34,909
			कुल (2)	59,40,413	84,72,710
भवन निधि और कार्यशाला निधि					
बचत बैंक खाता					
बैंक में सावधि जमा (एफडीआर)	-	-	कर्मचारी कल्याण व्यय		
कुल (3)	1,07,44,654	1,04,38,640	चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति	24,04,306	36,98,024
कुल योग (1+2+3)	7,63,40,44,287	6,54,17,20,308	ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	26,96,745	27,54,000
			पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
स्वयं सहायता अनुदान	-	-	समाचार-पत्र की प्रतिपूर्ति	2,23,019	1,45,270
संसाधन उपयोग	-	-	कुल (3)	53,24,070	65,97,294
कुल	-	-			
			कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ		
			अवकाश का नकदीकरण	78,46,425	8,85,790
वेतन एवं मजदूरी से वसूली	-	-	कर्मचारियों को ग्रेच्युटी	65,21,146	18,74,937
			स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का मुआवजा	87,95,001	-
वेतन	-	-	कुल (4)	2,31,62,572	27,60,727
महंगाई भत्ता	-	-	कुल(1+2+3+4)	19,21,43,237	24,10,09,043
नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (सीसीए)	-	-			
कुल(1)	-	-	ख. स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
			कार्यालय उपकरण	60,60,393	17,09,143
कर्मचारी कल्याण			फर्नीचर एवं फिक्स्चर	21,69,301	26,08,276
कर्मचारियों को एलटीसी	-	-	भवन	23,62,862	-
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना	-	-	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	14,62,013	39,36,620
पीएम केयर्स	-	-	हीटिंग और कूलिंग उपकरण	2,43,745	3,94,930
कुल(2)	-	-	सामान्य/ विद्युत स्थापना	70,678	4,23,274
			संचार प्रणाली	-	-
कर्मचारी भविष्य निधि			पुस्तकें	7,700	
सामान्य भविष्य निधि	-	-	अग्निशमन प्रणालियाँ		3,74,213
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	-	-	भवन निर्माण कार्य प्रगति पर		-
कुल(3)	-	-	कुल	1,23,76,692	94,46,456
			ग. प्रशासनिक		
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ			वाहनों का रखरखाव		
			स्टाफ कार	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-	पेट्रोल	7,62,896	8,45,234
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी	-	-	कुल(1)	7,62,896	8,45,234

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल (4)	-	-			
कुल (1+2+3+4)	-	-	मरम्मत और रखरखाव		
			अग्नि-शमन प्रणाली	16,56,361	7,90,525
अर्जित ब्याज			भवन	40,13,899	68,11,746
बैंक से ब्याज			संचार प्रणाली	-	48,98,623
बचत बैंक खाता संख्या	1,75,22,338	1,12,20,531	स्टाफ़ कार	4,14,313	-
निवेश (स्वयं संसाधन)	59,40,32,792	40,47,17,637	कार्यालय उपकरण	3,74,978	2,33,363
निवेश (भवन निधि)	3,64,206	3,06,014	सामान्य विद्युत स्थापना	5,51,167	5,07,381
सहायता अनुदान पर ब्याज	2,85,941	2,39,386	कंप्यूटर/सहायक उपकरण	12,63,416	1,14,14,903
कुल(1)	61,22,05,277	41,64,83,568	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	46,626	
			हीटिंग और कूलिंग उपकरण	19,50,569	21,70,620
अग्रिम पर ब्याज			लिफ्ट	2,85,000	2,72,288
साइकिल अग्रिम					
कार अग्रिम			कुल(2)	1,05,56,329	2,70,99,449
स्कूटर अग्रिम					
कंप्यूटर अग्रिम			प्रशासनिक व्यय		



एक कदम स्वच्छता की ओर

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
NATIONAL MEDICAL COMMISSION
वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT (2024-25)



प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल(2)	-	-	वेतन	-	-
कुल(1+2)	61,22,05,277	41,64,83,568	लेखन-सामग्री (स्टेशनरी)	45,28,037	31,60,629
			दूरभाष	12,75,483	1,03,85,527
अग्रिम शुल्क			डाक व्यय	8,29,890	12,25,892
निरीक्षण शुल्क - यूजी	-	-	विविध व्यय	33,07,223	48,42,167
निरीक्षण शुल्क - पीजी	-	-	बिजली और पानी	1,85,22,260	1,93,37,912
पंजीकरण शुल्क	-	-	विधिक /पेशेवर शुल्क	4,92,63,590	5,62,61,999
अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	-	-	आतिथ्य व्यय	46,69,082	52,49,116
गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र	-	-	बैंक प्रभार (स्वयं)	94,762	1,15,443
पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-	बैंक प्रभार (जीआरटी)	-	-
कुल(1)	-	-	विविध व्यय	15,659	3,63,097
			मानव संसाधन व्यय	10,37,77,629	9,07,27,613
शुल्क			सतत चिकित्सा शिक्षा योजना	-	-
सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	6,15,02,400	3,85,67,801			
वार्षिक निरीक्षण शुल्क	2,92,52,956	60,77,814	दरें और कर	4,44,800	-
धारा 10 के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों शुरू करने हेतु शुल्क	58,61,186	12,55,74,271	अन्य के लिए सदस्यता	-	27,40,007
टीईक्यू के लिए शुल्क	35,09,468	36,82,380	सेमिनार और कार्यशाला	44,79,011	12,96,540
अनुपालन/नवीनीकरण सत्यापन शुल्क	8,29,14,990	2,01,38,746	ई-गवर्नेंस परियोजना	5,04,88,093	17,96,98,288
धारा 10 के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शुल्क	97,09,34,729	4,03,58,839	पट्टा किराया और कर	15,87,514	26,53,356
सीटों की वृद्धि हेतु शुल्क	1,43,73,93,359	53,26,66,097	जोड़े: धारा 194ग और 194ज के अंतर्गत टीडीएस	-	-
अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र हेतु शुल्क	5,000	28,89,491	घटाएं: खर्चों में जीएसटी आईटीसी शामिल	-	-
निरीक्षण शुल्क (एच.सी.)	3,37,500	89,47,550	कुल(3)	24,32,83,033	37,80,57,586
एमएसएमईआर/पीजीएमएसईआर हेतु शुल्क	69,19,65,424	-			
वैकल्पिक प्रशिक्षण	5,19,612	3,02,981	यात्रा भत्ता		
डिग्री/डिप्लोमा का पंजीकरण	1,18,35,169	11,35,46,517	सचिव और कर्मचारी		
कंप्यूटर सत्यापन एवं मान्यता शुल्क	1,25,81,441	70,73,09,425	निरीक्षकों को टीए/डीए	1,07,09,136	7,42,37,590
आरटीआई शुल्क	7,074	11,963	पीजी समिति को टीए/डीए	-	-
आईएमआर शुल्क	2,11,631	9,24,660	उप समिति को टीए/डीए	67,24,264	15,61,000
यूजीएमईबी के अंतर्गत दण्ड	23,73,53,403	-	यात्रा शुल्क	4,02,83,507	19,28,11,385
पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	91,39,020	82,01,954			
गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र	21,73,334	21,78,309	कुल(4)	5,77,16,907	26,86,09,975
पंजीकरण शुल्क	53,03,379	43,14,418	कुल(1+2+3+4)	31,23,19,165	67,46,12,244
अपील शुल्क	4,03,05,980				
अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	86,46,980	94,65,869			
कुल(2)	3,61,17,54,035	1,62,51,59,085	अग्रिम शुल्क समायोजन		
कुल(1+2)	3,61,17,54,035	1,62,51,59,085	निरीक्षण शुल्क - यूजी	-	-
			पंजीकरण शुल्क	-	-
अन्य प्राप्तियां			अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	-	-
पुरानी वस्तुओं की बिक्री	-	-	गुड स्टैंडिंग का प्रमाणपत्र	-	-
क्वार्टर किराया	-	-	पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
विविध प्राप्तियां	23,723	19,920	निरीक्षण शुल्क - पीजी	-	-
निविदा प्रपत्र की बिक्री	-	-	पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
भवन किराया	2,11,864	-	कुल	-	-
प्रकाशन की बिक्री	-	-			
प्रतिभूति जमा राशि	-	15,000	कर्मचारियों को अन्य भुगतान, ऋण और अग्रिम		
अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र शुल्क	-		कार अग्रिम	-	-

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
सीजीएसटी	-	-	गृह निर्माण अग्रिम	-	-
एनटीटी	94,400	-	कंप्यूटर अग्रिम	-	-
इनपुट सेवाओं पर प्राप्त जीएसटी क्रेडिट	-	-	स्कूटर अग्रिम	-	-
कुल	3,29,987	34,920	परिशोधित क्षति (लिक्विडेटेड डैमेज)	-	2,54,68,493
			अन्य	-	-
वसूली एवं धनवापसी			कुल(1)	-	2,54,68,493
यात्रा भत्ता	-	-			
सामान्य निकाय विदेश यात्रा	-	-	अन्य अग्रिम और पूर्व-भुगतान व्यय		
सचिव एवं कर्मचारी	-	-	कर्मचारियों को अग्रिम	1,83,538	-
उप समिति	-	-	लेखा परीक्षकों को भुगतान	2,85,795	-
निरीक्षक	-	-	कुल(1)	4,69,333	-
अन्य	1,25,22,185	2,44,992	कुल(1+2))	4,69,333	2,54,68,493
सहायता अनुदान (प्रति देय भुगतान)	-	-			
कुल(1)	1,25,22,185	2,44,992	प्रतिदेय शुल्क		
			वार्षिक निरीक्षण शुल्क	1,77,864	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			धारा 10क के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शुल्क	25,00,000	-
गृह निर्माण अग्रिम	-	-	अनुपालन/नवीनीकरण सत्यापन शुल्क	6,00,000	-
कार अग्रिम	-	-	धारा 10क के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए शुल्क	-	-
कंप्यूटर अग्रिम	-	-	टीईक्सू के लिए शुल्क	45,900	-
त्योहार अग्रिम	-	-	अनुपालन सत्यापन शुल्क	84,08,475	-
स्कूटर अग्रिम	-	-	आरटीआई शुल्क	-	-
साइकिल अग्रिम	-	-	अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	5,000	-
अतिरिक्त भुगतान	-	-	प्रवासन शुल्क	-	-
कुल(2)			पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
			गुड स्टैंडिंग का प्रमाणपत्र	8,900	-

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
वसूली और समायोजन अग्रिम			पंजीकरण शुल्क	10,000	-
सेवा कर वसूली	11,62,600	5,97,25,389	सीटों की वृद्धि के लिए शुल्क	23,48,42,600	-
आय के स्रोत पर कर कटौती	4,96,476	-	अन्य पंजीकरण के लिए शुल्क	-	-
पूर्व वार्षिक खातों में दर्ज होने से चूक गई सावधि जमा के कारण समायोजन	-	-	राज्य परिषदों को शेयर	-	-
एसपीएफ		14,11,864	एमएसईआर/पीजीएमएसईआर के लिए शुल्क	40,10,000	-
प्रतिभूति जमा राशि	-	15,000			
कुल(3)	16,59,076	6,11,52,253			
कुल(1+2+3)	1,41,81,261	6,13,97,245			
			कुल(1)	25,06,08,739	-
टीडीएस और एलआईसी					
ठेकेदारों और व्यवसायियों पर टीडीएस	2,78,97,163	2,23,69,929	प्रतिदेय- अन्य		
वेतन पर टीडीएस	1,22,55,106	2,37,00,609	प्रतिभूति जमा राशि	-	-
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि	2,44,67,967	-	विविध प्राप्ति	-	-
एलआईसी प्रीमियम	8,48,231	1,33,325	कुल(2)	-	-
अन्य देय कटौतियाँ	79,470	-	कुल(1+2)	25,06,08,739	-
कुल	6,55,47,937	4,62,03,863			
			टीडीएस और एलआईसी		
			ठेकेदारों और व्यवसायियों पर टीडीएस	2,90,24,789	2,31,40,096
			वेतन पर टीडीएस	1,33,13,490	2,46,86,791
			एलआईसी प्रीमियम	7,31,968	73,116
			जीपीएफ अंशदान	53,744	
			अन्य वसूली योग्य कटौतियाँ		1,43,822
			कुल	4,31,23,991	4,80,43,825
			अन्य		
			बयाना राशि		
			जीपीएफ और एसपीएफ से वसूली योग्य	1,00,00,000	
			अतिरिक्त भुगतानों के प्रति वसूली योग्य	-	
			जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि		5,60,06,922
			आय के स्रोत पर कर कटौती	-	23,67,720
			अन्य	-	-
			कुल	1,00,00,000	5,83,74,642
			समापन शेष		
			हाथ में नकदी	-	-
			सहायता अनुदान		
			गैर योजना जीआरटी	87,21,655	84,35,714
			कुल(1)	87,21,655	84,35,714
			स्वयं के संसाधन		
			स्वयं के संसाधन बचत बैंक खाता	13,51,88,184	16,80,70,117
			स्वयं के संसाधन एफडीआर	10,96,20,02,928	7,44,67,93,802
			कुल(2)	11,09,71,91,112	7,61,48,63,919
			भवन निधि और कार्यशाला निधि		
			कार्यशाला लेखा	-	-
			भवन निधि बचत बैंक खाता	1,11,08,860	1,07,44,654
			बैंक में सावधि जमा (एफडीआर)	-	-
			कुल(3)	1,11,08,860	1,07,44,654
			कुल(1+2+3)	11,11,70,21,627	7,63,40,44,287
कुल योग	11,93,80,62,784	8,69,09,98,989	कुल योग	11,93,80,62,784	8,69,09,98,989

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी पेंशन निधि
तुलन-पत्र
31-03-2025 को स्थिति
अनुलग्नक - क2

देयताएं	अनुसूची	31 मार्च 2025 की स्थिति में	31 मार्च 2024 की स्थिति में
कॉर्पोस/पूँजी निधि	I	97,49,68,589	93,72,09,630
वर्तमान देयताएं	II	1,07,80,461	7,16,501
कुल		98,57,49,050	93,79,26,131

परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ		-	-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	III	98,57,49,050	93,79,26,131
कुल		98,57,49,050	93,79,26,131

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी पेंशन निधि
आय एवं व्यय लेखा
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
अनुलग्नक- क2

आय	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
प्राप्त ब्याज	6,35,47,687	2,21,40,957
जोड़ें: वर्ष के लिए उपार्जित ब्याज	5,95,44,012	5,21,11,544
घटाएं: उपार्जित ब्याज - आरंभिक शेष	5,21,11,544	2,11,31,059
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से अंशदान	-	-
पेंशन कम्यूटेशन की वसूली	-	-
कुल आय (क)	7,09,80,155	5,31,21,442

व्यय	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
(i) पेंशन का कम्यूटेशन	52,59,221	-
(ii) पेंशन वितरण	2,79,58,421	2,11,31,059
(iii) मार्च की बकाया पेंशन	-	-
(iv) बैंक प्रभार	3,554	3,664
कुल व्यय (ख)	3,32,21,196	2,13,33,469
अधिशेष/ (घाटा) पेंशन निधि खातों में स्थानांतरित (क-ख)	3,77,58,959	3,17,87,973

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी पेंशन निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

प्राप्ति	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24	भुगतान	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
आरंभिक शेष					
बैंक में एफडीआर	85,00,00,000	82,68,39,818	पेंशन कम्यूटेशन	52,59,221	-
बचत बैंक खाता	3,58,14,587	5,96,52,985	पेंशन वितरण	2,79,58,421	2,13,29,805
			अन्य वेतन और भत्ते	-	-
			बैंक प्रभार	3,554	3,664
कुल	88,58,14,587	88,64,92,803	कुल	3,32,21,196	2,13,33,469
एनएमसी से भुगतान	1,00,00,000	-	जीपीएफ से भुगतान	81,61,357	
कुल	1,00,00,000	-	एनएमसी से भुगतान		14,85,704
आयकर	29,30,246	-	कुल	81,61,357	14,85,704
कुल	29,30,246	-	आयकर	28,66,286	
				28,66,286	-
व्याज					
बचत बैंक खाता	6,75,372	15,00,734			
एफडीआर	6,28,72,315	2,06,40,223			
कुल	6,35,47,687	2,21,40,957			
			31 मार्च को समापन शेष		
			बैंक में एफडीआर	91,28,72,315	85,00,00,000
			बचत बैंक खाता	51,71,366	3,58,14,587
			कुल	91,80,43,681	88,58,14,587
कुल योग	96,22,92,520	90,86,33,760	कुल योग	96,22,92,520	90,86,33,760

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

कर्मचारी पेंशन निधि

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची - I (पेंशन निधि)	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
कॉर्पस निधि		
आरंभिक शेष (कॉर्पस निधि)		90,54,21,657
जोड़ें: व्यय से अधिक आय	93,72,09,630	3,17,87,973
जोड़ें: मार्च की बकाया पेंशन	3,77,58,959	-
घटाएं: आरंभिक शेष पर बकाया पेंशन का भुगतान	-	-
कुल	97,49,68,589	93,72,09,630

अनुसूची - II (पेंशन निधि)	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
वर्तमान देयताएं		
स्रोत पर कर कटौती	63,960	-
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञानआयोग (स्वयं संसाधन) को देय	1,07,16,501	7,16,501
कुल	1,07,80,461	7,16,501

अनुसूची - III (पेंशन निधि)	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
बैंक में नकद (बचत खाता)	51,71,366	3,58,14,587
सावधि जमा	91,28,72,315	85,00,00,000
उपार्जित ब्याज	5,95,44,012	5,21,11,544
जीपीएफ खातों से वसूला जाने वाला शेष राशि	81,61,357	-
कुल	98,57,49,050	93,79,26,131

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
तुलन-पत्र
31 मार्च 2021 की स्थिति में
अनुलग्नक - क3

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
कॉर्पस निधि/पूंजी निधि	अनुसूची-I	6,53,25,222	12,97,22,269
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को देय	अनुसूची - II	81,61,357	-
कुल		7,34,86,579	12,97,22,269
परिसंपत्तियाँ			
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से प्राप्त		1,08,80,501	1,08,80,501
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	अनुसूची - III	6,26,06,078	11,88,41,768
कुल		7,34,86,579	12,97,22,269

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
आय और व्यय लेखा
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
अनुलग्नक - क3

आय	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
अर्जित ब्याज	52,23,192	16,10,938
जोड़ें: वर्ष का उपार्जित ब्याज	35,02,589	-
घटाएं: उपार्जित ब्याज का आरंभिक शेष	-	-
जोड़ें: उपार्जित ब्याज (निवल)	-	-
सब्सक्राइबर्स को अंतर ब्याज के लिए एमसी का अंशदान	-	76,20,243
कुल	87,25,781	92,31,181
व्यय	-	-
बैंक प्रभार	1,71,781	5,178
सब्सक्राइबर को भुगतान किया गया ब्याज	-	1,19,457
एनएमसी खातों को भुगतान किया गया/देय ब्याज	-	-
कुल	1,71,781	1,24,635
व्यय पर आय की अधिकता / (घाटा)		
जी.पी.एफ. खाते में स्थानांतरण	85,54,000	91,06,546

सदस्य

Chairman

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

	चालू वर्ष 2024-25	विगत वर्ष 2023-24
अनुसूची - 1 - जी.पी.एफ. लेखा		
पी.एफ. - कॉर्पस निधि का आरंभिक शेष	12,97,22,269	10,15,29,067
जोड़ें: आरंभिक सावधि जमा रिपोर्ट में छूट जाने का संशोधन अंशदान/अग्रिम वसूली	60,95,035	3,92,00,698
सब्सक्राइबर को भुगतान किया गया ब्याज व्यय पर आय की अधिकता / (घाटा)	85,54,000	91,06,546
वसूली योग्य ऋण	-	-
कुल	14,43,71,304	14,98,36,311
घटाएं: निकासी	7,90,46,082	2,01,14,042
निवल कॉर्पस निधि	6,53,25,222	12,97,22,269
अनुसूची - 2		
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पेंशन फंड) को देय	81,61,357	-
कुल	81,61,357	-
अनुसूची - 3 - वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से प्राप्त	1,08,80,501	1,08,80,501
बैंक में जमा राशि	44,50,982	6,87,36,768
सावधि जमा	5,36,98,372	5,00,00,000
उपार्जित ब्याज	35,02,589	-
वसूली योग्य ऋण	9,54,135.00	1,05,000.00
कुल	6,26,06,078	11,88,41,768

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
आरंभिक शेष					
1 अप्रैल तक					
बैंक में एफडीआर	5,00,00,000	6,14,70,061	अग्रिम जीपी निधि	11,00,000	-
बचत बैंक लेखा	6,87,36,768	3,61,10,739	निकासी/ भुगतान	7,90,46,082	2,01,14,042
			बैंक प्रभार	1,71,781	5,178
			जीपीएफ पर		
			भुगतान किया	-	1,19,457
			गया ब्याज		
			एनएमसी को धन	-	-
			वापसी		
कुल	11,87,36,768	9,75,80,800	कुल	8,03,17,863	2,02,38,677
आरंभिक शेष का सुधार					
बैंक में एफडीआर	-	-			
	-	-			
कुल	-	-			
वसूली / अंशदान					
अग्रिम की वसूली	2,50,865	1,80,000.00			
एनएमसी से प्राप्त	-	-			
एनएमसी पेंशन निधि से प्राप्त	81,61,357	-			
एनएमसी का अंशदान	60,95,035	3,92,00,698			
कुल	1,45,07,257	3,93,80,698			
ब्याज			31 मार्च तक समापन शेष		
एफडीआर	36,98,372	5,68,121	बैंक में एफडीआर	5,36,98,372	5,00,00,000
बचत बैंक खाता	15,24,820	14,45,826	बचत बैंक खाता	44,50,982	6,87,36,768
कुल	52,23,192	20,13,947	कुल	5,81,49,354	11,87,36,768
कुल योग	13,84,67,217	13,89,75,445	कुल योग	13,84,67,217	13,89,75,445

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
लेखापरीक्षा भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/एन.एम.सी/2025-26/

दिनांक:

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

विषय: वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदया,

मैं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के प्रमाणित वार्षिक लेखा की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकायद्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2024-25 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) निर्दिष्ट करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

हस्ता./-xxxxx
(करन वोहरा)
निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/एन.एम.सी/2025-26/587

दिनांक: 05.03.2026

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, डॉ. राघव लैंगर, सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट 14, सेक्टर 8, द्वारका फेस 1, नई दिल्ली-110077 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता./-xxxxx
(करन वोहरा)
निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/एन.एम.सी/2025-26/

दिनांक:

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता./-xxxxx
(करन वोहरा)
निदेशक (ए.एम.जी-IV)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय

राय

हमने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उस वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ पठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 43(2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश भी शामिल, का लेखापरीक्षा किया।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन उपचार (Accounting Treatment) जैसे वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं (Best Accounting Practices), लेखांकन मानकों (Accounting Standards) तथा प्रकटीकरण मानदंडों (Disclosure Norms) आदि के अनुरूपता के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को ही शामिल करता है। वित्तीय लेन-देन से संबंधित विधि, नियमों एवं विनियमों (प्रोप्रायटी एवं रेग्युलैरिटी) के अनुपालन तथा दक्षता के साथ प्रदर्शन (Efficiency-cum-Performance) आदि से संबंधित लेखा-परीक्षण टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

हमारी राय में एनएमसी के संलग्न वित्तीय विवरण, उनसे संबंधित लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों तथा इसके पश्चात प्रस्तुत पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित विषयों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, तथा उस वर्ष की वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकद प्रवाह (Cash Flows) को भी एकरूप लेखा प्रारूप (Uniform Format of Accounts) के अनुसार सही एवं निष्पक्ष रूप में प्रदर्शित करते हैं।

राय का आधार (Basis for Opinion)

हमने अपना लेखा-परीक्षण (सीएजी) के लेखा परीक्षण के विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे प्रतिवेदन के “वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ” (Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements) अनुभाग में आगे वर्णित हैं। हम वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों भी पालन किया है। हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

एनएमसी इन वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है, जो स्वायत्त निकायों (AB) / लेखा मानकों पर लागू एकरूप लेखा प्रारूप/प्रारूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप हो तथा प्रबंधन ऐसे आंतरिक नियंत्रणों (Internal Controls) के निर्धारण के लिए जिन्हें जिन्हें वह आवश्यक समझता है कि ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी इस प्रकार की जा सके कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि (Material Misstatement) से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित के लिए युक्तिसंगत आश्वासन (Reasonable Assurance) प्राप्त करना है कि संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि (Material Misstatement) चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और सीएजी के लेखा-परीक्षण विनियमनों/मानकों/मैनुअलों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुरूप हमारी राय को सम्मिलित करते हुए एक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (Auditor's Report) जारी करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.03.2026

हस्ता./-xxxxx
(सौरव कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), नई दिल्ली का 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट

क. आय और व्यय लेखा

क.1 व्यय

क.1.1 स्थापना व्यय (अनुसूची-20): 18.31 करोड़ रुपये

क.1.1.1 एनएमसी ने 2023-24 की अवधि से संबंधित 79.33 लाख रुपये के विभिन्न व्ययों को अनुसूची-20 "स्थापना व्यय" में शामिल किया था। ये व्यय पूर्व अवधि से संबंधित थे और इस प्रकार इन्हें कॉर्पस / पूंजी निधि (Corpus/Capital Fund) से समायोजित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप व्यय अधिक दिखाया गया और अधिशेष को 79.33 लाख रुपये कम बताया गया है।

ख. सामान्य

ख.1 एनएमसी ने वर्तमान देनदारियों में उपशीर्षक विविध लेनदारों (Sundry Creditors) के तहत 40 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दिखाया है। इस राशि को वर्षों से आगे बढ़ाया जा रहा है और एनएमसी ने इसका विवरण / वर्तमान स्थिति प्रदान नहीं किया। अतः लेखा परीक्षा इसे सत्यापित नहीं कर सका।

ख.2 31.03.2025 तक आईएमआर और अस्थायी अनुमति के अलावा पात्रता प्रमाणपत्र, अच्छा प्रदर्शन (गुड स्टैंडिंग) प्रमाणपत्र और अतिरिक्त गुणवत्ता प्रमाणपत्र के जारी करने के संबंध में मामले लंबित थे। इसे अनुसूची-7 "वर्तमान देनदारियाँ" में दर्शाया जाना चाहिए था। चूंकि कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया, लेखापरीक्षा इस देयता की सटीक राशि का पता लगाने की स्थिति में नहीं था।

ख.3 एनएमसी ने अनुसूची-11 "वर्तमान परिसंपत्तियों" में 2.09 करोड़ रुपये के विविध देनदारों (निरीक्षण शुल्क यूजी: 1.88 करोड़ रुपये, निरीक्षण शुल्क पीजी: 19.50 लाख रुपये और "एनटीटी से प्राप्त अन्य": 92,680 रुपये) को दिखाए थे। ये आंकड़े पांच वर्षों से अधिक समय से आगे बढ़ाए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, इसका विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा खातों में दिखाए गए आंकड़ों पर टिप्पणी नहीं कर सका।

इसके बारे में आपके पिछले साल के एसएआर में बताया गया था, लेकिन यूनिट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.4 एनएमसी के पास 2992.61 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी थी। इस तथ्य का उल्लेख लेखा टिप्पणियों में नहीं किया गया है। इसके बारे में आपके पिछले साल के एसएआर में बताया गया था, लेकिन यूनिट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

घ. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

एनएमसी का आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2021-22 तक का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से पर्याप्त नहीं थी:

क. वार्षिक खातों में दर्शाए गए आंकड़े सॉफ्टवेयर के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

ख. एनएमसी द्वारा आंतरिक एवं बाह्य लेखा आपतियों पर दी गई की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी। 31.3.2025 तक 42 पैरा लंबित थे।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2024-25 तक किया गया था और कोई विसंगति रिपोर्ट नहीं की गई थी।

4. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन प्रणाली

पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया था।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, 31.03.2025 तक सांविधिक देयों का कोई भी भुगतान छह महीने से अधिक का बकाया नहीं था।

ड. सहायता अनुदान

एनएमसी को वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। 31 मार्च, 2025 तक इसमें ब्याज सहित 87.22 लाख रुपये की अनुदान राशि खर्च नहीं हुई थी। वर्ष के दौरान, एनएमसी ने इस राशि का उपयोग नहीं किया और यह राशि 31.03.2025 तक खर्च नहीं हुआ है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

“प्रस्तुत रिपोर्ट मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई पृथक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखी गई रिपोर्ट ही मान्य होगी”

फोटो गैलरी



एनएमसी कार्यालय में भगवान धन्वंतरि की मूर्ति-स्थापना



रूसी प्रतिनिधिमंडल का एनएमसी दौरा



इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का एनएमसी दौरा



24 सितंबर, 2024 को एनएमसी मुख्यालय में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री



माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा स्वागत



माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एनएमसी प्रकाशनों का विमोचन



माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एनएमसी अधिकारियों का संबोधन



20-21 फरवरी, 2025 को जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर, गुजरात में सीआईएसपी-III का आयोजन



18-19 मार्च 2025 को आदिचुचानागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सीआईएसपी III का आयोजन



19-21 मार्च, 2025 को परभणी मेडिकल कॉलेज, परभणी, महाराष्ट्र में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



18-20 मार्च, 2025 को एनसीएम नोडल सेंटर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



12-14 मार्च, 2025 को वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



25-27 मार्च, 2025 को एनएमसी नोडल सेंटर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर, कर्नाटक में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



27-29 मार्च, 2025 को कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुबल्ली, कर्नाटक में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



18-20 नवंबर, 2024 को एनसीएम नोडल सेंटर, केजीएमयू, लखनऊ में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



05-07 फरवरी, 2025 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलूर में बीसीएमई कार्यशाला का आयोजन



एनएमसी में सतर्कता जागरूकता रैली



एनएमसी में सतर्कता जागरूकता पर एक सत्र



सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एनएमसी के अधिकारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हुए



एनएमसी सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का अवलोकन

